खण्ड-195, अंक-2
मंगलवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1880
(22 जुलाई, 1958 ई0)

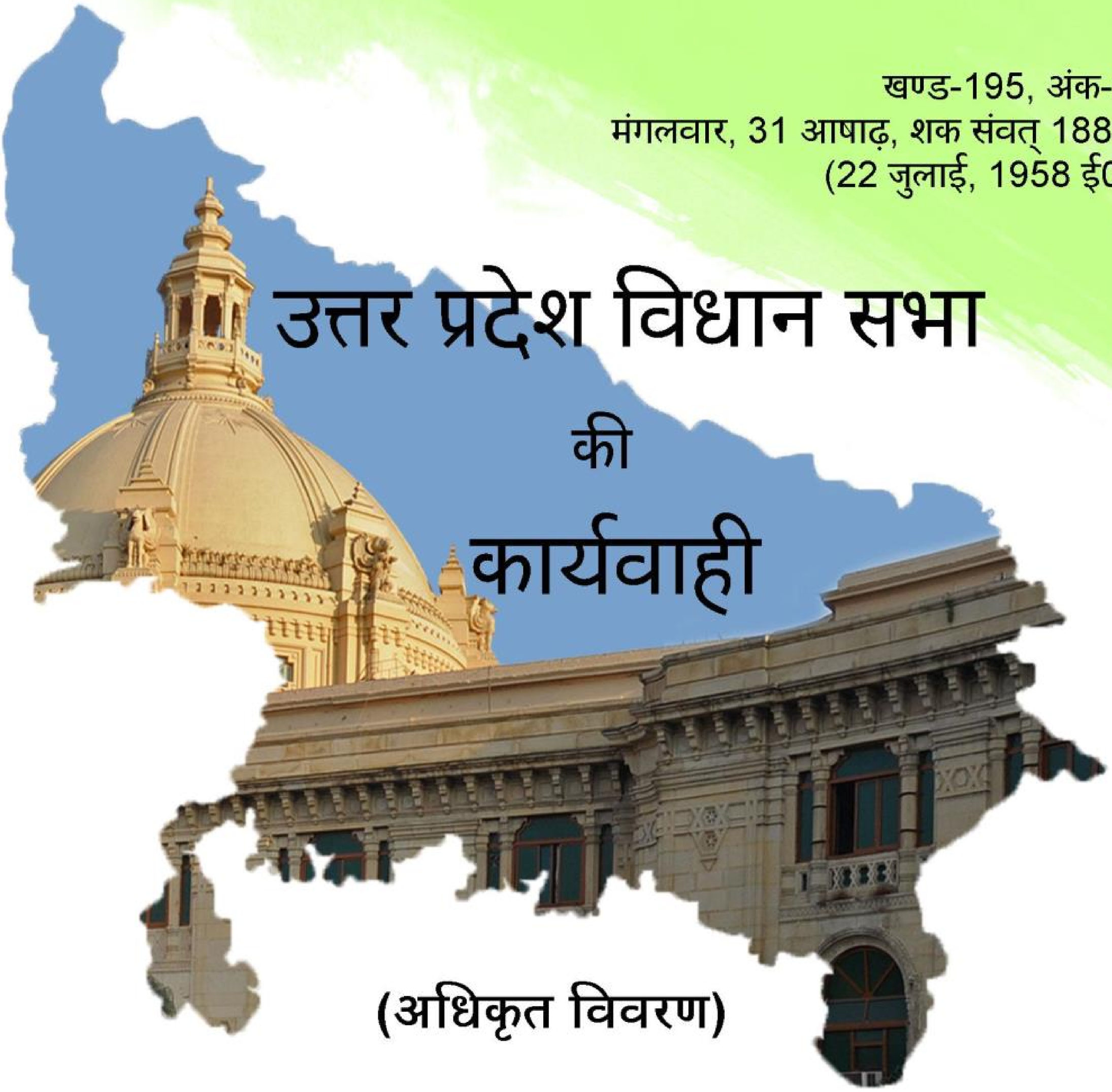

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७५–७९
प्रश्नोत्तर	७९–१००
श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१००–१०२
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१०२
गोला नदी पर स्थित बेरीघाट बांध की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०२
सारेहवा, जिला देवरिया में दो व्यक्तियों की भूख के कारण कथित मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०२–१०३
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनाज की कमी तथा इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०३
थाना बांगरमऊ की पुलिस के हाथों सर्वश्री मंगू और मतई की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१०३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जारी	१०३–१४५
नत्थियां	१४६–१५७

संसद सदस्य पर्यवेक्षण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ जुलाई, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३८५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गया बख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रताप बहादुर सिंह, श्री

प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वर प्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसेन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पान्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मी नारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (ख.र.)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पान्डेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरी लाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २२ जुलाई, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पूर्वी जिलों की खाद्य-स्थिति के संबंध में देवरिया व बलिया के जिलाधीशों का प्रजा समाजवादी नेताओं से मिलने से कथित इन्कार

**१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार का ध्यान श्री गंगाशरण सिंह, एम०पी०, श्री अशोक मेहता, एम०पी० व श्री एन० जी० गोरे, एम० पी० के द्वारा पूर्वीय उत्तर प्रदेश में अभाव की संकटापूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में लखनऊ में तारीख ६ जुलाई, १९५८ को दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां ।

**२--श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपर्युक्त संयुक्त वक्तव्य में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यों तो खाद्य-समस्या के सम्बन्ध में समय-समय पर सरकारी वक्तव्य निकलते रहे हैं परन्तु श्री राज्यपाल के सम्बोधन पर जो वाद-विवाद होगा उसके सिलसिले में सरकार जो कुछ कर रही है और करने जा रही है उसका विस्तृत वर्णन आ जायगा। सुझावों का सम्बन्ध भी इसी विषय से है ।

मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं कि यदि एक दिन और बढ़ेगा खाद्य-स्थिति पर विवाद करने के लिये तो उसमें भी यह आ जायगा ।

**३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि उपर्युक्त संसद्-सदस्यों के डेपुटेशन से बलिया व देवरिया के जिलाधीशों ने मिलने से इनकार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी शिकायत की गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कोई पूरक प्रश्न करूं मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या ३ और उसके उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरा प्रश्न संख्या ३ इस प्रकार था कि क्या सरकार को सूचना है कि उपर्युक्त संसद् सदस्यों के डेपुटेशन से बलिया व देवरिया के जिलाधीशों ने मिलने से इनकार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? इसका उत्तर आया है कि हां, शिकायत आयी है । 'क्यों' का उत्तर नहीं आया है । तो मैं इसका पूरा उत्तर चाहता हूं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो उत्तर हमारे लिये देना सम्भव था मैं समझता हूं वह हमने दे दिया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, "यदि हां, तो क्यों," इसका उत्तर तो पूरा आया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप पूरक सवाल कर सकते हैं जिसके उत्तर में कुछ सफाई हो सकती हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शिकायत उनके पास आयी उस पर कोई जांच की ? यदि हां, तो उन जिलाधीशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जांच की और जिलाधीशों का कोई अपराध साबित नहीं हुआ इसलिये कोई कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जांच के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष निकला या जो तथ्य उनको मिला उसको क्या माननीय मुख्य मंत्री सदन के सामने बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक बलिया की बात है, दो तरह की बातें कही जाती हैं । एक तरफ यह कहा जाता है कि उनसे कहा गया कि हम मिलना चाहते हैं लेकिन उन्होंने मिलने से इन्कार किया । दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि मुझसे यह कहा गया कि आप जहां पर सदस्य लोग ठहरे हुये हैं इन्सपेक्शन हाउस में वहां पर आइये और अपने बयान को रेकार्ड कराइये । कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे हम एक को सही कहें और दूसरे को गलत कहें । इसलिये हमने जवाब गोल शब्दों में दिया कि शिकायत आयी । मैं किसी को झूठा नहीं कह सकता जब तक कि हमारे पास स्पष्ट प्रमाण न हों ।

देवरिया की बाबत यह है कि यह सही है कि देवरिया के कलेक्टर ने लिखा है कि मैंने मिलने से इन्कार किया और उन्होंने वजह उसकी यह दी है कि जो ५ सदस्य थे उस कमेटी के उसमें से कम से कम एक सदस्य ने—मैं दूसरी बात कह गया—उन्होंने अपनी राय दे रखी थी । दूसरी बात वह यह कहते हैं कि उस कमेटी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गयी कि आप मिलें । दो एक सज्जन जो उनसे मिलने गये थे उन्होंने बात-बात में चर्चा की थी कि आप मिल लें तो अच्छा है । कमेटी ने किसी वक्त नहीं कहा कि आप मिलें ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया के कलेक्टर से बातचीत करने के सिलसिले में जो बात सरकार को मालूम हुई उस पर कोई राय कायम करने से पहले सरकार ने उन लोगों से पूछना मुनासिब क्यों नहीं समझा जिनकी वजह से यह बात शुरू हुई और जिनके लिये यह कहा गया कि उन्होंने डाक बंगले में कलेक्टर को तलब किया था गवाही देने के लिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर माननीय सदस्य का मतलब हो उन ५ आदमियों की कमेटी के सदस्यों से तो उनमें से मेरे पास दो सदस्यों का खत आया है। उसमें उन्होंने अपनी बात लिख दी है। उन्होंने उसी बात को लिखा जिसका मैंने जिक्र किया। तो फिर जबानी पूछने की कोई जरूरत पैदा नहीं होती।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मुख्य मंत्री जी न अभी कहा कि उस कमीशन के सदस्यों से दो-तीन दिन पहले स्थिति को बतला दिया था, तो वे कौन से सदस्य थे जि देवरिया के कलेक्टर ने बतलाया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि देवरिया के कलेक्टर ने किसी सदस्य को स्थिति की जानकारी कराई।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब इस बात का निश्चय नहीं हो सका कि कलेक्टर को वहां बुलाया गया या कमीशन के सदस्यों ने कहा कि हम मिलना चाहते हैं तो क्या यह जांच जारी रहेगी और सरकार सही नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। हम किसी को झूठा नहीं कहते हैं। कुछ गलतफहमी हो गई है इसलिये बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो सुझाव कमीशन ने बताये हैं उनमें से किनको कार्यान्वित किया जा रहा है बताने की कृपा करेंगे क्योंकि राज्यपाल महोदय के भाषण में सिवाय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के और कोई जिक्र नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्यपाल महोदय के भाषण में गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जिक्र है, फूड का जिक्र है, स्केयरसिटी का जिक्र है। इसलिये जब बहस होगी तो इनका जिक्र जरूर होगा और जो बयान पांच सज्जनों ने दिया है उसका जिक्र भी आ जायगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि बलिया सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री जगन्नाथ शास्त्री ने कार्य-क्रम को तय करने के लिये २३ जून को एक पत्र जिलाधीश को लिखा था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं कह सकता।

विभिन्न जिलों में प्राप्य खनिज पदार्थ

**४—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के किन-किन जिलों से खनिज पदार्थों की प्राप्ति की सम्भावनाओं की सूचनायें प्राप्त हुई हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४६ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सूची में जिन स्थानों पर खनिज पदार्थों के मिलने की बात कही गई है, उनके अलावा गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों के बारे में भी सूचना मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नहीं, मुझे ऐसी सूचना नहीं मिली।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—हमारे सामने वह सूची नहीं है जिसका जिक्र मुख्य मंत्री जी ने किया, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या शाहजहांपुर में किसी खनिज-पदार्थ के अथवा तेल के उपलब्ध होने की सम्भावना सरकार को हुई है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है। मुख्य मंत्री जी पढ़ दें तो अच्छा हो क्योंकि और लोग भी जानना चाहेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तक जिन चीजों का पता चला है वह यह हैं कि:—

१—एसबसटस	गढ़वाल
२—मिट्टियां	मिर्जापुर, बांदा
३—तांबा	गढ़वाल, अल्मोड़ा
४—जिप्सम	नैनीताल, देहरादून, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल
५—लोहा	नैनीताल, गढ़वाल
६—सीसा	गढ़वाल, देहरादून
७—लाइमस्टोन	देहरादून, टेहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, मिर्जापुर
८—मार्ल	लखनऊ, उन्नाव
९—काल्क टूफा	बांदा
१०—सोप स्टोन	अल्मोड़ा
११—गंधक	गढ़वाल, देहरादून
१२—क्वार्टज	बांदा

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री जी विशेषज्ञों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस समय नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर खनिज पदार्थों के उपलब्ध होने की बात कही गई है उनमें से किन-किन को प्राप्त करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी आरम्भ कहीं नहीं किया गया इसलिये कि माननीय सदस्य को मालूम है, उन्होंने जब बजट पास किया था तब देखा होगा कि हमारा जिआलोजी सेक्शन बहुत छोटा है। उसमें अधिक सामान और आदमी नहीं हैं। इसलिये पहले हम जांच करके देखते हैं कि कहां-कहां खनिज पदार्थ हैं जिनको निकालना चाहिये। उसके बाद गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को खबर करनी होती है। उनके पास सामान और आदमी ज्यादा हैं। वह आकर देखते हैं कि कहां पर खनिज पदार्थ इतना है कि जिसको खोदना इकनामिकल होगा। खाली पता लगा है। वह सूचना हम उनके पास पास आन कर देते हैं।

अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों द्वारा उपाध्यक्षों को अधिकार हस्तान्तरित करने के संबंध में सरकारी पत्र

**५—श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने कोई परिपत्र प्रत्येक जिले की अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों के पास उपाध्यक्ष को अधिकार डेलीगेट करने के विषय में भेजा है ? यदि हां, तो वह कब भेजा गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों द्वारा उपाध्यक्षों को अपने अधिकारों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधीशों को उनके नाम से एक गोपनीय अर्धशासकीय पत्र ९ मई, १९५८ को भेजा गया था।

**६—श्री लालबहादुर सिंह—क्या यह परिपत्र परिषद् के सदस्यों के लिये भी गोपनीय है ?

श्री रामस्वरूप यादव—शायद माननीय सदस्य को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि जो पत्र किसी के नाम से भेजे जायें और फिर वे गोपनीय भी हों तो ऐसे पत्र के बारे में किसी को कुछ भी बताना नियम विरुद्ध है।

**७—श्री लालबहादुर सिंह—क्या यह सही है कि जौनपुर जिला परिषद् के अध्यक्ष ने इस परिपत्र के विषय में तथा उसके प्राप्त होने की तिथि भी परिषद् के सदस्यों से बताने से इनकार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्षों के पास भेजा गया है कि वह अपने अधिकारों में से कुछ उपाध्यक्षों को हस्तांतरित करें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इस विषय में उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है ।

श्री रामायणराय—कौन-कौन से अधिकारों को हस्तांतरित करने के लिये पत्र भेजा गया है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि उन्हीं के ऊपर छोड़ा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अध्यादेश की धारा ७(२) के अनुसार जो पावर्स का डेलीगेशन रखा गया है उसके अलावा दफा ४३ और ४६ के अन्तर्गत पावर्स डेलीगेट करने का आदेश हुआ है या किसी और धारा के अनुसार?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो अधिकार अध्यक्ष के हैं सिर्फ उनको डेलीगेट करने की बात है । यह उनके विवेक पर छोड़ा गया है । वह जैसा उचित समझें करें अपनी जिम्मेदारी को महसूस और अनुभव करते हुये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि बजाय उपाध्यक्ष को कोई पावर डेलीगेट करने के एग्जिक्यूटिव कमेटी को पावर्स दी जांय ताकि अध्यक्ष उनका दुरुपयोग न कर सकें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एग्जिक्यूटिव कमेटी की जो पावर्स होंगी वह अध्यक्ष की पावर्स से बहुत ज्यादा होंगी । इसलिये उसको डेलीगेट करने का सवाल उठता ही नहीं है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि जिला परिषद् के जो उपाध्यक्ष हैं वह पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ही हैं और अधिकांश जिलों में ९५ परसेंट चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस विषय में राजनारायण जी की जानकारी सरकार से कहीं ज्यादा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी के पास प्रदेश से अनेक पत्र आये हैं और यह मांग आयी है कि उपाध्यक्षों को पावर डेलीगेट न की जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अनेक ऐसी भी मांगें हैं कि उनको पावर डेलीगेट की जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यकारिणी को इस अध्यादेश से अधिक अधिकार देते हुये भी क्या इस परिपत्र के द्वारा कुछ अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता है । कानून के बरखिलाफ कुछ भी न करने के लिये कहा गया है और माननीय सदस्य कानून को पढ़ लें और देख लें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उनके कामों में सहूलियत पैदा करने के लिये ।

माताटीला बांध व्यय संबंधी जांच समिति की नियुक्ति

**८---श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उसने माताटीला बांध में एस्टीमेंट से अधिक व्यय होने के सम्बन्ध में जांच कराने के लिये कमीशन बैठाया था ? यदि हां, तो उसकी जांच का क्या फल हुआ ?

सिंचाई राज्यमंत्री (श्री राममूर्ति)---जी हां, माताटीला बांध में एस्टीमेट से अधिक व्यय होने के सम्बन्ध में जांच कराने के लिये एक इंक्वायरी कमेटी नियुक्त हुई है ।

उस कमेटी की रिपोर्ट अपेक्षित है ।

श्री रमानाथ खैरा---क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर यह बतायेंगे कि माताटीला बांध के एस्टीमेट से कितना अधिक रुपया उसमें व्यय हो गया है ?

श्री राममूर्ति---सन् १९५१ नवम्बर में चीफ इंजीनियर इर्रीगेशन की तरफ से एक प्रपोजल आया कि माताटीला बांध ४ करोड़ में बन जायगा । गवर्नमेंट ने उसको मान लिया । जब डिटेल्ड एस्टीमेट की दूसरी रिपोर्ट आई सन् १९५४ के जुलाई में तो मालूम हुआ कि ७,९९,३४,००० रुपया उसमें खर्च हुआ तो फिर इस मसले को देखा गया और खतोकिताबत जारी रही । बाद में यह पता लगा कि १०,२१,००,००० रुपया खर्च होगा और आखिर में यह मालूम हुआ कि ११,३९,००,००० रुपया इस पर खर्च होगा । चूंकि यह मसला गम्भीर हो गया इसलिये इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने फाइनेन्स डिपार्टमेंट से बातचीत की और यह मुनासिब समझा गया कि इसके ऊपर एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाय । माननीय मुख्य मंत्री की इजाजत से इस पर एक इन्क्वायरी कमेटी बिठा दी गई है और उम्मीद की जाती है कि उसकी रिपोर्ट सितम्बर के आखिर तक आ जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या फाइनेंन्स डिपार्टमेंट ने माननीय सिंचाई मंत्री को इन्क्वायरी के सिलसिले में यह भी बतलाया था कि यह एस्टीमेट इसलिये ज्यादा हो गये कि डिटेल्ड एस्टीमेट समय से नहीं बनाये गये थे ?

श्री राममूर्ति---उसकी डिटेल तो इस समय सामने नहीं है । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि यह डिटेल का मसला है और गम्भीर मसला है इसलिये इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाय जो डिटेल में मालूमात करे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह इन्क्वायरी कमेटी कब नियुक्त की गई और कौन-कौन लोग इसके सदस्य हैं ?

श्री राममूर्ति---जहां तक मुझे खयाल है कमेटी अप्रैल में नियुक्त की गई थी । उसके चेयरमैन श्री बी० बी० लाल, फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं और उसके सदस्य हैं एक मिस्टर मित्रा, मिस्टर बिष्ट और एक मिस्टर हंसराज, जो हमारे विभाग के हैं ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अब तक माताटीला पर कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितना रुपया व्यय होना है और कितना काम बाकी है ?

श्री राममूर्ति---माताटीला पर अभी करीब-करीब ढाई, तीन करोड़ रुपया खर्च होना बाकी है । गेट्स लगने हैं और जो मध्य प्रदेश की तरफ नहरें बननी हैं उनमें मेन कैनाल तो बन गई है, लेकिन अभी फीडर कैनाल्स बननी हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध के प्लान में क्या कोई कमीबेशी या रद्दोबदल की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । प्लान में कोई कमीबेशी नहीं की गई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि सेन्ट्रल पावर कमीशन ने माताटीला बाँध में जो पावर हाउस था उसको कम कर दिया है ?

श्री राममूर्ति—मैं सिंचाई संबंधी सवालों का उत्तर दे रहा था । पावर के लिये रुपया और फारेन एक्सचेंज मिलने में दिक्कत हो रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी किस सन् में मुकर्रर की गई थी ?

श्री राममूर्ति—इसी सन् १९५८ के अप्रैल में ।

श्री रमानाथ खैरा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो ढाई करोड़ रुपया आगे इस पर खर्च होने वाला है उसमें क्या यह पावर हाउस का खर्च भी शामिल है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । इस में सिर्फ बघेल कैनाल और गेट्स लगने की बात है ।

झांसी जिले में महरौनी थाने के श्री नारायणसिंह कान्स्टेबिल की 'छली राजा' डाकू के हाथों मृत्यु

**९—श्री गज्जूराम—क्या यह सच है कि थाना महरौनी, जिला झांसी के एक कान्स्टेबिल की मृत्यु जून, १९५८ में चार्ली राजा डाकू के द्वारा गोली मारने से हुई ? यदि हां, तो उसका नाम क्या था और उसकी कितने दिन की सर्विस थी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, पर डाकू का नाम जिसके द्वारा सम्बन्धित कान्स्टेबिल की मृत्यु ३-६-५८ को हुई "छली राजा" है । मृतक कान्स्टेबिल का नाम नारायण सिंह था और उसने मृत्यु के दिन तक ८ वर्ष ११ माह तथा १६ दिन की राजकीय सेवा कर ली थी ।

**१०—श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त कान्स्टेबिल की पत्नी तथा अन्य सम्बन्धियों को सरकार द्वारा क्या सहायता पहुंचाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्वर्गीय कान्स्टेबिल नारायण सिंह के आश्रितों को १,०००रुपया पुलिस बेनेफिट फन्ड से दिया जा चुका है तथा असाधारण पेंशन एवं पुलिस मेडल दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे पुलिस के जो सिपाही मारे जाते हैं उनके सम्बन्धियों को सरकार क्या पेंशन देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी सहायता भी की जाती है, जैसा कि आपने देखा और उनको पेंशन भी नियमानुसार दी जाती है ।

श्री गज्जूराम—मैंने सरकार से यह निवेदन किया है कि उनके सम्बन्धियों को सरकार क्या पेंशन देती है ?

श्री अध्यक्ष—पेंशन नियम के अनुसार सरकार देती है, यह जवाब काफी है ।

उर्दू को क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

**११—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की मान्यता देने के लिये सरकार के पास किसी संस्था द्वारा स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं । परन्तु अंजुमने तरक्किये उर्दू की विभिन्न शाखाओं, जिला जमायते उलेमा, सहारनपुर, भारतीय संघ मुस्लिम लीग, मदरास और कुल हिन्द सहरोजा उर्दू कान्फ्रेंस, बरेली द्वारा पारित प्रस्ताव अवश्य प्राप्त हुये हैं ।

इस सम्बन्ध में सरकार की नीति समय-समय पर सदन में तथा सदन के बाहर स्पष्ट की जा चुकी है । अभी हाल में ही इस सम्बन्ध में एक सरकारी विज्ञप्ति निकली है, जिसकी प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४७-१४८ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो अभी विज्ञप्ति प्रकाशित की है उससे यह अर्थ निकाला जाय कि उसने उर्दू को रीजनल भाषा मान लिया है ? अगर नहीं तो इसे मानने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य ने देखा होगा कि उसमें रीजनल लेंगुएज का शब्द कहीं भी नहीं है । अगर रीजनल लैंग्गुएज मानने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा स्थान या रीजन है जहां की खास तौर से भाषा उर्दू है, तो यहां ऐसा कोई रीजन नहीं है । इसलिये रीजनल लैंग्गुएज मानने का कोई अर्थ नहीं होता ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कोई ऐसा भी स्मृति-पत्र आया है जिसमें लिपि देवनागरी और भाषा मिली जुली हिन्दुस्तानी की मांग की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे स्मृति-पत्र का मुझे पता नहीं है । जहां तक हिन्दुस्तानी भाषा की बात है, हम उन्हीं १४ भाषाओं को जानते हैं जिनका नाम संविधान में है । उसमें किसी हिन्दुस्तानी भाषा का जिक्र नहीं है, इसलिये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता ।

चीनी मिलों पर सेस का बकाया

**१२--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में किस-किस मिल पर सरकार का सेस का कितना-कितना रुपया बकाया है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--१ जुलाई, १९५८ को इस प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा सेस का रुपया जो भुगतान किया जाना शेष है, उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४९-१५० पर)

**१३--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त बकाया सेस की वसूली के निमित्त सरकार की ओर से क्या-क्या कदम किस-किस फैक्टरी के विरुद्ध उठाये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--गन्ना आयुक्त ने यू० पी० सेस ऐक्ट, १९५६ की धारा ३(६) के अन्तर्गत इस बकाया सेस की वसूली के लिये जिन फैक्टरियों के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये हैं, उनका विवरण उक्त सूची में दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त जिन फैक्टरियों ने १९५७-५८ सीजन या उसके पूर्व के बकाया सेस का भुगतान कर दिया है उन्हें शेष रकम की अदायगी के लिये मई से सितम्बर, १९५८ तक किस्तों में अदा करने के लिये समय दे दिया गया है ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी उन फैक्ट्रियों की सूची भी बतावेंगे जिन्हें बार-बार मौका दिये जाने पर भी उन्होंने अदा नहीं किया और उनके विरुद्ध कुर्की, नीलाम आदि की कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जिनके लिये रिकवरी सर्टीफिकेट दिये हैं उनकी सूची माननीय सदस्य को भेज दी गई है ।

श्री मदन पांडेय--जिनके खिलाफ कुर्की और नीलाम की कार्यवाही हुई है उनकी सूची में चाहता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अभी तक यह प्रश्न नहीं उठा है। हाल ही में, १९५६ में, यह ऐक्ट पास हुआ। उनके कुछ रिप्रेजन्टेशन्स आये और उन्हें रियायतें दी गईं, काफी सहूलियत दी गई। मगर अब कुछ सख्ती की जा रही है।

श्री मदन पांडेय--जिन फैक्ट्रियों को किस्त से अदा करने का मौका दिया गया है और किस्त भी अदा नहीं की, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जैसे लैंड रेवेन्यू वसूल होती है उसी तरह से उनके लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिये गये हैं और सितम्बर तक सब वसूल हो जायगा।

श्री गेंदा सिंह--क्या मेहरबानी करके यह बता दिया जायगा कि कुल रकम कितनी है और किस-किस वर्ष की बाकी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--३ करोड़ ५४.३६ लाख के करीब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कितनी फैक्ट्रियों पर यह बकाया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--५० पर।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या शाहजहांपुर रोजा फैक्ट्री भी बाकीदारों में शामिल है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह लम्बी लिस्ट है, आप आफिस में आकर देख सकते हैं, इस समय देखने में देर लगेगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिनके खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये गये हैं उन पर कार्यवाही चल गई है या और किसी प्रार्थनापत्र के जरिये कार्यवाही रुक गई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कार्यवाही चली हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या कोई ऐसा संशोधन लाने के लिये सरकार के विचाराधीन है कि जिससे सेस जल्दी वसूल हो जाय जैसे लैंड रेवेन्यू की बकाया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पहले फैक्ट्रीज ऐक्ट में यह था उसे रिपील कर के दूसरा कानून लाये जिसे हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कर दिया। फिर सन् १९५६ में नया सेस ऐक्ट आया जिससे जल्दी वसूल हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---यह बकाया पिछले कितने वर्षों से है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सन् १९५३ से यह झगड़ा चल रहा था। वे हाईकोर्ट से कई बार इस कानून के खिलाफ इन्जन्कशन लाये कि सरकार वसूल नहीं कर सकती है। अभी तक करीब ५ परसेन्ट बाकी है, और सब वसूल हो चुका है।

तारांकित प्रश्न

वन विभाग से भूमि रिलीज कराने के सम्बन्ध में राजकीय आज्ञापत्र

*१--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या वन विभाग से सम्बन्धित जी० ओ० नं० ५३८०/१४--३३३, १९५२ दिनांक १९ दिसम्बर, १९५६ के अन्तर्गत भूमि के वन विभाग

से रिलीज करने का अधिकार उक्त विभाग के अधिकारियों को ही दिया गया है जो इस सम्बन्ध के मुकद्दमात में प्रतिवादी होते हैं ?

*२--क्या जी० ओ० नं० ५३८०/१४--३३३-१९५२ के पहले के फैसल मुकद्दमात वाले मामलों पर भी दूसरी भूमि की भांति जिनके मुकद्दमात फैसल नहीं हुये थे उक्त जी० ओ० लागू होता है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--वन विभाग का राजकीय आज्ञा-पत्र संख्या ५३८०/१४—३३३-१९५२, दिनांक १९ दिसम्बर, १९५६ रद्द कर दिया गया है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब तक वह जी० ओ० जारी था तब तक भूमि को रिलीज करने का अधिकार विभागीय अधिकारियों को ही था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, लेकिन वह केवल आदेशात्मक था ।

जिला बोर्ड, आजमगढ़ द्वारा बनने वाले पुल का काम रोकना

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चांद पट्टी, जिला आजमगढ़ में नव-निर्मित पुल, जो सम्प्रति बाढ़ विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है उसके पूर्व १०० गज की दूरी पर जिला बोर्ड, आजमगढ़ द्वारा पुल बनवाया जा रहा था ? यदि हां, तो उसके बन्द कर देने का कारण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुल का निर्माण जनता के चन्दे से जिलाधीश तथा जिला नियोजन अधिकारी के निरीक्षण में जिला बोर्ड के इन्जीनियर के टेक्निकल सलाह से हो रहा था, जो पर्याप्त चन्दा न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया ।

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस पुल के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुल के निर्माण में कुल ८,७०९ रुपया ६ आना ६ पाई व्यय हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि पुल बनाने के लिये जो कुएं धंसाये जा रहे थे उनके टेढ़े हो जाने के कारण वहां पुल बनना बन्द हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरी सूचना यह नहीं है । मेरी सूचना यह है कि वहां चंदा इतना था ही नहीं कि जिससे पुल बनाया जा सकता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह पुल जो नया बना है, वह जनता, जिला बोर्ड और प्लानिंग विभाग के पैसे ही से बना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वहां से जो चन्दा हुआ, प्लानिंग विभाग ने जो अनुदान दिया और जिला बोर्ड ने जो रुपया स्वीकार किया उसी से यह बना है ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--इन दोनों उत्तरों में कौन-सा सही है क्योंकि एक में कहा गया है कि चन्दा पर्याप्त नहीं हुआ और दूसरे में स्वीकार किया गया है कि चन्दे से, जिला बोर्ड और प्लानिंग विभाग के चन्दे से बना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--पेश्तर यह अनुमान लगाया गया था कि उसमें तीस हजार रुपया खर्च होगा, लेकिन इन तीनों की रकमों को मिला कर भी इतना रुपया नहीं होता था ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कुछ विशेष अनुदान प्लानिंग विभाग या जिला बोर्ड और दे देता तो पुल बन कर तैयार हो जाता ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह विषय अन्तरिम जिला परिषद् से संबंधित है। यह प्रश्न वहीं उठाया जा सकता है। श्री रामसुन्दर जी पांडेय उसके सदस्य हैं।

*५-६---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---[हटा दिये गये।]

टेहरी-गढ़वाल जिले के मुन्सिफ-कम-खन्ड मन्डलाधीश के विचाराधीन मुकदमे

*७---श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की जिला टेहरी-गढ़वाल के मुन्सिफ-कम-खंड मडलाधीश, उत्तर काशी की अदालत में इस समय दीवानी, फौजदारी, कलक्टरी और मुतफ़र्रिक़ात (miscellaneous) अलग-अलग कुल कितने मुकदमे चल रहे हैं और सन् १९५७ के अन्त तक कुल कितने मुकदमे फैसल हुये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---एक तालिका नत्थी "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५१ पर।)

*८---श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के समस्त खंड मन्डलाधीश-कम-मुन्सिफों, सिटी मैजिस्ट्रेट, नरेन्दनगर कम मुन्सिफ व तहसीलदार मुन्सिफों की अदालतों में कुल कितने-कितने दीवानी इजराए व मुतफर्रिकात (miscellaneous) दीवानी के मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---एक तालिका नत्थी "ख" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५१ पर।)

*९---श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि इस जिले में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल के पुराने दीवानी के मुकदमे अभी तक मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जल्द से जल्द इस जिले में अलग मुन्सिफ देने को कृपा करेगा ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं। इस जिले में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल के पुराने दीवानी के मुकदमें नहीं हैं, सब से पुराने मुकदमें १९५४ के हैं तथापि टेहरी में एक अलग मुंसफी कायम करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

शाहजहांपुर जिले में नगला देहा ग्राम के निकट नाले पर पुल की आवश्यकता

*१०---श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---क्या यह सही है कि ग्राम नगला देहा एतमाली व कनहनी, परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर में दरिया रामगंगा से जो नाला निकलता है उस पर पुल बनाने की सरकारी योजना थी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---जी नहीं।

*११---श्री रूर्मासिह---क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष सरकार की ओर से नाव का प्रबन्ध बरसात के दिनों में होता था और इस वर्ष स्थानीय लेखपाल द्वारा नाव के लिये जनता से रुपया वसूल करने के बाद भी नाव का प्रबन्ध नहीं किया गया ?

श्री गिरधारी लाल---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---लेखपाल द्वारा जनता से नाव के लिये कोई रुपया वसूल नहीं किया गया।

*१२—श्री रूर्मासिह—क्या सरकार वहां पर फिलहाल नाव का प्रबन्ध करने तथा स्थायीरूप से पुल बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

श्री रूर्मासिह—क्या सरकार यह बताये गी कि लेखपाल ने रुपया वसूल किया है या नहीं और किस अधिकारी के मार्फत सरकार ने इसकी जांच करायी ?

श्री गिरधारी लाल—आपने यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण मंत्री से पूछा था। उस विभाग से हमने जानने की कोशिश की। वहां इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब माननीय मंत्री जी खासतौर पर इसकी जरूरत महसूस करते हैं तो क्या वे क्रासिंग पर पुल बनवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—पुल की जरूरत तो सभी महसूस करते हैं, लेकिन धनाभाव के कारण जितने पुल बनवाना चाहते हैं नहीं बनवा पा रहे हैं।

श्री रूर्मासिह—क्या सरकार लेखपाल की इस हरकत की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—मेरे पास यह इत्तला है कि किसी प्रकार का रुपया इकट्ठा नहीं किया गया। इसलिये मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जंगली जानवरों की रक्षा के लिये काम

*१३—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों की रक्षा-हेतु जो सप्ताह मनाया गया, उसमें सरकार का क्या खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस वर्ष उत्तर प्रदेश वन विभाग में जंगली जानवरों की रक्षा-हेतु जो सप्ताह मनाया गया है उसमें सरकार का कुल खर्चा ११,९६२ रुपया हुआ।

*१४—श्री गनेशीलाल चौधरी—जंगली जानवरों के बचाने हेतु सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वन विभाग ने जंगली जानवरों के बचाने हेतु जो जो मुख्य कदम उठाये हैं उनमें से कुछ नीचे लिखे हैं :—

(१) समस्त वनों को पांच आखेट रक्षक क्षेत्रों (Game Regions) में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक-एक गेम वार्डन नियुक्त किया गया है। इस संगठन के लिये एक चीफ गेम वार्डन भी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक गेम वार्डन को एक जीपकार दी गई है और पुलिस विभाग से एक हेड कान्स्टेबुल और ३ कान्स्टेबुल दिये गये हैं। ये गेम वार्डन के साथ रहते हैं और गैर-कानूनी आखेट की रोकथाम में सहायता देते हैं।

(२) वन-जन्तुओं की रक्षा-हेतु नेशनल पार्क या वन पशु विहार केन्द्रों की व्यवस्था की गई है।

(३) जंगलों के आस-पास के गांवों में जाकर गेम वार्डन सार्वजनिक सभायें कराते हैं और जनता से जंगली जानवरों की रक्षा करने का अनुरोध करते हैं और इनकी रक्षा करने से जो जो लाभ होते हैं उन्हें बताते हैं।

(४) गेम वार्डन वनों में पोचरों को (चोरी से शिकार खेलने वालों) पकड़ने के लिये रात को भी गश्त करते हैं जिससे नाजायज शिकार खेलना बहुत कुछ कम हो गया है ।

(५) जिन वनों में जंगली जानवर तथा पक्षी कम हो गये हैं या उनके बिलकुल नष्ट होने की संभावना हो उनको बचाने हेतु व्यवस्था भी की जा रही है। उनका मारना कुछ नियमित-काल के लिये बन्द किया जाता है ।

(६) कुछ डिवीजनों में फिल्म, लेक्चर इत्यादि द्वारा प्रचार किया जाता है जिसमें जंगली जानवरों और उनके संरक्षण के लाभ को दिखाया जाता है ।

(७) वाइल्ड लाइफ सप्ताह मनाया जाता है जब प्रचार के अन्य साधनों के अतिरिक्त जंगली जानवरों के संरक्षण की प्रतीक्षा की जाती है। वन पशु संरक्षण वृत्त (circle) के पुनर्संगठन पर सरकार विशेष रूप से विचार कर रही है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ५ आखेट रक्षक क्षेत्र कौन-कौन से उत्तर प्रदेश में बनाये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना इस समय नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गजटेड आफिसरों से लेकर मंत्रियों तक, कितने लोगों ने इस राज्य में शिकार खेला और इस साल कितने जानवर मारे गये हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गेम वार्डेन्स की पोस्ट को समाप्त करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—समाप्त बिलकुल तो नहीं की जायगी, लेकिन उनकी तादाद कम कर दी जायगी ।

मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी टाउन एरिया के मेहतरों को वेतन न मिलना

*१५—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि जिला मुजफ्फरनगर के पुरकाजी टाउन एरिया के मेहतरों को कई मास से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, मार्च सन् १९५८ से इन मेहतरों का वेतन नहीं दिया जा रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि इस टाउन एरिया में टैक्स की वसूली में शिथिलता रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी जिससे पुरकाजी टाउन एरिया के मेहतरों का पांच महीने का वेतन मिल सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिले से ऐसी रिपोर्ट आयी है कि प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी टैक्स वसूल हो जाय और वसूली होते ही उनकी तनख्वाह जो है वह दे दी जाय ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि टैक्स की वसूली में कुछ विलम्ब लगेगा, तो क्या उसके पूर्व वे कोई ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—वेतन तो उसी टाउन एरिया को देने की जिम्मेदारी है कि जहां तक सम्भव हो, जल्दी वेतन दे सकें। लेकिन वे भी प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी उनको अदा कर दिया जाय।

[हल्द्वानी, जिला नैनीताल में खेड़ा पाइप लाइनों पर व्यय

*१६—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हल्द्वानी, जिला नैनीताल में खेड़ा पाइप लाइन के निर्माण पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—खेड़ा गांव में दो पाइप लाइन हैं—एक पूर्वी खेड़ा लाइन और दूसरी पश्चिमी खेड़ा लाइन। पूर्वी खेड़ा पाइप लाइन में ४०,००० रुपये तथा पश्चिमी खेड़ा पाइप लाइन में २१,२४९ रुपये खर्च हुए।

*१७—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि उपर्युक्त पाइप लाइन में आजकल पानी नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—पूर्वी खेड़ा लाइन सुचारु-रूप से चल रही है और यह सही है कि पश्चिमी लाइन में पूरी दूरी तक पानी नहीं चल रहा है। पानी न चलने का कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों ने अपनी-अपनी सुविधा के लिये जगह-जगह पर नलों को तोड़कर पानी लेना आरम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप पानी कुछ हिस्से तक पहुंचने के पश्चात् समाप्त हो जाता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी खेड़ा पाइप लाइन जिसके निर्माण में २१,२४९ रुपया खर्च हुआ है, कब बनी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये तो श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि यह पाइप लाइन ठीक प्रकार से चल सके, इस हेतु इस पाइप लाइन को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस पाइप लाइन को चलाने का उत्तरदायित्व वहां की ग्राम सभाओं के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है कि वे उनको सुचारु-रूप से चलावें और यदि उनमें कोई खराबी हो या कहीं कुछ टूट गया हो तो उसको ठीक करावें।

मैनपुरी-इटावा सड़क की खराब हालत

*१८—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी से इटावा जाने वाली सड़क की दशा खराब है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*१९—श्री मलिखान सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार उसको ठीक करने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क पर कुछ कार्य रखरखाव के अन्तर्गत तथा कुछ कार्य पश्चिमी ज़िलों की सड़कों के सुधार की योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

श्री मलिखान सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सड़क के रखरखाव का काम कब से प्रारम्भ होगा और कब समाप्त हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—मेरा खयाल है कि काम इसी वर्ष इसमें शुरू किया जायगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह इटावा से मैनपुरी तक जो सड़क है इसकी मरम्मत कब से नहीं हुई ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी मरम्मत थोड़ी बहुत तो हमेशा होती रहती है । यह डामर की सड़क नहीं है और इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत अधिक है । खास कर सर्दियों के दिनों में जब धान बहुत ज्यादा आता है उसकी वजह से यह जल्दी टूट जाती है और इसी वजह से हमेशा कुछ न कुछ मरम्मत होती रहती है ।

बादशाहपुर, जिला जौनपुर से अकबरपुर, जिला फैजाबाद को जानेवाली कच्ची सड़क को पक्की कराने की मांग

*२०—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला जौनपुर में बादशाहपुर से सुजानगंज, बदलापुर, घनश्यामपुर, खुटहन, सराय मोहदी, संसार पट्टी होती हुई अकबरपुर, जिला फैजाबाद को जाने वाली कच्ची सड़क को पी० डब्ल्यू डी० के अधीन करके पक्की कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक उस पर कार्य आरम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ३ जिले, सैकड़ों गावों और बीसियों बाजारों को जोड़ने वाली सड़क है ऐसी महत्वपूर्ण सड़क अभी तक पक्की क्यों नहीं कराई गई ?

श्री गिरधारी लाल—ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको किसी खास सड़क से जोड़ देना चाहिये और रास्ता कायम करना चाहिये लेकिन हमारे इस स्थान से अकबरपुर जाने के लिये एक दूसरी सड़क भी है जो मछलीशहर और जौनपुर होते हुए फैजाबाद जाती है । माननीय प्रश्नकर्त्ता का तात्पर्य जिस सड़क से है उसको लोकल बाडी हा बना सकती है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—अभी इसके लिये कुछ नहीं कहा जा सकता ।

आजमगढ़ जिले में कोपागंज-फतेहपुर-नरजा सड़क पर पुल न होने से कष्ट

*२१—श्री अब्दुल लतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कोपागंज-फतेहपुर-नरजा, जिला आजमगढ़ की सड़क पर पुल कब तक बनाने जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—कथित पुल के निर्माण की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी—क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि इस सड़क पर पुल न होने से जितना व्यय इस सड़क पर हुआ है वह एक हद तक बेकार हो जाता है, सवारियों का आमदरफ्त साल भर नहीं हो सकती और बरसात में आदमी भी आ-जा नहीं सकते ?

श्री गिरधारी लाल—जहां इस प्रकार के पुल नहीं हैं वहां इस तरह की दिक्कत तो होती ही है ।

बदायूं जिले में मुजरिया-कछला सड़क का निर्माण-कार्य

*२२—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में मुजरिया-कछला रोड कब तक बन जायेगी ? क्या उक्त सड़क को बनवाने के लिये १९५४–५५ में जो स्वीकृति दी गई थी, वह रद्द कर दी गई है ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—इस सड़क का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरा होने की आशा की जाती है ।

द्वितीय भाग—इस सड़क का निर्माण सरकार द्वारा १९५५–५६ में प्रथम बार स्वीकार हुआ था और उसी स्वीकृति के आधार पर तब से सड़क निर्माण-कार्य चालू है ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार बतलायेगी कि यह सड़क कितने मील बन गई है ?

श्री गिरधारी लाल—इस पर शुरू से आखिर तक इस वक्त अलग-अलग शक्ल में काम हो रहा है । कहीं तो अर्थ वर्क का काम हुआ है, कहीं अर्थ वर्क का काम हो चुका है तो वहां क्लेक्शन का काम हो रहा है और जहां क्लेक्शन का काम हो चुका है वहां कुटाई का काम हो रहा है । इसलिये पूरी सड़क पर अलग-अलग तौर पर काम किया जा रहा है । यह सब देखते हुए इस बात की उम्मीद है कि इसी वर्ष यह काम पूरा हो जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या इस सड़क का कोई एस्टीमेट दिया गया है ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क का एस्टीमेंट २,८३,००० रुपया दिया गया है ।

बदायूं जिले में नरहा नाले का पुल

*२३—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला बदायूं, तहसील दातागंज में नरहा नाले का पुल कब बना और उस पर से सवारियां उतरती हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री टीकाराम—यह सूचना सरकार कब तक दे सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—लगभग २ महीने तो लग ही जायंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय—सूचना एकत्रित करने के पश्चात् क्या सरकार सदन को इस बात की सूचना देगी कि सूचना एकत्रित हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

खाद्यान्नों की कमी व बढ़ती वाले जिलों के संबंध में जानकारी

*२४—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत राशनिंग काल में प्रदेश में कितने जिले अन्न के लिये सरप्लस तथा कितने डेफिसिट जिले थे और अब कितने जिले सरप्लस तथा कितने डेफिसिट हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पिछले राशनिंग काल में रबी खाद्यान्नों की खरीदारी के संबंध में जो जिले सरप्लस या डेफिसिट माने गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

इस समय इन खाद्यान्नों के एक जिले से दूसरे जिले के आयात निर्यात पर कोई रोक टोक नहीं है । इसलिये यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि कौन से जिले अब सरप्लस हैं और कौन से डेफिसिट ।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ १५३ पर ।)

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूची है जिससे मालूम हो सके कि कौन-कौन जिले अन्न के मामले में सेल्फ सफिशियेंट हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो सूची मैंने माननीय सदस्य को दी थी उससे तो केवल यही स्पष्ट होता है कि जिन जिलों से प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में आवश्यकता से अधिक अन्न प्रोक्योर हो जाता था उनको ही सेल्फ सफिशियेंट माना गया और इसके अतिरिक्त तो कोई सूची नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार निश्चित संख्या बतायेगी कि पहले कितने ज़िले सरप्लस थे और कितने डेफिसिट और अब उसमें सरकार ने संख्या में कोई परिवर्तन किया है क्या ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त कोई ताजी लिस्ट इस प्रकार की तैयार नहीं की गई है कि कौन जिले इस वक्त सरप्लस कहे गये हैं और कौन डेफिसिट, लेकिन जो पहले की सूचना थी वही दे दी गयी है ।

श्री गेंदासिंह—इस वक्त जिन जिलों से अन्न बाहर ले जाने की मनाही की गई है वह कौन से ज़िले हैं और क्यों ऐसी मनाही उनके लिये की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मुझे मालूम है वही १४ ज़िले हैं जो पूर्वी जिले कहलाते हैं जहां सिर्फ चावल की मनाही कर दी गई है कि वहां से बाहर न जाये । उसकी वजह यह थी कि चावल की मांग वहां बहुत थी और चावल कहीं से मिल नहीं सकता था इसलिये मुनासिब समझा गया कि कम से कम जो चावल वहां पैदा हुआ है, वह वहीं रहे । इसीलिये मनाही की गई वरना और कहीं मनाही नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्रदेश के कुल जिलों को मिला कर इस समय अन्न के कितने डेफिसिट का मंत्री जी का अंदाज़ा है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके जो आंकड़े लगाये गये हैं, कल जो राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ उससे भी मालूम हुआ होगा कि जो पैदावार पारसाल हुई थी उसके मुकाबले में १६.५ प्रतिशत कम हुई है । इतना ही मैं बता सकता हूं और इस वक्त ऐक्चुअल फिगर्स बता सकना संभव नहीं है ।

*२५—श्री सुखराम दास (जिला फैज़ाबाद)—[२५ जुलाई, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फैजाबाद जिले में वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़

*२६—श्री सुखराम दास—जंगल विभाग द्वारा फैज़ाबाद जिले में सन् १९५७ में कुल कितने नये पेड़ लगाये गये और किन-किन स्थानों पर ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी सूची मेज़ पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५४ पर)

श्री सुखराम दास—जो पेड़ लगाये गये हैं वह किस किस्म के हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सूची में इसका पूरा विवरण है ।

बाराबंकी जिले के अपूर्ण पंचायत घर

*२७—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार बाराबंकी जिले की उन सभी गांव पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनके पंचायत

घर अब तक अपूर्णावस्था में हैं और उसमें यह भी बतायेगी कि वे अभी तक क्यों पूर्ण नहीं हो सके हैं तथा कितना-कितना शासकीय अनुदान उक्त कार्य के लिये संबंधित गांव सभाओं को दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला बाराबंकी को जिन गांव पंचायतों के पंचायतघर अपूर्णावस्था में पड़े हैं, उनके नाम तथा इस कार्य के लिये दिये गये अनुदान की धनराशि की सूची प्रस्तुत है।

पंचायतों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे पंचायत घरों को पूर्णरूप से बनवाने में असमर्थ हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५५-१५७ पर)

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल---क्या यह सत्य है कि इन पंचायतों के पास रुपया न होने पर भी इन पंचायतों ने कोई अनुदान सरकार से प्राप्त किया है ? यदि हां, तो कैसे और क्यों जब कि पंचायतों के पास आधा रुपया लगने की क्षमता होने पर ही सरकार से अनुदान प्राप्त किया जा सकता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियम तो यह है कि यदि कोई गांव इस तरह का कोई कार्य करना चाहता है तो सेल्फ हेल्प योजना के मातहत नियोजन विभाग से रुपया मिल जाता है और कुछ पंचायत कोष से भी मिल जाता है और उसी के अनुसार दिया गया है लेकिन खर्च उससे भी अधिक हो जाता है इसीलिये पूरा नहीं हुआ।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल---क्या सरकार पंचायतों की ज्यादा दशा खराब होने के कारण जिससे नियोजन कार्य में बाधा पड़ती है, नियोजन विभाग से आधा रुपया पाने का प्रतिबन्ध हटाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा तो संभव नहीं हो सकता, नियोजन विभाग से तो जो सेल्फ हेल्प योजना है उसके अनुसार मिल जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि कम्युनिटी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह आदेश जारी किया है कि पंचायत घरों के संबंध में रुपया ग्रान्ट न किया जाय क्योंकि यह अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह आदेश बहुत दिनों से है कि पंचायतघर बनाया जा रहा है तो नियोजन विभाग से रुपया नहीं मिलता है लेकिन पुस्तकालय बनाये या पाठशाला बनायें या कोई और कम्युनिटी सेन्टर बनायें तो वह अनुदान मिल सकता है।

श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक कमेटी का जो रुपया निजी खाते में जमा है उसको पंचायत घर बनाने में खर्च करने की व्यवस्था हो सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियम बना हुआ है कि भूमि प्रबन्धक कमेटी ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्ताव पास करा के खर्च कर सकती है।

सैदपुर-सादात सड़क पर मिट्टी डालने में व्यय

*२८---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर-सादात (गाजीपुर) रोड पर मिट्टी फेंकने में सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री गिरधारी लाल---युद्धोपरान्त सड़क निर्माण योजना में इस सड़क को बनाने के सिलसिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा २४,४०० रु० मिट्टी के कार्य में व्यय हुआ।

*२९—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्य ठेकेदारों द्वारा हुआ है कि पंचायत द्वारा ?

श्री गिरधारी लाल—कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया था ।

*३०—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार शादियाबाद-सैदपुर रोड पर मिट्टी डाल कर ऊंचा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

श्री यमुनासिंह—क्या इस रोड की सदुपयोगिता को देखते हुए सरकार इस सड़क पर कंकड़ बिछवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जैसा कि पहले बताया गया कि यह सड़क तो, कुछ सड़कें और थीं, उनमें से एक है जो सन् ५१ में लोकल बाडीज को वापस हो गई थीं, अब तो यह उनकी ही जिम्मेदारी है, वहां के जो माननीय सदस्य हैं उनसे कहें तो वह बनवाने की कोशिश करें ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सड़क पर कितने घनफुट मिट्टी का काम हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी ।

बांदा जिले में गेड़वा नाला तथा ओहन नदी पर पुलों की आवश्यकता

*३१—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी पहाड़ी-राजापुर रोड के गेड़वा नाला व ओहन नदी में पुल बनाने का ठेका कब दिया और उसमें कब तक काम चालू होगा ?

श्री गिरधारी लाल—ठेका अभी नहीं दिया गया है, यह कहना भी अभी सम्भव नहीं है कि कार्य कब तक आरम्भ किया जा सकेगा ।

*३२—श्री जगपति सिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतावेंगे कि इस रोड में अभी किन-किन मीलों की गिट्टी कुटाई बाकी है और कब तक काम पूरा होगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—मील नं० १, १४ तथा १८ में गिट्टी कुटाई अभी होनी है ।

द्वितीय भाग—अभी ठीक नहीं कहा जा सकता ।

बांसी में राप्ती के पुल की भूमि का प्रतिकर तथा धर्मशाला तक कच्ची सड़क बनाने पर विचार

*३३—श्री पब्बर राम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बांसी, जिला बस्ती में कोई सड़क नये पुल से धर्मशाला तक बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल—बांसी के पुल से धर्मशाला तक एक कच्ची सड़क के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

*३४—श्री पब्बर राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसी, जिला बस्ती में राप्ती पर कोई पुल बन रहा है ? यदि हां, तो क्या जिन लोगों की भूमि एवं फसल की क्षति हुई है उसका प्रतिकर उन्हें दिया गया है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—कथित पुल का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है ।

द्वितीय भाग—आपसी समझौते के द्वारा प्राप्त की गई भूमि का प्रतिकर अधिकतर लोगों को दिया जा चुका है ।

प्रधान ग्राम सभा देवली, जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध गबन की कार्यवाही

*३५—श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम देवली उर्फ देवनगर, डा० गुलावठी, जिला बुलन्दशहर के भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा के खिलाफ १९५३ से गबन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इस सम्बन्ध में कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हो पाई है । प्रयास जारी है ।

बरेली नगरपालिका एवं उसके अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*३६—श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली नगरपालिका एवं उसके अध्यक्ष के विरुद्ध सरकार के पास गत डेढ़ वर्ष में कितनी शिकायतें आईं ? क्या सरकार ने उनकी जांच कराई या कराने को तैयार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार को गत डेढ़ वर्ष में बरेली नगरपालिका एवं उसके अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत सम्बन्धी लगभग १५ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों के अनुस्मारक उक्त संख्या में सम्मिलित नहीं हैं । सरकार इन अभ्यावेदनों की जांच जिलाधीश द्वारा करा रही है, कुछ अभ्यावेदनों की जांच हो चुकी है तथा जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कुछ पर मांगी गई रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

*३७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पिछले डेढ़ साल में सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भेजे गये कई आदेशों या राजाज्ञाओं का पालन नगरपालिका बरेली ने नहीं किया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया या क्या करने का विचार है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—बरेली नगरपालिका ने स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पिछले डेढ़ साल में भेजे गये केवल एक शासनादेश का पालन, जिसमें उन्हें एक म्युनिसिपल इन्जीनियर की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था, नहीं किया है । इसके अतिरिक्त लगभग ६ ऐसे शासनादेश हैं जिनमें मांगी गई सूचना नगरपालिका काफी दिनों से टालती रही है । शासन द्वारा उक्त प्रत्येक मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

अमिला-अजमतगढ़ सड़क पर बंबरिहा पुल को चौड़ा करने की आवश्यकता

*३८—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को विदित है कि "अमिला-अजमतगढ़ कच्ची सड़क" (जिला आजमगढ़) पर बंबरिहा नामक स्थान पर बने पुल के पतले होने के कारण बुंड़हनी, पलिया, जगदीशपुर, टेवना, टकटेउवां, कटिहारी, लोकौली, सरबसपुर, करम डांड़ आदि गांवों के धान की ५०० एकड़ की फसल प्रायः प्रति वर्ष नष्ट हो जाया करती है ?

श्री गिरधारी लाल—अमिला-अजमतगढ़ पर जो पुलिया है वह केवल दो ताखे की है । श्रमदान तथा टेस्ट वर्क के कारण सड़क का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण पानी रुका रहता है और इस पुलिया तथा अन्य पुलियों की मुहड़ियों से धीरे-धीरे बहता है । रुके हुए पानी से निकटवर्ती ताल कवाड़ के विभिन्न ग्रामों की लगभग २०० एकड़ धान की फसल को हानि पहुंचती है ।

*३९—श्री झारखंडे राय—सरकार की ओर से उस बंबरिहा पुल के चौड़े किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—पुल को चौड़ा कराने का उत्तरदायित्व अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ पर है । वे ही इस पर विचार करेंगे ।

देवरिया जिले की कसया-पिपरा घाट सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४०—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला देवरिया के कसया से पिपरा घाट सड़क को अन्तरप्रान्तीय मार्ग निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

*४१—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कसया-पिपरा घाट सड़क को पक्की (ककरोट) बनाने की योजना कब से लागू करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—कथित सड़क विभागीय किसी योजना में सम्मिलित नहीं है ।

चोलापुर-नियार तथा शिरिस्ती-मंगारी सड़कों को पक्की करने की मांग

*४२—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या निर्माण मंत्री चोलापुर से नियार जाने वाली सड़क, जिला वाराणसी को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

*४३—श्री लोकनाथ सिंह—क्या निर्माण मंत्री आवागमन व उद्योग-धन्धों को ध्यान में रखते हुए शिरिस्ती-मंगारी रोड वाया चौबेपुर से बलुवा घाट तक को अविलम्ब पक्की करने पर विचार करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क के लिये द्वितीय योजना में कोई आयोजन नहीं है ।

हरदोई जिले के कुथावां ग्राम तथा माधोगंज-सीतापुर एवं भरावन-संडीला सड़कों के संबंध में पूछताछ

*४४—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुथावां ब्लाक के केन्द्र स्थल कुथावां को किस पक्की सड़क से मिलाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—कुथावां ग्राम, संडीला-बेनीगंज सड़क, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही है, के किनारे ही स्थित है ।

*४५—श्री राजेन्द्र सिंह—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माधवगंज-सीतापुर रोड को प्रदेशीय सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—माधवगंज-सीतापुर सड़क (४६ मील) का आधा भाग, सीतापुर से बेनीगंज बीरहे तक (२३ मील), सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। शेष भाग को जो जिला बोर्ड, हरदोई के पास है इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेना सम्भव नहीं है ।

*४६—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भरावन-संडीला सड़क पर कितने वर्षों से मिट्टी नहीं पड़ी है ?

श्री गिरधारी लाल—यह सड़क जिला बोर्ड हरदोई की है अतः इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

झांसी में जल-व्यवस्था का कार्य

*४७—श्री गज्जू राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वशासन विभाग के इंजीनियरों ने झांसी में जल-व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह कार्य कब पूरा होना था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—झांसी में स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा जल-व्यवस्था का कार्य योजना के अनुसार सम्पूर्ण रूप से समाप्त किया जा चुका है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट से मऊ-बलिया सड़क को मिलाना

*४८—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर उत्तर से एक नई सड़क निकाल कर मऊ–बलिया सड़क में मिलायी जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

*४९—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पहले से एक सड़क मिशन अस्पताल सिधारी होकर मऊ से बलिया जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—यह जिला बोर्ड की कच्ची सड़क है तथा बाढ़ के दिनों में जलमग्न हो जाती है । अतः एक नया पुल तथा उसकी नई शाखा सड़कें बनाई जा रही हैं ।

हलफनामों पर नोटेरियल टिकट लगना

*५०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि पहली जनवरी, १९५८ से हर हलफनामें पर तीन रुपये का नोटोरियल टिकट लगने लगा है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं । यह सही नहीं है कि पहली जनवरी, १९५८ से हर हलफनामे पर तीन रुपये का नोटोरियल टिकट लगने लगा है । मजिस्ट्रेटों और जजों से हलफनामों को प्रमाणित कराने के लिये तीन रुपये का नोटोरियल टिकट लगाना आवश्यक कर दिया गया है ताकि उनका अधिक समय इसमें नष्ट न हो । किन्तु अधिकतर हलफनामें ओथ कमिश्नरों से कम फीस पर भी प्रमाणित कराये जा सकते हैं ।

श्री राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (†क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल पालीवाल जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया था उसके सम्बन्ध में श्री राजनारायण जी से मैंने कहा था कि उन्होंने जो एक वक्तव्य अखबार में छपाया है उसमें माननीय उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में यह शब्द आये हैं कि—"आपको स्मरण होगा कि विधान सभा की आन्तरिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब मैंने आपसे कहा है कि अपने सम्मान की सुरक्षा के लिये आप इस्तीफा दें मगर आपने उस पर उचित ध्यान नहीं दिया"। मैं यह जानना चाहता था कि वह ऐसी परिस्थितियां विधान सभा के आन्तरिक कार्यों में कौन-सी हैं। वह निश्चित मुझे बताएं जिससे मैं यह कह सकूं कि आया उपाध्यक्ष के पद के कार्य की किसी तरह से आलोचना उसमें है या उनके वैयक्तिक एक सदस्य होने के नाते कोई प्रश्न उपस्थित किया गया है। इसका उदाहरण संक्षेप में देते हुए आप उसका स्पष्टीकरण दें कि उसका मतलब क्या था।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जैसा कि मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जहां तक उपाध्यक्ष पद का सम्बन्ध है मेरा कतई कोई मतलब नहीं है और

---

†२१ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही से ।

न था और न उस लेख में कहीं है कि जिससे कोई अर्थ निकाला जा सकता हो कि उपाध्यक्ष पद पर रह कर के किसी महानुभाव ने उपाध्यक्ष के पद या अधिकार की अवहेलना की। हमने उपाध्यक्ष पद पर रह कर के जो भी व्यवस्था हुई है उस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। हमने सारी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस भी देख लिया ....

श्री अध्यक्ष—मैं तो फंक्ट्स के लिए कह रहा हूं।

श्री राजनारायण—चूंकि पालीवाल जी से कल हमने निवेदन किया था और आज भी कहा था, उनको हमने बता दिया था कि जहां तक उपाध्यक्ष की व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस सदन में, उस सम्बन्ध से हमारा कोई तात्पर्य नहीं था। हमारे कहने का सम्बन्ध केवल एक सोशलिस्ट सदस्य से है। वह सोशलिस्ट पार्टी के उस समय सदस्य थे और मैं सोशलिस्ट पार्टी का नेता हूं। सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की कुछ जिम्मेदारी है कि वे सदन में कुछ मौकों पर क्या काम करें। जैसा श्रीमन्, जब हमने सरकार के कुछ कुकृत्यों को लेकर के, जो गैर-जनतांत्रिक प्रवृत्तियां कई बार प्रकाश में आयीं, उन पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया तो माननीय रामनारायण जी ने एक सदस्य की हैसियत से उसमें हमारा साथ नहीं दिया और उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। हम चाहते थे कि वे भाग लें। इसी तरह से जिस समय डाक्टर राममनोहर लोहिया, २ नवम्बर को गिरफ्तार हुए और उन पर जेल में अमानुषिक अत्याचार हुए थे तो हम कई ऐडजर्नमेंट मोशन सदन में लाये थे। हमारी पार्टी में २५ ही आदमी हैं और हमने उनसे कहा कि आप भी भाग लें, मगर उन्होंने नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—व्हिप आपने ईश्यू किया, उन्होंने नहीं माना, यह आपका कहना है?

श्री राजनारायण—जी हां, हमारी पार्टी के मेंडेट के विरुद्ध जब उन्होंने काम किया और हमारी नेशनल कमेटी ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि....

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं बिलकुल समझ गया। आप कृपा कर बैठ जावें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजनारायण जी ने कैटेगोरिकली यह स्पष्ट रूप से दोहराया है और पत्र में भी लिखा है कि उपाध्यक्ष की हैसियत से माननीय त्रिपाठी जी ने जो कार्य किया उसके सम्बन्ध में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठायी, केवल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य की हैसियत से राज्यपाल (राजनारायण) जी की राय में उन्होंने कुछ ऐसे काम किये जिन्हें पार्टी के अनुशासन की हैसियत से वे आपत्तिजनक समझते हैं, तो यह तो उनकी पार्टी के भीतर का मामला है, इसमें हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके कैटेगोरिकल डेनायल के बाद इस बात का समाधान हो जाता है और वह समाधान मान लेना चाहिए कि उपाध्यक्ष की हैसियत से, बार-बार उन्होंने इसको दोहराया है, उपाध्यक्ष की हैसियत से किये हुए किसी कार्य में उन्होंने कोई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष—मैं भी समझता हूं कि जिस नतीजे पर माननीय पालीवाल जी पहुंचे हैं मैं भी उसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि श्री राजनारायण जी ने स्पष्टीकरण दे दिया कि उपाध्यक्ष पद की हैसियत से कोई कार्य उन्होंने नहीं किया, जिसके ऊपर कोई आक्षेप इस वक्तव्य में हो और आक्षेप का संकेत यह था कि सदस्य की हैसियत से उनको इस सदन में बैठकर जिन मौकों पर वोट करना था या कार्यवाही करनी चाहिए थी या बोलना चाहिए था उस प्रकार व्हिप होते हुये भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने यह कहा कि अगर उपाध्यक्ष का पद उनकी पार्टी के कर्तव्यों की आड़ में आता है तो उस पद को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के स्पष्टीकरण के बाद मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का जो प्रश्न है, वह उठता नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस समय पालीवाल जी ने मुझे "राज्यपाल" कह दिया। मेरा नाम "राजनारायण" है, "राज्यपाल" नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह यह भूल गये थे कि जब तक आपकी पार्टी का बहुमत नहीं होगा तब तक आप राज्यपाल पद स्वीकार नहीं करेंगे।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामायण राय जी का है कि—"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यादेश लागू होते ही वर्तमान कुलपति श्री वेंकटशंकर झा, राज्य पुलिस को छात्रों, उनके अभिभावकों को आतंकित करने के निमित्त प्रयोग कर रहे हैं। इससे विश्वविद्यालय में शान्ति और व्यवस्था भंग होने की स्थिति पैदा होती जा रही है। आतंक का राज्य फैल रहा है, जो विश्वविद्यालय की मर्यादा के विपरीत है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है"।

एक तो काशी विश्वविद्यालय का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से आता है। यह प्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित नहीं है। दूसरे उनकी किसी भी यूनिवर्सिटी की अंतरंग व्यवस्था में, मैं समझता हूं कोई भी टीका-टिप्पणी करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं अपने यहां की व्यवस्था के बारे में। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि इस प्रकार कोई कामरोको प्रस्ताव आये और उस पर बहस हो सके।

गोला नदी पर स्थित बेरीघाट बांध की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री प्रतापसिंह जी का है कि—"यह सदन नैनीताल जिले की गोला नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बेरीघाट बांध के अभी तक वार्षिक मरम्मत न किये जाने से हलद्वानी तहसील के ४२ गांवों के हजारों काश्तकारों को पीने व धान बोने आदि के हेतु पानी न मिलने के कारण उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है"।

आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर विवाद होने वाला है, उसमें अन्य चीजों के साथ इसका भी जिक्र आ सकता है इसलिए इस कामरोको प्रस्ताव के लिए मैं इजाजत नहीं देता हूं कि वह उपस्थित हो।

सारेहवा, जिला देवरिया में दो व्यक्तियों की भूख के कारण कथित मृत्यु से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी का है। "ग्राम सारेहवा, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के दो व्यक्तियों की मृत्यु भूख के कारण हो चुकी है, (मु० दुजिया और दूधनाथ) जिसकी रिपोर्ट ग्राम सभापति द्वारा खाद्य मंत्री तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी गयी है और इस के सम्बन्ध में पत्र तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव भी संलग्न है। किन्तु सरकार की ओर से अब तक कोई कार्यवाई नहीं की गयी। उपरोक्त व्यक्तियों के भूख से मरने तथा सरकार द्वारा उदासीन रहने के कारण जनता में असन्तोष व्याप्त है। अतः इस सार्वजनिक महत्व के निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन आज का कार्य स्थगित करता है"।

इस विषय में भी इस आम बहस में जिक्र किया जा सकता है, यह कामरोको प्रस्ताव भी आवश्यक नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनाज की कमी तथा इस संबंध में सरकार की नीति के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री टीकाराम पुजारी जी का जो कामरोको प्रस्ताव है यह बहुत ही अनिश्चित है—

"गत रबी की फसल पश्चिमी यू० पी० में अत्यधिक कम होने के कारण प्रदेश के पश्चिमी भाग में अनाज तथा चारे का भारी अकाल बना हुआ है। मवेशी वृक्षों के पत्ते तथा छाल खा रहे हैं और सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया।

किसानों को नाना प्रकार से आतंकित कर के जो अनाज बीज गोदामों द्वारा वसूल किया गया और सरकारी दबाव व अत्याचारों द्वारा जो कर्जा पानी व भूमि का लगान अदा करने के लिए सस्ते भाव अनाज बेंच डाला गया, उसके कारण गांवों में अनाज तथा रुपया दोनों का ही अकाल पड़ गया है। अब सरकार की गलत नीति और कुप्रबन्ध से जो अनाज का भाव दो गुना हो गया है उससे पश्चिमी यू० पी० की ८० प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है भुखमरी का शिकार हो गयी है। प्रदेश के पश्चिमी भाग के लिए यह अनहोनी घटना है और चूंकि सरकार उन ग्रामों में सस्ते गल्ले की दूकान और अनाज खरीदने के लिए ऋण भी नहीं दे रही है अतः वहां पर व्यापक असन्तोष फैला हुआ है और पश्चिमी यू० पी० में चारे तथा अनाज का अकाल, अराजकता का विस्फोट पैदा करने वाला है। अतः आज सदन की कार्यवाही उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के लिये स्थगित कर दी जाय।"

ये विषय अभिभाषण के वाद-विवाद में आ सकते हैं। इसलिए कोई आवश्यक भी नहीं है और यह प्रस्ताव स्पष्ट भी नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

थाना बांगरमऊ की पुलिस के हाथों सर्वश्री मंगू और मतई की कथित मृत्यु के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री भोलालाल जी का यह प्रस्ताव है कि —"श्री मंगू, ग्राम अटुका, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई एवं श्री मतई, ग्राम सूसूनऊ, थाना फतेहपुर चौरासी, जिला उन्नाव ११ जून, सन् ५८ को ग्राम नौबतगंज, थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव के पास थाना बांगरमऊ की पुलिस द्वारा इतना मारे गये कि उनकी मृत्यु हो गयी। पुलिस के इस अमानुषिक बर्ताव पर उक्त क्षेत्र की जनता में भारी असन्तोष फैला हुआ है। अतः निश्चित तथा आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए यह सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

यह भी विषय ऐसा है कि अभिभाषण के समय पुलिस के कार्य के ऊपर या प्रबन्ध के ऊपर जब टीका-टिप्पणी माननीय सदस्य करें तो कह सकते हैं, इसलिए यह भी आवश्यक नहीं है। अनावश्यक होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, विशेष परिस्थितियों के होते हुए इस बड़े प्रदेश ने अपनी बड़ी और उलझी हुई समस्याओं को प्रजातंत्रिक रास्ते पर चलते हुए जिस सुन्दर ढंग से हल किया है, उसके लिये हम प्रदेश की सरकार के बहुत आभारी हैं। स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा प्रसार एवं हरिजन उद्धार, पशु नस्ल सुधार, श्रम और समाज कल्याण, जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार आदि की ओर जो सुनिश्चित और क्रियात्मक कदम अभी तक प्रदेश की सरकार ने उठाये हैं उनके ऊपर भी हम गर्व कर सकते हैं। विकास और निर्माण कार्यों में जो प्रदेश की सरकार ने अभी तक प्रगति की है वह आंखों से दिखायी देती है, लेकिन प्रदेश की सरकार का कभी भी यह दावा नहीं रहा कि जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किये थे उन लक्ष्यों को वह पहुंच चुकी है। प्रदेश की सरकार अपने एक सुनिश्चित प्रोग्राम को लेकर दैवी आपदाओं का मुकाबला करते हुए इस प्रदेश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है।

हमारे देश और प्रदेश की सब से बड़ी समस्या आज अगर कोई है तो वह खाद्य की है। स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश किसान सिंचाई के लिए कुदरत पर आधारित रहते थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रदेश की सरकार ने सिंचाई के साधनों में वृद्धि करना, नयी नहरों और नलकूपों का निर्माण करना, बड़े और छोटे बांधों और बन्धियों का निर्माण करना, ८ हजार से करीब नीचे बसे गांवों को ऊपर उभारने में और नीचे डूबे गांवों में पानी की निकासी का इन्तजाम करोड़ों रुपये व्यय करके किसान की आर्थिक दशा को सुधारने में कुछ क्रियात्मक कदम करने में उठाये हैं। फिर भी यह सब होते हुए भी आज सिंचाई की योजनाओं की प्रगति हम धीमी मानते हैं। आवश्यकता है और अधिक तेजी के साथ सिंचाई की व्यवस्था करने की जिससे प्रदेश के किसान अपनी खेती की उन्नति करने में, अपने प्रदेश के उत्पादन को बढ़ाने में, अपने प्रदेश को मालामाल बनाने में दैवी प्रकोप का मुकाबला करते हुए सफल हो सकें। यह खेद का विषय जरूर है कि हमारे सिंचन के उपलब्ध साधनों का अभी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। साथ ही सिंचाई और विद्युत् विभागों का कोआर्डिनेशन भी भली प्रकार अब से पहले नहीं हो पाया था। विद्युत् विभाग से बहुत दिनों तक बिजली प्राप्त नहीं होती थी, ट्यूबवेल्स बने पड़े रहते थे और किसान ट्यूबवेल्स के चलने की आशा में अपनी फसल बोता था जो कि बिजली उपलब्ध न होने के कारण प्रायः नष्ट हो जाया करती थी। मुख्य मंत्री जी के सतत प्रयास से भविष्य में विद्युत् विभाग और सिंचाई विभाग में अधिक कोआर्डीनेशन हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

सिंचाई साधनों का पूर्ण उपयोग इस कारण से भी नहीं हो पाया है कि ट्यूबवेल्स के ऊपर हमारी सिंचाई की दरें बहुत ज्यादा हैं जिसके कारण किसान को भी लाभ नहीं हो पाता है और ट्यूबवेल्स भी नहीं चल पाते हैं। यदि सिंचाई मंत्री जी और प्रदेश की सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि ट्यूबवेल्स के ऊपर सिंचाई की दरों में ५० प्रतिशत कमी कर दी जाय तो ट्यूबवेल्स अधिक चल सकेंगे और प्रदेश की तथा किसानों की आय भी अधिक बढ़ सकेगी और साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो सकेगी।

मुझे अत्यन्त खेद के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि जिलों में प्रदेश को अधिक आमदनी देने वाली नहर जमुना सिंचाई का साधन है। पिछले कई वर्षों से इस नहर में पानी की अत्यधिक कमी है, जिसके फलस्वरूप किसानों की फसल ५० प्रतिशत कम हो जाती है और किसानों को असहनीय क्षति भी पहुंचती है। मैं आशा करता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी इस ओर क्रियात्मक कदम उठायेंगे।

जमुना हाइडिल योजना का भी, जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है, उसको भी प्रारम्भ किया जाय। सिंचाई के वर्तमान साधनों के साथ-साथ आज पूर्वी यू० पी० में छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह बड़ी दरों के देने में असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव के दायरे के बाहर जा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—श्रीमन्, मैं कुछ सुझाव भी दे रहा था।

श्री अध्यक्ष—सुझाव देने के लिये आप संशोधन उपस्थित करते, जो कमी रह गयी है वह संशोधन में आनी चाहिये थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, क्या कोई सदस्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर धन्यवाद का प्रस्ताव करते हुए ऐसी बात नहीं कह सकता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। जो कमी रह गयी है वह संशोधन के रूप में आनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरफ के लोग यानी ट्रेजरी बेंचेज के लोग भी कटमोशन देते हैं या आम बहस में आलोचना करते हैं, वह तो ठीक है, लेकिन जहां आप धन्यवाद देते हैं वहां धन्यवाद देते हुए कमियों का जिक्र करना प्रारम्भ कर दें तो यह असंगत है। वैसे मैं रोकूंगा नहीं, मैंने इशारा कर दिया है कि क्या प्रथा ठीक है। विरोधी दल के सदस्य जो धन्यवाद का प्रस्ताव संशोधन के साथ देते हैं ऐसे लोग कहें तो मैं अनुचित नहीं समझूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, समय निर्धारण के बारे में कुछ तय हो जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के अभी बैठ जाइये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—श्रीमन्, मैं अपना कर्त्तव्य मानता था कि जहां मैं राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर उनको धन्यवाद दूं वहां कुछ सक्रिय सुझाव भी दे सकूं कि जो प्रोग्राम उन्होंने निर्धारित किया है, वह किस तरह से सफलीभूत हो सकता है। मैं अपने सुझाव देना चाहता था। लेकिन खैर, मैं समझता हूं कि अब तक प्रदेश की सरकार ने हमारे देश में विकास निर्माण कार्यों में, एन०ई०एस० ब्लाक्स और प्रगाढ़ सेवा खंडों को स्थापित कर जो प्रगति की है, जैसा कि मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूं वह आज आंखों से दिखायी देती है, लेकिन जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जिक्र किया है उस ओर जनता में कितनी भावनायें उत्पन्न हुई हैं, वह उसको अपना एक कार्य क्रम समझ कर उसमें दिल से सहयोग प्रदान कर सकें इसके लिये सरकार ने एक कमेटी का आयोजन किया है। मुझे उम्मीद है कि श्री गोविंद सहाय जी की अध्यक्षता में वह कमेटी जल्दी ही ऐसे सुझाव प्रदेशीय सरकार को प्रस्तुत करेगी जिससे प्रसार सेवा एवं प्रगाढ़ सेवा खंड समाज के लिये अधिक लाभकर सिद्ध हों। इसके साथ ही साथ प्रदेश की सरकार ने हरिजन उद्धार और श्रमिकों के कल्याण के लिये जो कार्य किये हैं उनकी सराहना आज मजदूर वर्ग और हरिजनों की ओर से भी की जा रही है।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था सरकार का यह भी दावा नहीं रहा है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। हरिजनों के उद्धार करने में, श्रमिकों का कल्याण करने में, मिल लेबर के कल्याण में अभी बहुत प्रगति करनी बाकी है। सरकार का सतत प्रयास है और हर समय उसकी यह कोशिश है कि हमारे समाज का जो वह एक कमजोर अंग है वह जल्दी ही सबल हो सके और सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति में बराबर सहयोगी बन सके। देश और प्रदेश की सरकारों का आज यह निश्चित मत है कि शांतिपूर्ण तरीकों पर सामाजिक और आर्थिक क्रांति लायी जाय। कांग्रेस की सरकार का लक्ष्य सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना है। उसकी प्राप्ति के लिये अब से दस बारह वर्ष पेश्तर से ही इस प्रदेश की सरकार ने जमींदारी विनाश कर भूमि सुधार का एक क्रांतिकारी कानून बनाया था। मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो जमींदारी विनाश का कानून अथवा भूमि सुधार की व्यवस्था इस प्रदेश की सरकार ने १९४६–४७ में बनते ही की थी वह आज समूचे देश की प्रदेशीय सरकारों के सामने एक नमूना है। किसान के शोषण का अन्त हुआ। इस दृष्टि से कि हमारे प्रदेश में अनाज का उत्पादन बढ़ सके उस कानून को लाया गया है। आज प्रदेश के २७ जिलों की ३२ तहसीलों में चकबंदी योजना

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

सरकार की ओर से चालू है। मैं यह मानता हूं कि प्रारम्भ की दो तहसीलों में किसानों को कठिनाइयों का भी मुकाबिला करना पड़ा और क्षति भी उन्हें पहुंची, लेकिन आज इस नये कानून में, तजुर्बे की बिना पर जो आवश्यक संशोधन समझे गये, वे प्रदेश की सरकार ने किये। अनेक तहसीलों में खूबसूरती के साथ चकबंदी की योजना चल रही है और आज चकबंदी योजना से किसानों को जो लाभ हुआ है उसके लिये मैं प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। हमारे यहां चौकोर चक बन सकें और तजुर्बे के आधार पर जो कुछ और कठिनाई उस योजना की सफलता के सम्बन्ध में सरकार के सामने आयी उन सब में हमारी सरकार संशोधन करने जा रही है।

इसी तरह से यह सरकार हमारे प्रदेश के लिये इस वर्तमान सेशन में २० के लगभग विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है जिनका सम्बन्ध प्रदेश की जनता से बहुत गहरा है।

अन्तरिम जिला परिषद् का निर्माण कर के प्रदेश की सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को एक क्रियात्मक रूप देने के लिये कदम उठाया है। बहुत दिनों से इस सदन के सभी भाइयों की, सभी साथियों की और सदन के बाहर की जनता की यह मांग थी कि जिला स्तर पर ऐसी परिषदों का निर्माण किया जाय जिनके द्वारा प्रदेश के शासन का विकेन्द्रीयकरण हो सके। परिषदें जनता के प्रतिनिधियों के लिए ट्रेनिंग का स्थान बन सकें और वहां पर धन और समय का सदुपयोग हो सके। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि जो विधेयक अभी आने वाला है उससे जनता की आकांक्षाएं पूर्णरूपेण पूरी होंगी। आज हम जिला बोर्ड के कामों में जो कुछ त्रुटियां पाते थे उनको दूर करके ये जिला परिषदें जिले की अधिक सेवा कर सकेंगी। कितना अधिकार उन जिला कौंसिलों को दिया जायेगा, यह सदन के सामने आयेगा, क्योंकि उनको अधिकार देने का कार्य तो इस सदन के अधिकार का विषय है। मैं यह समझता हूं कि जिस प्रकार से आज प्रदेशीय स्तर पर असेम्बली कार्य करती हैं उसी तरह से जिले के स्तर पर यह छोटी असेम्बली की तरह से कार्य करेंगी और तब असल में उन परिषदों को स्वशासन का रूप मिल सकेगा। नवीन अधिकारों की प्राप्ति के लिये जनता की आंखें आज परिषदों की ओर लगी हुई हैं।

महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में इस बात का भी जिक्र किया है कि हमारे प्रदेश की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। रिटों के मामलों में और दूसरी तरह से भी काफी सन्तोषजनक कदम उठाया गया है। मैं यह समझता हूं कि प्रदेश की सरकार का सुनिश्चित कदम इस ओर शीघ्र उठेगा कि इस प्रदेश की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश गरीब जनता बसती है।

शिक्षा के विकास और प्रसार में भी इस प्रदेश की सरकार ने काफी प्रगति की है। जितनी प्रतिशत में शिक्षा यहां पर अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी उससे करीब दुगुने प्रतिशत में आज यहां पर लोगों को शिक्षा दी जाती है। उसके लिये भी मैं इस प्रदेशीय सरकार की सराहना करता हूं। किन्तु जैसा कि सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और टेक्निकल एजूकेशन पर अधिक बल देने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि रुड़की यूनिवर्सिटी में कई एक प्रकार के नये कोर्स खोले गये हैं, टेक्निकल एजूकेशन को प्रदेश में काफी बढ़ावा दिया गया है और आगे भी सरकार का प्राविधिक शिक्षा की उन्नति और विकास के लिये एक ठोस कदम उठाने का इरादा है। इंटरमीडियट बोर्ड आफ एजूकेशन के कानून में भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किया है।

आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे अध्यापकों का, गुरुजनों का समाज में सम्मान हो और समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करे ताकि योग्य से योग्य व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं में आ सकें। इसीलिये यह जरूरी था कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन किये जायें और इसी दृष्टि से गोरखपुर और संस्कृत यूनिवर्सिटीज ऐक्ट्स में भी आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये जा

रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां इस ओर उनका ध्यान है उसके साथ ही उनका ध्यान बच्चों के चरित्रगठन की ओर भी अधिक जाना चाहिये।

साथ ही शांति व्यवस्था की ओर गत दो एक सालों से जो कार्य हुआ है और विशेषकर आगरा जिले में, जहां का क्षेत्र रूपा, मानसिंह आदि कुख्यात डाकुओं का कार्यक्षेत्र बना हुआ था उनका सफाया करने में सरकार ने जो क्रियात्मक कदम उठाया है और आज उस क्षेत्र की ही नहीं वरन् सारे प्रदेश की जनता में इस बात का विश्वास है कि पहले के मुकाबिले में शांति व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। मैं समझता हूं कि अकेले पुलिस शांति व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं हो सकती जब तक कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का उसमें सहयोग प्राप्त न हो। चाहे हमारा फूड फ्रंट हो या प्रदेश के वेलफेयर का सवाल हो या शांति व्यवस्था का प्रश्न हो या पब्लिक मारेल को ऊंचा करने का सवाल हो, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों में, हम चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के, सब मिल कर इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास राजनीतिक दलबंदी के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें हम एक दूसरे का विरोध या पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन फूड के प्रश्न पर जनता की भावनाओं को एक्सप्लायट करना उचित नहीं है। चाहे आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत हो या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के भाइयों की, क्योंकि जनता का सहयोग सभी को चाहिये। अगर जनता का सहयोग हमें प्राप्त न हो तो आने वाले जमाने में किसी तरह से, किसी योजना को भी सफलता के साथ पूरा नहीं कर सकते। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि हम चाहे जिस विचारधारा के हों, जो प्रदेश की जटिल समस्याएं हैं, उनको पारस्परिक सहयोग के साथ मिल कर पूरा करने का प्रयत्न करें तथा जनता में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता एवं निष्ठा की भावना उत्पन्न करें, जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर पूरा कर सकें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बापू जी के बताये हुए मार्ग पर चल कर, निश्चित प्रोग्राम को लेकर, जनता में शुद्ध भावनाओं को उत्पन्न कर के हम अपने प्रदेश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं महामान्य राज्यपाल के प्रति उनके भाषण के लिये अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करता हूं।

*श्री मुहम्मद फारूक़ चिश्ती (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल की कल की तकरीर के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके बारे में मैं अपनी सहमति प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं और पूरी तरह से सहमति प्रकट करता हूं।

राज्यपाल महोदय को इस प्रदेश में बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी कल की तकरीर से यह पता चलता है कि गोया उन्होंने अपनी जिन्दगी इसी प्रदेश में गुजारी है। इस तरह से उन्होंने अपनी फिक्र जाहिर की है। यहां के कोने-कोने से, यहां के लोगों से, यहां की जरूरियात से, यहां की तमाम समस्याओं से उन्होंने पूरी-पूरी वाकिफयत हासिल कर ली है और उनको उबूर करने की कोशिश भी की है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी तमाम दिक्कतों, हमारी तमाम समस्याओं को अपने सामने रखा है और उन तमाम दिक्कतों को दूर करने की फिक्र में मसरूफ हैं, उनकी तकरीर से उनकी दूरंदेशी और तदब्बुर जाहिर होता है। उन्होंने यह कह कर कि सरकार ने जो तरक्की की है और जिस तेजी से वह आगे बढ़ रही है, वह सब हमारे कोआपरेशन का ही नतीजा है, हमारी पूरे तरह से हौसला अफजाई की है। उन्होंने इस प्रदेश की तरक्की के लिये तमाम पार्टियों से कोआपरेशान की मांग की है। इस तरह से पता चलता है कि उन्हें इस प्रदेश की तरक्की की किस कदर फिक्र है।

साहब मौसूफ ने अपनी तकरीर में क्या-क्या कहा है उनको एक-एक करके गिनवाऊं तो उनको दोहराना ही होगा मगर जिन चन्द अहम शोबों का खासतौर से उन्होंने जिक्र किया है, उन पर रोशनी डाल देना मैं जरूरी समझता हूं। महामान्य राज्यपाल ने प्लानिंग को प्रदेश की तरक्की का संगे बुनियाद करार दिया है। जराअती तरक्की को पूरी अहमियत देते हुए यह हिदायत फरमाई है कि हमारे प्रदेश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करते जाना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती]

इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने में एक लफ्ज है लेकिन कोज म दरिया भर दिया गया है। इन अल्फाज का यह मकसद है कि हमारे देश में खुशहाली हो, हमारे देश से बेकारी दूर हो और हमारा देश और मुल्कों से ऊपर उठ जाय। कल की तकरीर में खास तवज्जेह इस तरफ फरमाई गयी है।

इसके अलावा महामान्य राज्यपाल ने हमारी समस्याओं को, हमारी जरूरतों को और किसी भी अहम शोबे को हर्गिज नजरअन्दाज नहीं किया है। मिसाल के तौर पर तालीम की तरक्की, इरिगेशन का बढ़ाना वगैरह-वगैरह, यह कहा जाय कि उन्होंने अपनी तकरीर में यह छोड़ दिया, वह छोड़ दिया, तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। उनकी तकरीर में तमाम अहम बातें एक्सप्रेसली और बाई इम्पलीकेशंस मौजूद हैं। इस रेजोल्यूशन के मूवर साहब ने तमाम तफसीलें इस सदन के सामने बयान कर दी हैं, अब उनको फिर दोहराने की जरूरत में नहीं समझता हूं।

एक बात यह कि मैं महामान्य राज्यपाल का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूं। कल की तकरीर सुनने के बाद तो मेरी यह राय हो गयी है कि इस सदन की एक हिस्ट्री बननी चाहिये और उनके धन्यवाद का प्रस्ताव जो पेश किया गया है उसको ऐज इट इज मंजूर कर लेना चाहिये और जितने अमेंडमेन्ट्स हैं उनको वापस ले लेना चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है, उस में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिये जायं—

"किन्तु इस सदन को खेद है कि राज्यपाल के सम्बोधन में समुचित योजना, अन्न क उत्पादन तथा उससे संबंधित सिंचाई, सहकारी-कृषि इत्यादि में वृद्धि, बढ़ती हुई बेरोजगारी मिटाने के उपाय, पर्याप्त मात्रा में अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था, शासन तथा न्याय का पृथक्कीकरण एवं शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।"

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि वैसे नियम के हिसाब से तो प्रस्ताव पर १५ मिनट ही समय होता है लेकिन यह तरीका रहा है कि नेता विरोधी दल तथा अन्य नेता जो यहां के दूसरे दलों के हैं, उनको कुछ समय अधिक दिया जाता है। तो यदि समय के बारे में कुछ हो जाय तो ठीक होगा। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी रहना चाहिये? नेता विरोधी दल को २५ मिनट के करीब दिया गया था पिछले साल लेकिन इस साल इससे अधिक समय भी दिया जा सकता है क्योंकि इस साल ३ दिन का समय आम बहस के लिये दिया गया है। तो यह हो सकता है कि कुछ अधिक समय हम लोग निश्चय कर लें, अगर आप लोग चाहते हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह—मुझे ३० मिनट से अधिक नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो नेता विरोधी दल को ३० मिनट मिलगा और दूसरे नेता जो और दलों के हैं, उनके लिये मैं समझता हूं कि २० मिनट कर दिया जाय तो काफी होगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—सदस्यों के लिये भी कुछ तय कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—सदस्यों के लिये १५ मिनट नियम में है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट काफी हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पार्टी नेताओं के लिये २५ मिनट कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—इस से और लोगों को बोलने का समय कम मिलेगा। नेता विरोधी दल जो कह देंगे उसको आप छोड़ दें, दोहराइये नहीं तो फिर काम हो जायगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, हम राज्यपाल के कृतज्ञ हैं कि इस सदन को बुलाने की कृपा की। हम चाहते थे कि इसके पहले ही इस सदन की बैठक को वे बुलाने की कृपा करें। राज्यपाल जी ने स्वयं यह कहा है, जो निर्विवाद है कि इस समय यह प्रदेश एक विशेष संकट से गुजर रहा है। अन्न का कष्ट, बढ़ते हुए भाव, कुछ जिलों में पानी का कष्ट, लड़ाई के उमड़ते हुए बादल, और बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन का समाधान कहीं भी हम राज्यपाल के सम्बोधन में नहीं पाते हैं। फिर भी जिला मुजफ्फरनगर के माननीय सदस्य ने जिस योग्यता से और उनके प्रस्ताव की जिस खूबी से मोअज्जिज मेम्बर, जिला देवरिया ने ताईद की है, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

मुझे अफसोस है कि राज्यपाल का संबोधन हमेशा आगे की बात से संबंधित होना चाहिये, लेकिन बदकिस्मती से इस प्रदेश में यह रिवाज हो गया है पिछले ३–४ साल से कि आगे का जिक्र कम, पीछे का जिक्र ज्यादा। गत वर्ष भी यही था और इस वर्ष भी यही है। इतना बड़ा भाषण, लम्बा प्रोग्राम लेकिन भविष्य से उसका रुपये में चार आने भी वास्ता नहीं, यह दुःख की बात है। गत वर्ष भी मैंने कहा था और फिर इस बात को दोहराये देता हूं कि आयंदा सरकार यह करेगी कि जब कभी राज्यपाल इस सदन को बुलाने की कृपा करें तो अगली बात करेंगे, पिछली बातों का जिक्र न हो जिनका कि हमें ज्ञान है।

कहा गया है कि सरकार का प्रयत्न है कि खेती की पैदावार बढ़े। यह भी कहा गया है कि सरकार की नीति है कि दिनों दिन उद्योगों की तरक्की हो, सहकारिता आन्दोलन में वृद्धि हो। तीन बातें विशेष तौरपर मान्यवर राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहने की कृपा की है। लेकिन यदि हम देखें तो जहां हमारा देश खेती की पैदावार में संसार में सब से पिछड़ा हुआ है वहां उत्तर प्रदेश इस देश में सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। देश में साढ़े १२ मन फी एकड़ धान की पैदावार की औसत उपज है, और उत्तर प्रदेश की है ७.३ यानी सवा सात मन फी एकड़ से कुछ ज्यादा।

राज्यपाल के सम्बोधन से यह ज्ञात होता है कि ४३ फीसदी गांवों में इंटेंसिव डेवलपमेंट हो रहा है, केवल ५७ फीसदी बच गये हैं। अगर ४३ फीसदी में डेवलपमेंट के बाद यही दुर्दशा होनी है कि दाने-दाने के लिये इस प्रदेश के रहने वाले तरसें तो उससे मुझे, मैं बहुत नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं, संतोष नहीं होता। बल्कि दिल में एक उलझन पैदा होती है, दिमाग में तकलीफ होती है, एक परेशानी की तस्वीर सामने आती है कि हम कहां हैं, किस तरफ जा रहे हैं। ४३ फीसदी तरक्की करने के बाद यह हालत है पैदावार की।

मान्यवर, कहा जाता है भारतवर्ष एक पिछड़ा हुआ देश है। यह एशियाई-अफ्रीका का एक मुल्क है। हमारे पास साधन नहीं है। धान की पैदावार के मुकाबले में यदि हम छोटे से देश मिस्र में चलें जायं जहां की एवरेज होल्डिंग उत्तर प्रदेश की एवरेज होल्डिंग्स औसत जोत से अधिक नहीं है, तो वहां एक एकड़ में ४६ मन धान पैदा होता है लेकिन यहां साढ़े सात मन और इतनी तरक्की करने के बाद और यह भी कब? रेन्डम सैम्पिल सर्वे की एक योजना है सरकार की अमुक खेत में कितना अन्न पैदा होता है, जाकर जहां तबियत चाही नाप जोख कर कटवा लिया। लेकिन संसार के किसी देश में, मैं अर्ज करना चाहता हूं पूरे जोर के साथ, इस प्रकार के सर्वे की कार्यवाही सीक्रेट नहीं रखी जाती है। मेरे पास सरकार के सब से बड़े अधिकारी की बात है कि रेन्डम सेम्पिल सर्वे एक गोपनीय कार्यवाही है।

कुछ समय पूर्व मैंने अर्ज किया था यह अच्छी बात नहीं कि मैं अपनी बात इस सदन के सामने दोहराऊं कि खेत की पड़ताल जब लेखपाल करे तो गांव वालों को इसकी सूचना कर दे। दुर्भाग्यवश माननीय माल मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतने काम हैं कि उनको फुर्सत नहीं कि सदन में बैठ सकें और जो इस सदन के सदस्य कहें उसको सुनने की तकलीफ गवारा करें। उहोंने कहा कि जिसका खेत वही पड़ताल करे तो ठीक नहीं होगा।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

बड़ा भारी वसूल है कि अगर कोई अपनी ही पड़ताल करें तो हमेशा उसको कम दिखायेगा। लेकिन क्या उनको यह पसन्द नहीं कि जब लेखपाल पड़ताल करने जायं तो पंचायत को सूचना दे दें ? माल हमारा, सब कुछ हमारा लेकिन हमको इत्तला तक नहीं। रजिस्टर में जो चाहा लिख दिया। कहीं भी ऐसा नहीं होता था।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन आंकड़ों से इस प्रदेश का पेट नहीं भरने वाला है। सम्बोधन में कहा गया कि गत वर्ष के मुकाबले में रबी की फसल साढ़े सोलह प्रतिशत कम है और गत वर्ष यह कहा गया था कि ५४–५५ के मुकाबले में हमारी फसल कम है। अगर ५४–५५ की फसल से मुकाबला करें तो २४ प्रतिशत रबी की फसल में कमी हुई। २४ फीसदी रबी की फसल में कमी और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी जब तक कि लखनऊ से लेकर देवरिया और सहारनपुर के बाजार में २४ रु० मन गेहूं नहीं बिक गया। कहते हैं अन्न का संकट सारे देश में है। लेकिन शायद यह नहीं मालूम सरकार को कि यमुना पार साढ़े तेरह और १४ रु० मन गेहूं और इस पार १९ और २० रु० मन, फिर भी कहते हैं संकट सारे देश में है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब कभी अकाल पड़ा तब भी २३–२४ रु० मन गेहूं नहीं बिका और मोटिया चावल २९ और ३० रु० मन नहीं बिका। यह आफत यक ब यक नहीं आई। दिसम्बर से मार्च तक धीमे-धीमे दाम बढ़े हैं। कहते हैं हमारे खिलाफ प्रकृति है। प्रकृति ने आज तक किसी का व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी राज्य का विरोध नहीं किया है। प्रकृति अगर रुष्ट है तो केवल उत्तर प्रदेश के लिये नहीं बल्कि सारे देश के लिये और सारे संसार के लिये है। लेकिन मान्यवर, हम क्या देखते हैं कि दिनोंदिन पैदावार गिरती चली जा रही है।

मैं तो हैरत में हूं। सोचता हूं फिर किसी मदरसे में जा कर नाम लिखा लूं और किसी नये मौलवी से जो हिसाब-किताब का माहिर हो उससे हिसाब का जोड़ना सीखूं। सीजन ऐन्ड क्राप रिपोर्ट में लिखा है कि ४२ लाख एकड़ की सिंचाई नहरों से १९५५–५६ में की गई और इरिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में लिखा गया कि नहरों से ५४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई ५२–५३ में हुई। यह दोनों सरकार के कागज हैं, दोनों पर सरकार की मुहर है। मैंने पहले भी कहा था कि यह अन्न की समस्या खिलवाड़ की समस्या नहीं है। सन् १९५४–५५ में इतना अन्न हो गया था कि खाये नहीं चुका। टारगेट से भी बढ़ गये कागज पर लेकिन दरअसल बढ़े खाक पत्थर नहीं। कागज पर सब कुछ है। सन् ५१ की पैदावार ७.८४ मिलियन टन दी गई थी वह लगभग १३ मिलियन टन हो गई।

करोड़ों रुपया किसानों की तकावी के लिये रखा जाता है और कहा जाता है कि वे लेते ही नहीं। तकावी के देने का आज भी मयार यह है कि वह हैसियत के हिसाब से किसान को दी जाती है, जरूरत के हिसाब से नहीं दी जाती। वह भूमिधर को मिलती है, सीरदार को नहीं मिलती। भूमिधर हैं ही कितने ? इस सरकार की तकावी के कानून और एग्रीकल्चरल लोन के नियमों के अनुसार ही ९० प्रतिशत लोगों को कोई सहायता नहीं मिल सकती। दुनिया का दस्तूर है कि हाजतमन्द को कर्जा दो जिसके पास बैल नहीं है उससे कहा जाता है कि क्या तुम भूमिधर हो।

कितना योग्य एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश का ? १ लाख ७ हजार गांव हैं इस प्रदेश में और उनमें साढ़े ५ हजार गांवों में चकबन्दी हुई और मालूम हुआ कि सरकार की ८ लाख २ हजार की आय बढ़ गई। यहां ऐसे किसान मौजूद हैं कि जो जमीन जोते हैं और उन पर लगान नहीं पड़ता और ऐसे भी किसान हैं कि उनके पास जमीन बिसवा भर नहीं लेकिन ६ साल से लगान दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी फिर कहता हूं कि कोई गांव अपनी पसन्द का लीजिये और यही सिद्ध होगा। किसी राज्य में कहीं भी ऐसा अन्धेर नहीं है। इस औसत से हिसाब लगाइए तो डेढ़ करोड़ के लगान का सरकार को प्रतिवर्ष नुकसान

हो रहा है । इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? यही सरकार । फिर आनन्द यह है कि एफीशियेन्सी बढ़ती जा रही है और यह तमाशा ?

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर के द्वारा सरकार से कि वह सोचे और समझे । इसी सम्बोधन में कहा गया है कि सन् ६१ में ३० फीसदी मजरूआ आराजी में सिंचाई का प्रबन्ध हो जायगा और सन् ५४–५५ की उसी रिपोर्ट में सीजन एन्ड क्राप रिपोर्ट में ३०.६ है । सन् ५४ से ५६ तक वह बजाय बढ़ने के घट गई । हमसे कहा जाता है आंकड़ों में न पड़िये लेकिन बन्दा परवर है कौन इन आंकड़ों के चक्कर में । एक किताब में ५४–५५ में ३०.६ और ६१ में राज्यपाल महाराज फरमाते हैं कि ३० प्रतिशत का टार्गेट होगा । मैं नहीं समझ पाता हूं कि किस का भरोसा करें । कौन-सी किताब को सही मानें । राज्यपाल के सम्बोधन में सही बातें नहीं हैं ? हम जानते हैं कि राज्यपाल का सम्बोधन सरकार बनाती है । यह सरकार ६ करोड़ ३२ लाख जन-संख्या के प्रदेश को चरका देना चाहती है । इस चरकेबाजी का युग बहुत दिन तक नहीं चल सकता ।

कहा जाता है कि किसान ऐसे नासमझ हैं कि पानी मौजूद है लेकिन नालियां नहीं बनाते, हमें यह याद है । चौथे दर्जे की किताब में पढ़ा था और इतिहास का जिस किसी को ज्ञान है उसने पढ़ा होगा कि हर एक राजा ने नहर खुदवाई, पेड़ लगवाये, तालाब बनवाये, रास्ते निकलवाये और जब-जब नहर निकली है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस के युग से पूर्व जब-जब नहर निकली और ट्यूबवेल बने तो पहले १० साल सिंचाई की दर कम रखी गयी । जब शारदा नहर निकली, मुझे याद है, तो नहर की सिंचाई कम रखी गयी और १० साल के बाद जब अनाज के सस्ते होने के कारण लगान में ८ आने तक की छूट हो गयी तब भी उसकी सिंचाई की दर में २५ फीसदी का इजाफा किया गया । लेकिन आज जिस दिन से कुंए बने उसी दिन से पूरी शरह रख दी गयी । मुजफ्फरनगर, बदायूं में २० वर्ष से जहां ट्यूबवेल हैं वही शरह है जो आजमगढ़, बलिया में जहां अभी कुंआ बना तो पहले दिन से वही रेट है । ऐसी मिसाल कहीं नहीं सुनी गयी है ।

खेती की पैदावार के लिये पानी सब से आवश्यक अंग है । पानी मौजूद है और वह न ले, क्या यह मुमकिन है ? लेकिन वह ले कहां से ? पानी है नहीं और अगर है तो रेट इतने ज्यादा हैं । लम्बी-लम्बी बातें कही गयीं कि ७०,००,००० एकड़ रकबा सींचा लेकिन किताब देखने से मालूम हुआ कि इरिगेशन पोटेंश्यल है १,०८,००,००० एकड़ का । यह सिंचाई के फिगर्स हैं । कैसे काम चल सकता है, मेरी समझ में नहीं आता । मुबारकबाद देना तो अच्छी बात है, हम तो चाहते थे कि हम कृतज्ञता प्रकट करें, लेकिन क्या यह सदन महज इसी के लिये है ?

मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से राज्य का काम नहीं चलने वाला है । पूर्वी जिलों का बहुत जिक्र आता है । कौन नहीं जानता कि यह निर्विवाद है कि पूर्वी जिलों में आज पहले से ज्यादा आबादी है । पूरे प्रदेश का औसत है ५५७ और बलिया जिले का है ९४३ व्यक्ति फी वर्ग मील और बस्ती का है ८४७ । यह कौन नहीं जानता कि पूर्वी जिलों में कस्बे कम हैं, अरबन एरियाज कम हैं, ज्यादातर देहात हैं । बस्ती जिले में ९३ फीसदी आबादी का गुजर-बसर कृषि के ऊपर है । बलिया जिला में ७२ फीसदी आबादी का गुजर कृषि के ऊपर है । पिछले ४०–५० साल के अन्दर फी कस जितनी भूमि खेती की थी उसमें कमी हो रही है । ऐसी जमीन जो दो फसली थी वह भी प्रति व्यक्ति कम हो रही है । प्रति आदमी के हिसाब से सिंचाई की भूमि में कमी हो रही है । फिर चाहिये क्या विशेष योजना के लिये ? क्या सरकार ने इन्तजाम किया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ?

कहते हैं कि ट्रूस होनी चाहिये । पूछिये, कौन आप से लड़ाई करने के लिये आता है ? कौन हाथा पाई करता है ? लेकिन इस बिना पर ट्रूस हो सकती है । फिर भी आदमी भूखों मर रहा है । हर साल इम्मिग्रेशन होता है, हजारों आदमी प्रतिवर्ष बाहर जाते हैं । पिछले ३०

[श्री त्रिलोकी सिंह]

साल के अन्दर गोरखपुर से लेकर बस्ती तक और बलिया से आजमगढ़ तक बनारस और गोरखपुर डिवीजन में जितना इलाका है इसमें फूड क्राप्स का एरिया घटा नहीं है। कोई विश्वास करेगा? ९४ फीसदी भूमि में बस्ती जिले में अन्न के खेत हैं। गोरखपुर और देवरिया में जहां बेइन्तहा चीनी मिलें हैं वहां ९० फीसदी फूड क्राप्स एरिया है। सन् १९०१ में वहां ८९ फीसदी फूड क्राप एरिया था। तो १ फीसदी बढ़ा ही है, घटा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सरकार पानी देती है और लोग गन्ना बोते हैं, अन्न कहां से आये।

मुझे अभी उधर जाने का इत्तफाक हुआ है। कहने की जरूरत नहीं, न जांच करने की जरूरत, जो साहब जायं देख आयें। वहां बाजार होते हैं, उनमें स्त्रियां भी आती हैं। मुझे यह कहने की इजाजत आप दें कि औरतें जब घर के बाहर निकलती हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि उनके तन का कोई हिस्सा दिखलायी न पड़े, उनके कपड़े फटे हुए न हों। लेकिन मैं नतमस्तक हूंगा उन माननीय सदस्यों का या इस सदन के बाहर किसी और सज्जन का जो गोरखपुर, आजमगढ़ या बलिया के किसी बाजार में मुझे ले चलें और यह दिखलायें कि १०० स्त्रियां अगर बाजार में आयी हों और ९५ के शरीर पर फटा हुआ कपड़ा न हो, तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। कोई साहब कहें मैं उनके साथ चलने के लिये तैयार हूं। फिर गरीबी की पहचान क्या चाहते हैं?

करोड़ों रुपया आज अन्न के वितरण में लगा रहे हैं, सब-सिडी दी जा रही है लेकिन किसान को तकावी नहीं देंगे, किसान को छूट भी नहीं देंगे। इसलिये कि अगर छूट दें तो तसलीम करना पड़ेगा कि पैदावार कम हुई। राज्यपाल कहते हैं कि गत वर्ष के मुकाबले में साढ़े १६ फीसदी रबी की पैदावार में कमी हुई। मुझे यह नम्रतापूर्वक पूंछने का हक है कि रबी की पैदावार की कमी के कारण किन जिलों में लगान में छूट दी गयी है। साढ़े १६ फीसदी की कमी के माने हैं कि जो हमारा नार्मल प्रोडक्शन है उससे २४–२५ फीसदी की कमी है। तो इतनी कमी होते हुए भी कितने क्षेत्रों में छूट दी गयी है। मालूम हुआ कि १/५० हिस्से में भी छूट नहीं दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति है, इस आदरणीय सदन में या कोई राजनीतिक दल है इस प्रदेश में जो अस्पताल बनाने के, स्कूल खोलने के, सड़कें बनाने के, पुल बनाने के, कृषि की पैदावार बढ़ाने के या जो सहकारिता आन्दोलन है उसके विरोध में हो। लेकिन तकलीफ होती है जब मैं नवाबगंज तहसील में जाता हूं। वहां १ लाख ६५ हजार की आबादी है लेकिन एक भी जनाना अस्पताल वहां नहीं है। मालूम होता है कि नवाबगंज तहसील की औरतों को कभी कोई ऐसा कष्ट नहीं होता है जिसमें लेडी डाक्टर की जरूरत महसूस हो। इसमें ट्रूस की क्या बात है? यह तो वही, हमारे यहां की देहाती मसल है कि "उलटा चोर कोतवाले डांटे"। हम गुजारिश करें, विनती करें, सही बात कहें लेकिन जो गलत बात कहें वही गुर्रे डब्बे दिखायें। अगर इसको यह समझा जाय कि कोई लड़ाई की बात है तो ऐसी लड़ाई में मैंने हमेशा कोशिश की है कि पीछे न रहूं और आगे भी यही प्रयत्न करता रहूंगा।

बहुत बातें होती हैं लेकिन एक कचहरी नहीं, एक अदालत नहीं, एक थाना नहीं जहां रिश्वत न चलती हो। फिर भी कहते हैं कि रोकी कैसे जाय। मान्यवर, साल में दस, पांच ऐसी घटनाएं होती हैं, मेरे सौभाग्य से गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं कि जहां यह शिकायत होती है कि किसी पुलिस वाले पर हमला किया, गांव वालों ने या शहर वालों ने। डंडा मारा, बर्छा मारी, थप्पड़ मारा या खरोंच लगाई। जहां किसी पुलिस वाले के खरोंच भी लगी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर चौकीदार तक उस गांव में टूट पड़े। ऐसी शिकायतें साल में १०–१५ मुश्किल से होती हैं। बरक्स इसके कितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी के पास आती हैं कि पुलिस वालों ने मारा? मान्यवर, ताजीरात हिन्द इस बात की गवाही देता है कि इस सूबे के रहने वाले की, जानमाल और शरीर की उतनी ही हिफाजत हो जितनी कि सरकारी कर्मचारी की हो, चाहे वह पुलिस में हो या आर्मी में हो। लेकिन यहां क्या है?

अगर शिकायत आती है कि पुलिस वाले ने किसी नागरिक को पीट दिया तो किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। कोई थाना ऐसा नहीं है जहां नागरिक पीटे न जाते हों। कोई साहब इस बात के लिये मुझ से जानना चाहें तो मैं लखनऊ शहर में ही दिखा सकता हूं कि हर दिन थाने में कोई न कोई जरूर पिटेगा। चाहे थप्पड़ मारा जाय, चाहे जूता मारा जाय, चाहे गाली दी जाय। लेकिन अगर कहीं किसी पुलिस मैन के जरा सी खरोंच लग गई तो सारा पुलिस दल टूट पड़ता है और अगर किसी नागरिक को पुलिस ने पीट दिया तो साढ़े तीन महीने तक इन्क्वायरी का कागज चलता है और उस पर भी लिख दिया जाता है कि कुछ नहीं हुआ। यदि यह असमानता रही तो न यह समाजवादी राज्य है और न लोकतंत्रीय शासन है।

आज हमारे यहां प्रजातन्त्र की लहर चल रही है। लेकिन न यहां खाने को अन्न मिलता है, न रहने को मकान मिलता है और थाने में लात, जूते और डंडे मिलते हैं। ऐसी हालत में अगर लोगों के दिल से डेमोक्रेसी से आस्था हट जाय तो ताज्जुब नहीं। आज मिस्र में क्या हो रहा है? लेबनान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान पड़ोस में है वहां फौजी हुकूमत हो गई है। वह हमसे बहुत दूर नहीं है। यह बात विरोधी की बात न समझिये बल्कि दिल से निकली हुई वह बात है जो देश की भलाई के लिये और समाज की भलाई के लिये है।

मान्यवर, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैंने यह बात कही थी कि पुलिस वाले जुल्म करते हैं, जब्र करते हैं, और इसका इंतजाम होना चाहिये। कहा जाता है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी अलग-अलग हो गई है तो फिर क्यों नहीं उसको हाई कोर्ट के मातहत कर देते। मुझे ज्ञान है कि जिस दिन यह अलग-अलग होंगी उस दिन पुलिस के अधिकारों में इजाफा होगा। जैसे कि भारतवर्ष में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास वगैरा में है। मैं उनके अधिकारों को बढ़ाने के पक्ष में हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। अगर कहीं हो तो उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडीशियल आफिसर या डिप्टी साहब फैसला नहीं करेंगे बल्कि मुंसिफ करेगा जो हाई कोर्ट के मातहत है। जो आजकल इतने व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार चल रहा है उसका मूल कारण यही है। जब तक एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को अलग नहीं किया जायगा तब तक करप्शन को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि सब से अधिक भ्रष्ट पुलिस व माल का विभाग है।

जो दूकानें अन्न की खोली गयी हैं, उनमें भी ब्लैक मार्केट चलेगा। अगर राशन कार्ड जारी नहीं किये जाते हैं तो कोई भी भला आदमी इन दुकानों से अनाज नहीं खरीद सकता है। चाहे जितना भी अनाज, चाहे अमरीका से लिया जाय, चाहे आस्ट्रेलिया से लिया जाय काम नहीं चल सकता है क्योंकि उसका बहुत सा हिस्सा ब्लैक मार्केट में चला जायगा। इसलिये तुरन्त राशन कार्ड जारी किये जायें। इन शब्दों के साथ आपने मुझे अधिक बोलने की जो सुविधा दी उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देकर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--यों मैं जानना चाहता हूं कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर कई संशोधन हैं। दोनों ही प्रथाएं इस सदन में चली आ रही हैं। या तो संशोधन ही पहले ले लिये जायें, तब अन्य सदस्यों को भाषण करने का मौका दिया जाय या एक संशोधन ले लें फिर दूसरे सदस्यों को बोलने दें। फिर दूसरा संशोधन लें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, ज्यादातर अच्छा यही होगा कि सब संशोधन ले लिये जायें क्योंकि इस में फिर अव्यवस्था यह हो सकती है कि एक संशोधन आपने ले लिया और उस पर भाषण होने लगे। उसमें तय करना पड़ेगा कि इस संशोधन पर कितनी देर तक भाषण हो। फिर दूसरे संशोधन पर कितनी देर भाषण हो फिर यह तय करना पड़ेगा, दोबारा समय बंटन करना पड़ेगा। सब संशोधन आ जायेंगे तो सारी बातें आ जायंगी और जिनको मत प्रकाशित करना होगा करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मेरी प्रार्थना यह है कि प्रथा यही रही है और सुविधा भी इसी में है, प्रस्ताव और संशोधन सब सदन के सामने आ जायें । उस पर एक साथ सामान्य विवाद हो । अलग-अलग लेने में असुविधा यह होगी कि जो व्यक्ति कुछ संशोधनों पर पूर्व बोल लेंगे उनको बाकी संशोधनों पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा । इसीलिये यह प्रथा रही है कि सब संशोधन आ जायं उसके बाद विवाद हो ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन है वह करीब-करीब एक ही अर्थ के हैं और उस पक्ष से कुछ न कुछ संशोधन आते ही रहेंगे । इसलिये बोलने की दृष्टि से और विवाद का अच्छा स्तर बनाने के लिये उत्तर प्रत्युत्तर के लिये तथा सदन की दिलचस्पी बनाये रखने के लिये मैं सुझाव दूंगा पहले एक संशोधन आये । उसके बाद दूसरा संशोधन आये क्योंकि प्रस्ताव तो एक ही है । दूसरे संशोधन जो हैं करीब-करीब एक से ही हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं, अगर सदन को स्वीकार हो, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस विवाद की खूबी को बनाये रखने के लिये दोनों तरफ से उत्तर प्रत्युत्तर आते रहें तो अच्छा ही है ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि जैसा हमारे श्री राजनारायण जी तथा पालीवाल जी ने फरमाया है कि सब संशोधन आ जायं सामने, उसके बाद तब जवाब हो, उसमें दिक्कत यह पड़ेगी कि हम कांग्रेसी लोगों की तादाद करीब दो गुनी है, और आप लोगों की संख्या एक बटा दो है । चार साहबान पहले बोल जायेंगे । उसके बाद एक इधर से और एक उधर से बोलेंगे तो हम लोगों का हक मारा जायगा । मेरी प्रार्थना यह है कि जो पहले से परम्परा चली आ रही है, जो बजट में हुआ करती है, उसी को रखा जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में जो पिछली दफा गवर्नर महोदय के भाषण के बाद प्रथा बनायी गयी है, वह प्रगट करूंगा । पिछली दफा सिर्फ पार्टी लीडर्स के संशोधन स्वीकृत हुए थे और अन्य संशोधन नहीं लिये गये थे यद्यपि उनको बोलने का मौका दिया गया था । मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी यह प्रथा अपनायी जाय तो अच्छा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय पालीवाल जी ने कहा है मुझे ऐसा मालूम होता है कि वह बहुत ही उचित व्यवस्था होगी और इस सम्बन्ध में शुक्ल जी का भी यही कहना है कि दो इधर से बोलेंगे तो दो उधर से बोलेंगे और फिर वही व्यवस्था करनी पड़ेगी । इसलिये जो पालीवाल जी ने कहा है वही व्यवस्था रखी जाय ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---पालीवाल जी ने जो कहा है कि संशोधन सब उपस्थित हो जायें उसके बाद फिर डिबेट हो, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---तो पहले पार्टियों के नेता अपने संशोधनों को पेश करेंगे और सदस्यों के लिये यह नियम लागू नहीं होगा ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें---

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने जनता के आर्थिक शोषण, मुनाफाखोरी, चोरबाजारी एवं रिश्वतखोरी से बचाने के सम्बन्ध में और जनता के जीवन की प्राथमिक तथा सब से ज्यादा जरूरी समस्याओं में से खाने, कपड़े, मकानादि की, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की, गरीबी, बेकारी, महंगाई आदि की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण से प्रदेश का जो चित्र सामने आता है वह सही नहीं है बल्कि सही चित्र को कुछ अंश तक प्रस्तावक महोदय स्वयं रखते अगर यह अनुशासन के नागपाश और धन्यवाद के प्रस्ताव का ब्रह्मपाश, इन दोनों पाशों से बंधे न होते । जिस समय प्रस्तावक महोदय बोल रहे थे सचाई के जजबात उनके हृदय से रोके नहीं रुक रहे थे और उन्हें रोकने के लिये अध्यक्ष महोदय को उन्हें यह कहकर टोकना पड़ा कि आप धन्यवाद का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं । सच बात तो यह है कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति उससे बिलकुल भिन्न है जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में व्यक्त की है । उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

सही बात तो यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है । इस ११ वर्ष के निरन्तर शासन के बाद भी स्वाधीन भारत में अभी तक जनता के जीवन की सब से पहली और सबसे ज्यादा जरूरी समस्याओं में से एक भी समस्या हल नहीं हो पाई है। जैसा मैंने अपने संशोधन में कहा है उन सब समस्याओं की चर्चा करना २० मिनट में सम्भव नहीं है । इसलिये उनमें से उतनी ही समस्याओं को लूंगा जिनका उल्लेख २० मिनट के अन्दर मैं अच्छी तरह से कर सकूं ।

पहले मैं रिश्वतखोरी की समस्या को लूंगा जो एक बड़ी समस्या है और जिसका जिक्र राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में किया गया है । वैसे मैं यह जानता हूं कि भ्रष्टाचार शब्द से हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री दोनों को चिढ़ है । दोनों की राय यह है कि भ्रष्टाचार की चर्चा करने से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा । उनकी राय में शायद भ्रष्टाचार की चर्चा न करने से भ्रष्टाचार रुक जायगा । तो मैं सहज में यह साहस नहीं करता कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की चर्चा करूं लेकिन मुझे साहस इसलिये हुआ कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के २१ वें पृष्ठ पर स्वयं यह कहा है कि "न्यायालयों से भ्रष्टाचार शीघ्र मिटाना है "। तो इस भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग चूंकि स्वयं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है इसीलिये मैं भी उसकी चर्चा करना आवश्यक समझता हूं । राज्यपाल महोदय ने कहा है कि "न्यायालयों से भ्रष्टाचार शीघ्र मिटाना है "। जब न्याय के मन्दिरों में यह भ्रष्टाचार है तब दूसरे विभागों में क्या होगा इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है । न्यायालयों में भ्रष्टाचार की चर्चा केवल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं की है, अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस वी० डी० भार्गव ने, जो कानपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के यहां २२,५०० रुपये का गबन हुआ है, उसमें अपील का फैसला करते समय उन्होंने यह शब्द कहे हैं कि "कानपुर की तमाम अदालतों में नियमों की परवाह नहीं की जाती और उसका परिणाम यह होता है कि सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, गबन हो रहा है" । यह न्यायपति श्री भार्गव का कहना है और जिस सिटी मजिस्ट्रेट का यह मामला था उसके बारे में उन्होंने यह निश्चय फैसला दिया है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट किया, सुपरवाइज नहीं किया और इसलिये गबन हुआ । तो इससे स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ा हुआ है और न्यायाधीश स्वयं बताते हैं कि कानपुर के सभी न्यायालयों में भ्रष्टाचार है, तो जब ११ वर्षों के प्रशासन में हम भ्रष्टाचार को कम भी नहीं कर सकते और एक नगर के सभी न्यायालयों में वह फैला हुआ है तो कल्पना की जा सकती है कि असली हालत क्या होगी ।

इसके बाद और समस्याओं को ले लीजिये । खाने की समस्था को लीजिये । क्या वह हल की जा चुकी है ? सरकार की ओर से कई बार दावा किया गया है कि हमने खाद्य समस्या हल कर ली है । १९५२ में यही दावा करके हमने जनता से वोट मांगे । लेकिन आज उसके संबंध में क्या हो रहा है ? जैसी मेरी आदत है, मैं अपनी ओर से कोई आलोचना करना नहीं चाहता क्योंकि उसके बारे में विवाद हो सकता है कि यह विरोधी की बात है, यह हमारी बात है । मैं आमतौर पर सरकार की अपनी स्वीकारोक्तियों को प्रमाण के तौर पर सदन के सामने रखता हूं । मैंने हाल में पढ़ा कि हमारे प्रदेश की सरकार ने एक आदेश निकाला है कुछ जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के नाम कि वहां के लोग साखू के बीज की रोटी खा रहे हैं, पेड़ों की जड़ें,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

पौधे और पत्ते खा रहे हैं और उसकी वजह से बीमारियों से पीड़ित हैं । उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध खासतौर पर किया जाना चाहिये । यदि माननीय गेंदासिंह जी या राजनारायण जी ऐसी बात कहते कि वहां के लोग ये चीजें खा रहे हैं तो कहा जाता कि विरोधी दल ऐसी बातें ही कहता है, लेकिन अब तो राज्य सरकार का यह आदेश है स्वास्थ्य अधिकारियों के लिये, यह उसकी स्वीकारोक्ति है कि वहां के लोग इतनी बड़ी तादाद में ये चीजें खा रहे हैं कि जिनकी वजह से यह तमाम बीमारियां फैली हैं और इस के लिये सरकार को इसका प्रबन्ध करने की आवश्यकता है । लक्ष्य की बात कही जाती है । लक्ष्य चाहे कितना ही ऊंचा हो स्वाधीन भारत में, लेकिन उसके ऊंचे होते हुये भी यहां के लोगों का भक्ष्य क्या है ? जब लोग ऐसी चीजें खा रहे हैं तो लक्ष्य की दोहाई देने से काम नहीं चलेगा । लोगों की समस्या बड़े आदर्शों से पूरी नहीं हो सकती । यह बात भी कही गई है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कि समस्त संभव प्रयत्न किये जा चुके हैं । ये उनके शब्द हैं, तो इसके माने यह हैं कि अब कुछ करने को बाकी नहीं है । इस से आगे कोई प्रयत्न करना संभव नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य और गल्ले की महंगाई की समस्या हल करने के लिये सरकार ने होर्डर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? केन्द्रीय सरकार ने एक कानून बनाया । आखिर किस लिये ? क्या वह बेवकूफ थी ? उसे बनाया गया अल्मारी की शोभा बढ़ाने के लिये या अमल में लाने के लिये ? मैं प्रदेशीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसके मुताबिक क्या एक भी होर्डर के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? हम रोज खाद्य मंत्री जी के बयानों को पढ़ते हैं । आप बार-बार धमकी देते हैं कि अगर महंगाई न रुकी तो हम कार्यवाही करेंगे, सख्त कार्यवाही करेंगे, लेकिन पता नहीं कि कार्यवाही करते समय कौन-सा लकवा मार जाता है या सांप सूंघ जाता है कि होर्डर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पातीं और सरकार के हाथ-पैर बंध जाते हैं । इसका क्या कारण है ? इसी तरह से कपड़े की समस्या है । सबको मालूम है कि कपड़ा मिलों के गोदामों में भरा पड़ा है और मिलवाले ढोल पीटते हैं कि कपड़े की बिक्री न होने के कारण हम मिलों को बन्द करते हैं । यह क्यों है ? इसलिये कि कपड़ा इतना महंगा है कि जनता उसे खरीद नहीं सकती, उसकी क्रय-शक्ति इतनी नहीं है । खाद्य और कपड़े की समस्या को सरकार हल नहीं कर सकी ।

मकानों की समस्या के लिये सरकार ने क्या किया है ? कौन-सा हल सरकार ने इसके लिये निकाला है कि लोगों को मकान की दिक्कत होने से बन्द हो ? हमारी सरकार ने आज तक इस बात की हिम्मत नहीं की कि यह मालूम करे कि हमारे प्रदेश के शहरों और गांवों में मकानों की समस्या कैसी है । सरकार को मालूम नहीं है कि शहरों और गांवों में कितने मकानों की जरूरत है। दैवयोग से कल ही इस सदन की मेज पर यह पुस्तिका रखी गई है—"प्राबलेम आफ हाउसिंग इन इंडिया" । यह मिनिस्ट्री आफ वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई की ओर से प्रकाशित हुई है । बड़े अच्छे आर्ट पेपर पर बड़े अच्छे ढंग से छपी है । इसके फोरवर्ड में कहा गया है कि "During the decade 1951-61 the urban areas alone will require about 8·9 million houses." यानी ८९ लाख मकान केवल शहरों के लिये चाहिये । हमारे प्रदेश की आबादी कुल देश की आबादी का लगभग छठा हिस्सा है, इसलिये ८९ लाख का छठा हिस्सा, लगभग १५ लाख मकान हमारे प्रदेश के लिये शहरों में चाहिये । यह मोटी-सी बात है । गांवों की समस्या तो इससे भी ज्यादा बुरी है । इसमें कहा गया है कि जो ५ करोड़ ४० लाख मकान गांवों में हैं उनमें से ५ करोड़ मकान ऐसे हैं जो भारत सरकार की राय में "required to be rebuilt" वरना वे रहने के लायक नहीं हैं और उनसे जनता के स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचता है । सरकार स्वयं मानती है कि सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि वह इस समस्या को हल कर सके । यह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और ढोल पीट दिया जाता है कि हमने कार्य आरम्भ कर दिया है । उसके आंकड़े हमारे ऊपर लाद दिये जाते हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि कितने मकानों की जरूरत है, उनमें से कितने बनाये गये और कितने वर्षों में यह समस्या पूरे तौर से हल हो जावेगी ।

अब शिक्षा को ले लीजिये । संविधान का आदेश है कि १९६१ तक १४ वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिये शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो जायेगी । राज्य सरकार का स्वयं का कहना है कि १९६१ तक हम केवल ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिये भी सब के लिये नहीं, ५० परसेण्ट के लिये भी नहीं, ४१ परसेण्ट को शायद हम १९६१ तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कर पावेंगे । यदि यह संविधान के आदेश की अवहेलना, उसका पालन न कर सकना सरकार के लिये गर्व की बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । वह अपने को सन्तुष्ट करे, लेकिन वाकयात बिलकुल दूसरे हैं । कौन नहीं जानता है कि शिक्षा में हमारा प्रदेश अपने ही देश के बहुत से प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है ?

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी मोटी-मोटी बातें मैं कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के १ लाख गांवों में २०० गांवों पीछे एक एलोपैथिक अस्पताल है और अगर २०० गांवों पीछे एक अस्पताल हो भी तो क्या जनता के स्वास्थ्य की समस्या हल हो सकती है ? आपने बता दिया कि ४२८ बना दिये, लेकिन मैं पूछता हूं कि यह सम्पूर्ण का कितना है ? इस आधार पर आप इस समस्या को कब तक हल कर देंगे ? इस तरह की पूरी तस्वीर आप जनता के सामने नहीं रखते हैं ।

महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि उनकी १४५ हजार की एक आबादी में एक भी अस्पताल नहीं है । सच बात तो यह है कि २ करोड़ से ऊपर जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा की जा रही है । कुछ महिलाओं को अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव कर सरकार समझती है कि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन कर दिया, लेकिन क्या सरकार ने यह देखा कि महिलाओं के लिये अस्पताल का कहीं प्रबन्ध है या नहीं है । उनमें से कहां महिलाओं को उनसे लाभ पहुंच पाता है और कहां नहीं, इसको सरकार बताये ।

यातायात के मामले में भी सरकार नागपुर प्लान को कार्यान्वित नहीं कर पायी है ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप माईक्रोफोन पर ही बोलें । जब आप दूसरी तरफ बोलने लगते हैं तो सुनाई नहीं देता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मुझे खुशी है कि शुक्ल जी मुझे सुनना चाहते हैं । मैं उन्हें सुनाने की कोशिश करूंगा और ध्यान रखूंगा कि मेरी आवाज उन तक पहुंच सके । वैसे तो मैं समझता हूं कि मेरी आवाज इतनी बुलन्द है कि बिना माइक के भी सदन को मेरी बात सुनायी पड़ सकती है ।

यातायात के संबंध में नागपुर में यह निर्णय हुआ था कि कोई भी गांव ऐसा न रहे जो पक्की सड़कों से पांच मील से ज्यादा दूरी पर हो । मैं पूछना चाहता हूं कि उसको आपने कहां तक पूरा कर लिया है । और यह तो केवल अपने ही देश का लक्ष्य है । दूसरे देशों के मुकाबले में, यूनाइटेड किंगडम को ही ले लीजिये, अपने यहां प्रति वर्ग मील जो सड़कें बनी हैं, वे ५ प्रतिशत भी नहीं हैं । तो क्या आपकी इस चीज पर गर्व किया जा सकता है ? मैंने ५–६ समस्याएं लीं और उनको लेकर यह बताया कि आप एक भी समस्या का हल नहीं कर पाये हैं और इसकी भी कोई आशा नहीं है कि सन् १९६१ तक या उससे आगे आप उन समस्याओं का हल कर पायेंगे ।

बेकारी की समस्या को ले लीजिये । योजना बनानेवालों ने स्वयं सन् १९६१ तक, प्लान खत्म होने तक, बेकारी न खत्म कर सकने के बारे में कहा है । आप की तरफ से कुछ भी दावे होते रहें, लेकिन प्लानर्स ने यह माना है कि इस योजनाकाल में यह संभव नहीं है कि बेकारी दूर हो सके ।

अब गरीबी की समस्या लीजिये जिसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री बार-बार कहा करते हैं । उस हंगर और पावर्टी को दूर करने के लिये आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा है कि २५ प्रतिशत लोगों की आमदनी आप बढ़ा देंगे । वैसे तो दुर्भाग्य से युद्ध के बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं और योजना की हालत यह है कि लोहा, सीमेंट और कोयला जितना इस योजना को पूरा करने के लिये चाहिये उसका चौथाई ही आपको मिल पाता है । योजना के

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

लिये विदेशी विनिमय की भी कठिनाई है । जिस प्रकार से कानी के विवाह को सौ जोखों, उसी प्रकार से आपकी योजनाओं को भी सौ जोखों हैं, लेकिन अगर मान भी लिया जाय कि २५ प्रतिशत आमदनी बढ़ भी जाय तो भी महंगाई ३७ प्रतिशत बढ़ जाती है । मैं पूछना चाहता हूं कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो आमदनी और महंगाई कितनी-कितनी बढ़ी हैं । "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु द्विगुण कपि रूप दिखावा "। जितनी अधिक आमदनी आप बढ़ा पाते हैं उससे अधिक महंगाई बढ़ कर लोगों को पहले से भी ज्यादा गरीब बना देती है । आप कहते हैं कि लोगों की आमदनी ९ या ११ प्रतिशत बढ़ी है ।

तो सरकार यह भी तो बतलावे कि आज से ११ वर्ष पहले महंगाई कितनी थी, प्राइस इन्डेक्स क्या था और अब क्या है और उन टर्म्स में हम देखें कि आमदनी बढ़ी है या घटी है । इसका हिसाब हम जनता के सामने रखें तब यह कहा जा सकता है कि कोई बात की जा सकी है । महंगाई की समस्या को आप कतई हल नहीं कर पाये हैं । अंग्रेजी राज्य के जमाने में जब कि युद्धकाल था और कहा जाता था कि महंगाई बहुत बढ़ गयी है, आज शान्तिकाल में स्वाधीन भारत में भी उससे कई गुना महंगाई बढ़ गयी है और बराबर बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं लेती । निरन्तर महंगाई बढ़ती जा रही है और ईश्वर ही जाने कि वह कहां तक जाकर रुकेगी । इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह हर सरकार का काम है कि वह अपना प्रचार करे, अपने किये हुए कामों की तारीफ करे, लेकिन किसी भी सरकार के लिये जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है । मैं सरकार को सावधान करता हूं कि विरोधी पार्टी के साथ आप कुछ भी कीजिये, लेकिन अगर आपने जनता के जीवन की समस्याओं के साथ खिलवाड़ किया तो आपसे बड़ी-बड़ी सरकारें इस तरह से जनता की क्रोधाग्नि के सामने एक पल भी नहीं टिक सकी हैं और आपने भी यदि जनता के दुःख को दूर नहीं किया तो आप भी जनता की क्रोधाग्नि में भस्म हो जायेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, उस में मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जांय:—

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का न तो जिक्र किया है और न उनके सुलझाव की ओर संकेत किया :—

१—बनारस, गोरखपुर, कमिश्नरी तथा बांदा, हमीरपुर आदि जिलों में अन्न संकट तथा उनसे उत्पन्न विषम परिस्थिति ।

२—अन्न-संकट वाले क्षेत्रों में लगान, पंचायत तथा अन्य करों को कठोरता-पूर्वक वसूल करना ।

३—लगातार बढ़ती महंगाई, चीनी के बढ़ते दामों को देख कर गन्ने का दाम न बढ़ाना ।

४—पंचवर्षीय योजना में अपव्यय तथा भ्रष्टाचार ।

५—पंचवर्षीय योजनायें बनाने के लिये प्रदेश के साधन तथा आवश्यकताओं की गणना का अभाव ।

६—पिछड़ी जाति के आयोग की रपट के आवश्यक अंग को कार्यान्वित न करना ।

७—मिल बन्दी तथा मजदूरों की छटनी से फैली विषम परिस्थिति ।

८—गरीबी से उत्पन्न भीषण बीमारियों तथा उसके फलस्वरूप पशु तथा जन-हानि ।

९—शिक्षा समस्याओं में हस्तक्षेप, कक्षा ७ व ८ की फीस माफ न करना, बी० एम० बी० एस० कालेज, लखनऊ के छात्रों की चल रही ५ माह से हड़ताल तथा सरकार की ओर से उनकी उचित मांगों पर ध्यान न दिया जाना ।

१०—पुलिस के जनतान्त्रिक संगठन के सम्बन्ध में सरकारी नीति ।"

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो प्रान्त का चित्र खींचा है, जैसा कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने अभी मुझसे पहले सदन के सामने कहा है, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं कि भविष्य की स्कीम सरकार के सामने क्या है, अगले वर्ष या आगे सरकार जनता के कल्याण के लिये क्या करने जा रही है, उसका सब से पहले विस्तार के साथ उल्लेख राज्यपाल महोदय के भाषण में होना चाहिये । इस अभिभाषण में इस बात की कमी है, लेकिन जो चित्र उन्होंने अपने किये हुये गत वर्ष के कामों का इस समय अपने अभिभाषण में खींचा है, उस सम्बन्ध में मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह कहूंगा कि वह चित्र भ्रामक है । वह सही बात, जैसी कि स्थिति आज हमारे प्रान्त की है, अभिभाषण में खींचे हुए उस चित्र से वह उसका सामंजस्य नहीं होता ।

मैं सब से पहले सदन के सामने निवेदन कर देना चाहता हूं कि सबसे आवश्यक बात यह थी कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र करते कि गत वर्ष में राजनीतिक प्रगति समाजवादी समाज की व्यवस्था के लिये कहां तक हुई है, उसके लिये सत्ताधारी पार्टी ने क्या कदम आगे बढ़ाये हैं और विरोधी दलों ने उसके बारे में गत वर्ष में क्या कार्यवाही की है, उसका उल्लेख उनके अभिभाषण में होना चाहिये था, परन्तु वह नहीं है ।

गत वर्ष, श्रीमन्, जैसा कि सदन को विदित है सोशलिस्ट पार्टी ने एक महान् आन्दोलन ऊंचे सिद्धान्तों को लेकर जनता के सामने रखा । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस सत्याग्रह में ५ हजार से अधिक सत्याग्रही जेलखानों में गये, जेलखानों में सत्याग्रहियों की मृत्यु हुई । जेल से बाहर पुलिस के अधिकार में जब वे सत्याग्रही रहे तो उनकी मारपीट हुई और उनमें प्राणान्त तक हुए । इतनी गम्भीर घटना साल भर के अन्दर कोई नहीं घटी और इतनी महत्त्वपूर्ण घटना का कोई जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में नहीं किया ।

इसके अलावा मैं एक और बात की ओर, श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ऐसा घृणित और निन्दनीय कांड हमारे प्रान्त में हुआ है जिस के लिये हमारे प्रान्त की सरकार जनतंत्र के इतिहास में हमेशा लज्जित रहेगी और वह कांड यह था कि विश्व विख्यात और जनतंत्र के सिद्धान्त के सबसे बड़े पोषक डाक्टर राममनोहर लोहिया का अपमान लखनऊ नगर में किया गया और एक मामूली सरकारी कर्मचारी के द्वारा उनके साथ पशुवत् बर्ताव करके जबर्दस्ती उनके अंगूठे का निशान लिया गया और यह एक ऐसी बात हुई जो इस सरकार के लिये इतिहास में एक कलंक के रूप में रहेगी, उसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहीं किया । अगर वे उसके सम्बन्ध में दो शब्द कह कर अफसोस प्रकट कर देते तो मैं समझता हूं कि उस पर कुछ परदा पड़ जाता, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं किया ।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ १ पर यह जिक्र किया है, "आपके सतत एवं सक्रिय सहयोग और अभिरुचि के कारण हमारे राज्य ने इन वर्षों में जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों को ऊंचा करने में पर्याप्त प्रगति की है" ।

मान्यवर, मैं उनके इस लेख को अत्यन्त भ्रामक और गलत समझता हूं । मैं इतने कटु शब्द कहने के लिये मजबूर हूं । मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९४७ से जब से अंग्रेज यहां से गये तब से कत्ल, डकैती, चोरी, राहजनी, स्त्रियां भगाना आदि जैसे जुर्म आपके शासनकाल में बढ़े हैं या घटे हैं, या हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ है ? शिक्षा और स्वास्थ्य में जो कुछ भी उन्नति हुई है उसके बारे में मुझ से पहले माननीय पालीवाल जी ने जो कुछ कहा उससे और अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं समझता हूं कि हमारा सामाजिक स्तर इन पिछले १०-११ सालों में ऊंचा होने की अपेक्षा गिरा ही है । माननीय राज्यपाल का अभिभाषण इस बात को प्रमाणित करता है कि यह भ्रामक है जिसमें उन्होंने इस बात की दुहाई दी है कि हमारे सामाजिक व आर्थिक स्तर को उन्होंने ऊंचा किया है । मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बेकारी, गरीबी और भुखमरी कहां तक दूर हुई है ?

[श्री देवनारायण भारतीय]

हम रात दिन आये दिन, यह बात सुनते हैं कि भूख के कारण, माननीय पालीवाल जी ने जिक्र किया कि, पूर्वी जिलों में वहां के निवासी दरख्तों की छाल और पत्ती खा रहे हैं अन्न की जगह। और माननीय राज्यपाल आज हमारा आर्थिक स्तर ऊंचा होने की दुहाई दे रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—जब आप माननीय राज्यपाल का जिक्र करें तो उस समय सरकार कह दें तो अच्छा हो। आप यह कह दें कि सरकार दुहाई दे रही है। क्योंकि वह अच्छा नहीं मालूम होता।

श्री देवनारायण भारतीय—जैसी आज्ञा। जो हमारा आर्थिक स्तर ऊंचा करने की बात कही गई, हमारी मिलों में जो मजदूर हैं उनके जीवन में पिछले १०, ११ वर्षों में क्या उन्नति हुई है, मैं जानना चाहता हूं। उनकी मजदूरी में कितना इजाफा हुआ? उनके साथ जो गोली कांड और आये दिन लाठी चार्ज अंग्रेजी शासन काल में हुआ करता था और जिसके लिये हम कांग्रेसी होने के नाते कहा करते थे कि जब हमारे देश में स्वराज्य होगा तब मजदूरों की और किसानों की दशा सुधरेगी, उनके हाथ में वोट है राजसत्ता को बनाने का, हम उनको इस योग्य बनायेंगे कि वे देश के मालिक बन सकें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन मजदूरों की आर्थिक स्थिति का स्तर ऊंचा करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं?

राजनीतिक स्थिति की बात तो मैं पहले कह चुका हूं कि हमारा राजनीतिक स्तर इन पिछले १० वर्षों में किसी प्रकार से किसी प्रान्त के मुकाबले में तथा दूसरे देशों के मुकाबले में नहीं बढ़ा है। माननीय राज्यपाल न जो अपने अभिभाषण में बात कही है उसको मैं भ्रामक समझता हूं।

माननीय राज्यपाल ने नियोजन के सम्बन्ध में पृष्ठ २ पर यह कहा है—"प्रथम पंचवर्षीय योजना को हमने उत्साहवर्धक सफलता के साथ पूरा किया, जिससे कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में उससे कहीं बड़ा कार्यक्रम प्रारम्भ किया"। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की निष्फलता से और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो वर्ष बीत चुके हैं उसमें जो कुछ भी सरकार ने किया है उसकी निराशा से आज सारा प्रान्त पीड़ित है। हम केवल एक बात से ही सरकार के कार्य की तुलना कर सकते हैं और वह यह है कि अरबों रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने खर्च किया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उससे भी दुगुना खर्च होने जा रहा है और इसका परिणाम क्या है? श्रीमन्, मैं बहुत मोटी-सी बात कहना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने से पहले हमारे प्रान्त में गेहूं सवा तीन सेर का बिकता था और अब डेढ़ सेर का लखनऊ के बाजार में और दूर देहातों में बिक रहा है। सम्भव है कि और शहरों में जहां पर सरकारी गल्ले की दूकानें खुल गई हैं, गेहूं का भाव भले ही कुछ ज्यादा हो, लेकिन आम तौर पर डेढ़ सेर का गेहूं आज प्रान्त में बिक रहा है। इतना तेज गेहूं आज से पहले, न यवनकाल में और न ब्रिटिश काल में, कभी नहीं बिका। अन्न के भाव को देख करके डर यह होता है कि अगर योजनाएं इसी प्रकार से चालू रहीं तो कहीं यह सेर से घट कर छटांकों में न बिकने लगे और फिर हम नहीं जानते कि इन योजनाओं का परिणाम क्या होगा।

माननीय राज्यपाल ने जिक्र किया कि प्रान्त में ३३३ विकास खंड कार्य कर रहे हैं और ४३ प्रतिशत जनता इन विकास खंडों से सम्बन्ध रखती है, लेकिन मैं भी देहात से ही चुन कर आया हूं। मेरे क्षेत्र में भी विकास खंड हैं। मैं उन विकास खंडों की जनता से रातदिन का सम्बन्ध रखता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुये सदन से कहूंगा कि जनता नहीं जानती कि यह विकास खंड क्या हैं, जनता तो केवल इतना समझती है कि अब कुछ अफसर और बढ़ गये। बजाय इसके कि कुछ सेवक इन विकास खंडों द्वारा जनता के सामने आते, जनसेवा के प्रेमी बन कर उसके सामने आते, आज ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर,

असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर, पंचायत राज आफिसर, इंस्पेक्टर और जाने कौन-कौन नये अफसर जनता पर और लाद दिये गये हैं। जनता उनको अपने सेवक के नाते नहीं, बल्कि उनको आफिसर के नाते जानती है। वह विकास खंड के नाम पर जनता से धौंस में काम कराते हैं, इस सब का जनता पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, जनता उनके कहने को नहीं मानती और उनसे सहयोग नहीं करती और वे लोग अपनी जीप पर चढ़ कर अपनी अफसरी दिखलाने से ही सन्तुष्ट हैं और उनका जनता से कोई सहयोग नहीं है।

माननीय राज्यपाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि गत वर्ष ५ प्रतिशत कम क्षेत्र में रबी बोई गई और १६.६ प्रतिशत उत्पादन कम हुआ और अरबों रुपया नियोजन के काम में व्यय हो गया, सिंचाई के साधनों के बनाने में व्यय हो गया। योजनाओं का तो फल यह होना चाहिये था कि रबी की जोत की जमीन का रकबा बढ़ता, हमारी पैदावार का औसत बढ़ता और पैदावार बढ़ती, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ कि रकबा घट गया और पैदावार का औसत भी कम हो गया। इन योजनाओं से प्रदेश की प्रगति हुई है या अधोगति हुई है, मैं इसको समझने में असमर्थ हूं।

सिंचाई में पिछली योजनाओं में ३५ करोड़ की लागत से ३,७४० मील लम्बे जलमार्ग और १,५०० नलकूप बनाये गये, लेकिन इन सब के बनने के बावजूद सिंचाई का रकबा बढ़ा नहीं, बल्कि और घटा और प्रतिवर्ष इसमें कमी होती चली जा रही है, और जो भी वर्ष आता है सिंचाई का रकबा उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण माननीय राज्यपाल ने बताये हैं, एक तो यह कि खेतों के बीच में जनता जलमार्ग नहीं बना सकी इसलिये सिंचाई कम हुई और जो वर्षा हुई उसके कारण लोगों ने अधिक सिंचाई नहीं की, परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में बात यह नहीं है। वास्तव में बात यह है कि हमारे यहां पिछले १० वर्षों में सिंचाई की दरें दुगुनी, चौगुनी, पंचगुनी और छः गुनी हो गई हैं और उसका परिणाम यह है कि जनता इतना पैसा नहीं दे सकती। वह लगान दे, आबपाशी दे, तमाम तरह के कर दे, कहां से दे? नतीजा यह हुआ कि जनता सिंचाई नहीं करती और पैदावार कम होती जाती है। यही कारण है कि औसत भी कम होता जाता है। अगर सरकार सचमुच जनता को लाभान्वित करना चाहती है तो आगे बढ़ और सोशलिस्ट पार्टी की बात माने और सिंचाई की दरें कम करे। आप उन दरों को सन् १९४७ के औसत पर लाइये और फिर देखिये कि जनता सिंचाई के साधनों का उपयोग करती है या नहीं और फिर आप का उत्पादन बढ़ता है या नहीं, लेकिन दुःख है कि सरकार सही बात को भी नहीं मानती और दोष देती है कि पानी बरस गया और सिंचाई नहीं हुई और जलमार्ग नहीं बने। सरकार वास्तविक कारणों पर ध्यान नहीं देती। यदि सरकार स्वयं नहीं सोच सकती तो जो दूसरे सलाह दें उसे माने। जिसके पास पैसा नहीं होता वह दूसरों से उधार लेकर काम चलाता है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अगर यह सरकार अपनी ओर से सही बात नहीं सोच सकती तो यदि कोई सही सुझाव अपोजीशन से आते हैं तो उन्हें मानने में उसे कोई इनकार नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहूंगा कि भ्रष्टाचार की चर्चा माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में की। इसी लिए मैं भी उसके बारे में कहना चाहता हूं। आज जिले के स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के केवल दो प्रयत्न सरकार की ओर से अब तक हुए हैं। पहला प्रयत्न यह है कि एंटीकरप्शन आफिसर हर जिले में रख दिया गया है। वह पुलिस का कर्मचारी था, अब तक थानेदार था, डट कर के रिश्वत लेता था, जनता की छाती पर दाल दलता था और आज उसी को ऐंटी-करप्शन आफिसर बना करके जिले में कायम कर दिया। दूसरा प्रयत्न भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह किया गया कि ऐंटीकरप्शन कमेटी बनायी गयी जिनमें जिले के कुछ माननीय सदस्य हैं और कुछ माननीय विधायक भी सदस्य हैं, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐंटीकरप्शन कमेटी है उसका उस ऐंटीकरप्शन आफिसर से कोई सम्बन्ध नहीं है, जनता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। एण्टीकरप्शन आफीसर के पास जो

[श्री देवनारायण भारतीय]

भी शिकायत जायगी, वह केवल सुपरिण्टेंडेंट पुलिस की आज्ञा से ही उसमें काम कर सकता है और सुपरिण्टेंडेंट पुलिस को अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद वह कोई कार्य करेगा। एक तो वह पहले पुलिस का कर्मचारी था, स्वयं रिश्वत लेता रहा है और मैं कुछ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निवेदन कर सकता हूं कि ऐंटी करप्शन आफिसर की नियुक्ति होने से जहां पहले जिलों में सुपरिण्टेंण्डेण्टों की थैलियां माहवारी हर थाने से बंधी हुई हैं वहां अब उसकी भी एक थैली और बंधवा दी है। यह तो आपके ऐंटी करप्शन आफिसर की हालत है।

आपकी ऐंटी-करप्शन कमेटी की यह हालत है कि वह स्वयं कोई जांच नहीं कर सकती। उसका केवल इतना काम है कि उसके पास जो शिकायत आये वह उस विभाग के ऊंचे अफसर के पास भेज दे कि वह उसकी जांच करे। तो केवल इतना करके आप यह चाहते हैं कि करप्शन बन्द हो जाय, भ्रष्टाचार कम हो जाय, यह असंभव बात है। यदि आज इस सरकार को भ्रष्टाचार रोकना है तो उसको उचित है कि इस ऐंटी करप्शन कमेटी को शक्तिशाली कमेटी बनाये, इस ऐंटी करप्शन कमेटी के सदस्य रिश्वत की, भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर उसकी जांच कर सकें, उसमें सहयोग ले सकें, उस विभाग के उच्च अधिकारी का और उसके सहयोग से जो बात आवश्यक समझें उसे कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि भ्रष्टाचार रुक सकता है।

मेरा समय समाप्त हो गया, अतएव मैं क्षमा चाहता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन आपसे यह करना है कि यह जो संशोधन है इसे समयाभाव के कारण पढ़ा हुआ समझा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप उसको पढ़ दीजिये, मैं उतने समय की रिआयत कर दूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायं :

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की या तो चर्चा नहीं की या उनके उचित हल का कोई उपाय बताने अथवा उस दिशा में कोई प्रगतिशील कदम उठाने की बात नहीं कही :—

(अ) प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा औद्योगीकरण की समस्या।

(ब) प्रदेश की, विशेषकर उत्तर-पूर्वी अंचल की, सूखे अथवा बाढ़ से लगातार फसलों का खराब होना, प्रदेश में अन्नोत्पादन की निरन्तर घटती, उसकी वृद्धि के लिए ठोस कदम तथा यथोचित उपाय, पिछले सूखे से एकदम फसल नष्ट होने के कारण पैदा हुई भुखमरी व उससे बचने के उपाय।

(स) प्रदेश के निवासियों की क्रयशक्ति का ह्रास तथा उसे दूर करने के उपाय।

(द) किसानों का लगान आधा किया जाना व नहर रेटों का घटाना।

(ध) आर्थिक तथा सामाजिक विषमता को हटाना, अल्प वेतन भोगियों व आय वालों के वेतन व आय बढ़ाने के उपाय।

(न) अधिक करों से जनता को बचाना तथा वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को घटाना।

(प) जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण।

(फ) भ्रष्टाचार, घूसखोरी को दूर करना।

(ब) मिलों की तालाबन्दी, छटनी व हड़तालों की रोकथाम व मजदूरों की उन्नति तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना।

(भ) प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, उनकी रोक-थाम, पुलिस का सुधार, जनता के जान-माल की सुरक्षा।
(म) गोसदनों का सुधार।
(य) राष्ट्रभाषा के प्रति सरकारी नीति।
(र) स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, विद्युत, सिंचाई, सूचना, विस्थापित-जनों, वन सम्बन्धी सरकारी विभागों के कार्यों में सुधार की आवश्यकता।
(ल) प्रदेश में बढ़ते हुए अग्निकांडों की रोकथाम।
(व) वृद्धावस्था पेंशनों की वृद्धि व सुधार।
(श) गन्ने की समस्याओं का हल।"

श्रीमन्, राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में एक वाक्य प्रयुक्त किया--"मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि राज्य की विधि और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति सन्तोषप्रद रही है"। श्रीमन्, दोनों बातों को, विधि को और राज्य की व्यवस्था को अगर हम देखें तो पायेंगे कि गतिविधि की बात तो आज इतनी भीषण पूर्वांञ्चल की ओर विशेष कर हो रही है कि अकाल की स्पष्ट छाया वहां खड़ी है। अकाल की ही छाया श्रीमन्, नहीं वहां आज भोजन के अभाव में, जैसा कि अभी पालीवाल जी ने कहा और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में बभनान ग्राम में एक स्त्री भूख से पागल होकर बरसात में उगे हुए मुशरूम को उखाड़-उखाड़ कर कच्चा चबा रही थी। मैं इस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल सकता। क्या यह मनुष्य का जीवन है या पशु का जीवन है? अगर इस राज्य की विधि में मनुष्य को मानवता की ओर से हटा कर पशुता की ओर ले जाना है तो मैं मान लूंगा कि यह बड़े सन्तोष की बात है। इतना ही नहीं, अखबारों में यह चीज निकल चुकी है और इसका स्पष्ट प्रमाण अभी मैं श्रीमन् को दिखाऊं कि देवरिया जिले में छितौनी पट्टी ग्राम में मैंने लोगों से पूछा कि गन्ना २० आने और २१ आने मन बेचा और आज उसी गन्ने की खुइया जिसे कहते हैं वह भी २० आने और २१ माने मन बिक रही थी। जिससे चीनी पैदा हो वह भी २० और २१ आने मन और जो पशु का खाद्य पदार्थ हो वह भी उसी भाव बिके तो फिर वही कहावत है कि "अन्धेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा" अगर यह अन्धेर नगरी की विधि बड़ी सन्तोषप्रद है तो माना जा सकता है कि बड़ी सन्तोषप्रद विधि रही है।

श्रीमन्, किसी एक भी स्थान को उठा कर आप देखें। न्याय की व्यवस्था का बड़ा हल्ला रहता है कि हमारे यहां न्याय बड़ा अच्छा है। एक प्रमाण न्याय के लिये दिया जाता है कि सेपरेशन आफ जुडिशरी ऐंड एग्जीक्यूटिव। एक ओर तो कहा जाता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को हम अलग करते हैं और उस सेपरेशन का अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ यह होगा कि जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उनकी पदोन्नति, उनका केरेक्टर रोल, उनकी छुट्टी, उनकी सारी शासन व्यवस्था अधीनस्थ होनी चाहिये हाई कोर्ट के। परन्तु यह सरकार एक आर्डर निकालती है, मैं उदाहरण स्वरूप श्रीमन् को दे रहा हूं :—

"Copy of G. O. no. P-3263/II-A—225-1957, dated January 25, 1958, from S. V. S. JUNEJA, I. A. S., Under Secretary to Government, Uttar Pradesh, to the Secretary, Board of Revenue, Uttar Pradesh, Lucknow.

इसका जो दूसरा पैरा है वह सुनने के काबिल है :—

"2. As regards grant of leave to Additional District Magistrates (Judicial) and Judicial Officers in the separation districts, the District Magistrates, even in these districts, are in administrative charge of the magisterial establishment. The power to grant leave to Additional District Magistrates (Judicial) and Judicial Officers can also not in any way be interpreted as affecting the judicial independence of these officers. It has accordingly been decided that the District Magistrates will continue to grant leave to these officers upto six weeks in the separation districts as well, when no substitute is required."

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

श्रीमन्, उनकी छुट्टी की बात, उनके ऐडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज की बात अगर हाई कोर्ट के अधीनस्थ होती तो मैं मान लेता कि उनकी स्थिति बिल्कुल सेपरेट है, वे बिल्कुल इण्डिपेण्डेण्ट हैं। परन्तु जब आज उनको कलेक्टरों का मुंह देखना पड़ता है इस सर्कुलर के अनुरूप तो उसको मैं क्या मानूं? क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है? मुझे यह कहना पड़ता है कि सेपरेशन का केवल हल्ला होता है और व्यवहार वही ब्यूरोक्रेटिक जमाने में जैसा होता था वैसा ही होता है।

सही न्याय की बात कही जाती है, लेकिन दिन पर दिन अन्याय बढ़ता जाता है। इस बढ़े हुए अन्याय का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने है। मंत्री महोदय ने बताया कि ३ करोड़ ५४ लाख रुपया चीनी मिल मालिकों के ऊपर बाकी है अभी तक इसलिये कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है। हाई कोर्ट में रिट हुआ। यह जो सरैया शुगर मिल देवरिया की है इसपर छितौना गांव के गरीब किसानों का बहुत-सा रुपया बाकी पड़ा हुआ है। यह रुपया एक दो महीने से बकाया नहीं बल्कि १९ जनवरी का उनका कैशमेमो है और तब से आज तक मिल ने गरीब किसानों को पैसा नहीं दिया है। जहां लोग भूखों मर रहे हैं श्रीमन्, वहां की बड़ी शोचनीय दशा है। जिसको मिल से २५ रुपया पाना है वह मिल पर दावा करने के लिये रुपया कहां से लाये? यदि हमारी सरकार के किसी के ऊपर दो पैसे भी रहते हैं तो उसको वसूल करने के लिये कोअर्सिव मेजर्स लिये जाते हैं। आज जौनपुर से मेरे पास तार आया है। इसमें सभी पार्टी के प्रमाणित लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। जैसे श्री हरिहरदत्त, जनसंघ; श्री राममूर्ति, सेक्रेटरी कम्यूनिस्ट पार्टी; श्री विश्वनाथ सिंह, सेक्रेटरी सोशलिस्ट पार्टी तथा गोपालदास जी, प्रेसीडेंट मजदूर सभा। इन लोगों ने यह तार भेजा है जो इस प्रकार है :—

"Appalling scarcity paying capacity of kisans exhausted due to continuous failure of crops since 1363 *fasli*. Coercive measures are extensively taken to realize Act XII and XIX to gave and land revenue. Move Government for total remission."

श्रीमन्, अगर सरकार के किसी के ऊपर दो पैसे भी बाकी रह जायं तो चाहे वहां भुखमरी चलती हो, क्यों न वहां अन्न कम पैदा हुआ हो, कठिनाइयां पड़ रही हों, लेकिन वहां कोअर्सिव मेजर्स उसकी वसूली के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं और सूद भी वसूल किया जाता है, लेकिन बेचारे गरीब किसानों का जब पैसा सरैया शुगर मिल पर बकाया रह जाता है तो उसके लिये कुछ नहीं किया जाता और जिसकी तारीफ में बड़े-बड़े गीत गाये जाते हैं।

श्री उग्रसेन—यह और बता दीजिये कि यह सरैया शुगर मिल किसकी है?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह सरदार सुन्दर सिंह मजीठिया की है। इस मिल पर बेचारे गरीब किसानों का ९ लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है और सरकार के कानों पर उसकी वसूली के लिये जूं तक नहीं रेंगी और सरकार ने उसकी वसूली के लिये अभी तक कुछ नहीं किया है। यह आप के न्याय की विधि है। न्याय उसे प्राप्त हो जिसके पास पैसा हो, जिसके पास तार खींचने के साधन हों या पोलिटिकल बैंकिंग हो। श्रीमन्, जिस गरीब किसान के पास न तो पैसा ही है, न तार खींचने के साधन हैं और न उसके पास पोलिटिकल बैंकिंग ही है तो उसको पूछने वाला कौन है, वह भले ही भूखों क्यों न मर जाय।

श्रीमन्, दूसरी ओर पुलिस को ले जीजिए। पिछली बार जो क्राइम्स के बारे में पुस्तिका मिली थी उसमें स्पष्ट माना गया है कि जुर्म की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेरे पास इस समय वह पुस्तिका नहीं है वरना मैं बतला देता। देखिये आप लोग, इधर जुर्म भी बढ़े और पुलिस भी बढ़ी। इसका अर्थ क्या है? यह तो उसी कहावत को चरितार्थ करता है कि 'ज्यों-ज्यों दवा की गई मर्ज बढ़ता ही चला गया'। जुर्म किस तरह से बढ़ रहे हैं यह भी जरा देखने की बात है और प्रोटेक्शन किस को मिल रहा है यह भी देखने की आवश्यकता है।

अभी हाल में जौनपुर के एस० पी० ने एक लेख लिखा है उसमें उसने लिखा है कि जुर्म जो बढ़ रहे हैं उसका कारण यह है कि जो जुर्म करते हैं उनके पीछे पोलिटिकल बैंकिंग होती है।

श्रीमन्, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। 'विशाल भारत' नाम की एक पत्रिका है जो कलकत्ते से छपती है। उसके फरवरी के अंक में एडीटोरियल में मानसिंह वगैरह डाकुओं का वर्णन आया है। उसी में डायरीज के रखने के बारे में भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि उसको माननीय गृह मंत्री जी पढ़ लेंगे कि क्या बात है? इससे उनको पता चल जायगा कि पुलिस वाले किस तरह से अपनी डायरियों को लिखते हैं।

अभी हमारे साथी मुकुट बिहारीलाल जी ने बताया कि उनके ऊपर राहजनी का मुकदमा चलाया गया। अब श्रीमन्, इस बात के विचार करने की आवश्यकता है कि एम० एल० एज० जो कि जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम राहजनी करते हो, डकैती करते हो। अगर एम० एल० एज० के लिये यह कहा जाता है तो फिर डकैती और राहजनी कौन करेगा? यह डकैती और राहजनी का सवाल नहीं है, बल्कि पोलिटिक प्रासीक्यूशन है। राजनीतिक नेताओं पर पुलिस प्रासीक्यूशन की दृष्टि से मुकदमे चलाती है। कहा जाता है कि हमारी व्यवस्था बड़ी अच्छी है। पुलिस के भ्रष्टाचार का वर्णन अभी स्पष्ट रूप से किया गया। इतना ही नहीं, श्रीमन्, एलेक्शन पेटीशन के जजमेंट में आता है कि वोटिंग कार्ड्स बांटने के लिए पुलिस का प्रयोग किया जाता है। एलेक्शन पेटीशन इसको स्वीकार करता है। यह पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस का कार्य है शान्ति स्थापित करना, जुर्म रोकना न कि एलेक्शन के कार्ड ले जाकर वोटरों को बांटना। यह बड़ी आदर्श व्यवस्था है।

शिक्षा के बारे में एक ही शब्द कह सकता हूं कि हमारे बालकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। स्तर रोज गिरता चला जा रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन की बराबर रिपोर्टें आती हैं कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का स्तर कितना गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? जो दैनिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, छोटे बच्चों के जो कोर्स रखे गये हैं, किताबें रखी गयी हैं, पूरे आदमी का बोझ है। उनके क्वैश्चन पेपर को उठा कर देखें तो न्यूज पेपर्स मालूम होते हैं, ६–६, ७–७ पन्ने के पेपर्स होते हैं। १४–१५ वर्ष के बालक की बुद्धि में इतनी क्षमता है? उसके माइंड को ओवरलोड कर रहे हैं। कुछ चीजों में ओवरलोड कर रहे हैं और कुछ चीजों में जो आवश्यक हैं, जो जीवन में उपयोग में आ सकती हैं उनके बारे में दुर्लक्ष्य है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने पिछले साल यह संकेत किया था कि अगले साल दरजा सात तक फीस माफ करेंगे। कहां चला गया? छः ही तक रहा। आशा दिलाई थी उन्होंने कि अगले वर्ष दरजा सात करेंगे। अगर उन्होंने ऐसी आशा नहीं दिलाई थी, then I stand corrected.

श्रीमन्, यूनिवर्सिटीज को आप देखें। लखनऊ यूनिवर्सिटी को देखिये। यूनिवर्सिटी अटानमी तक में हस्तक्षेप है। एक साधारण नियम है कि यूनिवर्सिटीज को सेलेक्शन कमेटीज बनाने का अधिकार है। विभिन्न विभागों के प्रोफेसर और डीन्स की नियुक्तियों का अधिकार भी आज सरकार ने ले लिया है। श्रीमन्, क्यों ऐसा स्टेट्यूट बनाया गया कि जो डीन्स सात दिन या दो दिन भी इस पद पर रहे होंगे वह भी मान लिये जायेंगे कि उनका टर्म पूरा हो चुका है। क्या इसके पीछे कोई भाव विशेष नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिये कुछ और, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये कुछ और आश्वासन दिया गया था हाउस में कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऐक्ट बना है उसी के अनुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी का करेंगे, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऐक्ट आज तक नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? श्रीमन्, यूनिवर्सिटी शिक्षा के स्थान हैं। अगर वहां पोलिटिकल पैट्रनेज शुरू हो जायगा तो शिक्षा समाप्त हो जायगी। आटोनमी का हनन होगा तो स्तर गिरेगा।

खाद्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे आश्चर्य होता है। साल भर से हम लोग इस सदन में इस पक्ष के बैठने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस प्रान्त में स्केयरसिटी है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

बड़ा विचार करने के बाद कदम उठा कि सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयीं। आप ने अखबार में देखा होगा कि लखनऊ में दूकान मिली मुर्दा को। कौन मुर्दा था भगवान जाने। तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि अगर इन दूकानों के एलाटमेंट के बारे में इन्क्वायरी की जाय तो मूंधड़ा से भी भीषण कांड मिलेगा। ऐसे लोगों को दूकानें एलाट हुई हैं जिनके नाम का पता नहीं। नवलकिशोर जी चाहें तो मैं नाम ले कर कह सकता हूं। यदि श्रीमन्, आप की आज्ञा हो तो मैं नाम ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—लेकिन मैं स्पष्ट कह सकता हूं, बरेली के लिये भी कह सकता हूं, घबड़ाइये नहीं। मेरा जो चार्ज है वह यह है कि सरकारी कर्मचारी जो दूकान रेकमेंड करते हैं वह ढाई सौ से पांच सौ तक घूस लेते हैं। दो सौ रुपया कम से कम अल्प बचत योजना में जमा करना पड़ता है। जितना जमा किया उससे ज्यादा उस गल्ले से निकालेगा। ऐसा होता है, यह अखबार में निकला है। जिसने ढाई सौ से पांच सौ तक घूस दी, जिसने पोलिटिकल पैट्रोनेज में हिस्सा लिया वह निश्चय ही ब्लैक मार्केटिंग करता है। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि इस समय यहां पर सरकार के मन्त्रिगण विद्यमान नहीं हैं। मैं आप को बताऊं कि देवरिया जिले की हाटा तहसील में दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वहां पर चाहे कोआपरेटिव कन्ज्यूमर सोसाइटी की दुकान हो और चाहे रिलीफ की दुकान हो सब पर ब्लैक मार्केटिंग होता है। दो-दो पंचायती अदालतों के क्षेत्र में एक-एक दुकान रखी गयी हैं। अगर कहीं पर ८ हजार की आबादी है और मान लीजिये उसमें से २ हजार लेने नहीं आते तो फिर ६ हजार के लिये जो रोज ५० मन गल्ला दिया जाता है ६ हजार के लिये क्या इतना गल्ला काफी होगा। जब यह ६ हजार आदमी उस दुकान पर इकट्ठा होंगे तो क्या स्थिति होगी और यह ५० मन गल्ला भी किसको मिलेगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो लठैत है और जो गांव का गुंडा है या जिसके पीछे प्रोटेक्शन है वह १० बोरे अपने कब्जे में कर लेगा और उस दुकान से १०० गज के फासले पर वह ब्लैक मारकेट करने बैठ जायगा। यह बात मैंने देवरिया जिले में देखी है।

वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)—कुल आबादी ६ हजार है या ८ हजार है और अगर ६ हजार भी हो तो क्या वे सब गल्ला लेने जायंगे या किसी घर का एक आदमी जायगा?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अगर यह मान भी लिया जाय कि एक आदमी गया तब भी पूर्वी यू० पी० की दशा बहुत गम्भीर है। अगर एक आदमी जो कमाने वाला है उसको १२ घंटे दुकान पर खड़ा रहना पड़ा तो वह फिर अपने बच्चों के लिये कहां से कमाकर लायेगा। आज दुकानों की जो व्यवस्था है वह गलत है। उसको पापुलेशन बेसिस पर होना चाहिये। अगर इस प्रकार से नहीं किया जाता तो फिर एक पंचायत के क्षेत्र के लिये एक दिन मुकर्रर करे और दूसरी के लिये दूसरा दिन। दिन के नम्बर से बारी-बारी लोग आकर ले जायं जिससे हरएक को समय से मिल सके। इस तरह से गल्ले की व्यवस्था की जा सकती है। अब यह है कि जिसको मिलना चाहिये उसको नहीं मिल पाता है। सारा गल्ला चोर बाजार में चला जाता है। क्या शहर, क्या गांव कहीं भी आप जायं यही हालत सब जगह आपको दिखाई देगी। अगर माननीय मन्त्री जी मेरे साथ चलें तो मैं उनको दिखाऊं कि किस तरह से चोर बाजारी हो रही है। मैं आपसे सही निवेदन करता हूं कि अगर मन्त्री बिना किसी को बतलाये वहां चले जायं तो उनको धक्के लगाकर दुकान से निकाल दिया जायगा। तो जहां तक यह भोजन की व्यवस्था है यह बहुत ही अव्यवस्थित रूप से आज चल रही है।

कहा जाता है कि हम बेकारी को दूर करने के लिये उद्योग बढ़ा रहे हैं। क्या उद्योग बढ़ रहे हैं? आप कहते हैं कि अल्मोनियम की फैक्टरी बनायेंगे या सीमेंट की फैक्टरी बनायेंगे, लेकिन जब तक आप अल्मोनियम और सीमेंट की फैक्टरी बनायेंगे तब तक लोग क्या

करें ? तब तक आप बेकारी दूर करने के लिये क्या उद्योग कर रहे हैं ? उसके बारे में कोई प्रयत्न सरकार ने अपनी नीति में नहीं किया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे कुटीर-उद्योगों की योजना पावर के आधार पर होनी चाहिये जैसे कि जापान में है "डिसेण्ट्रलाइजेशन आफ कंज्यूमर इंडस्ट्री बेस्ड आन पावर" । इस तरह का सरकार ने कोई विचार नहीं किया है और बेकारी को कम करने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है । आपके यहां यह बेकारी स्पष्ट रूप से बढ़ती जा रही है ।

शिक्षा आपकी ऐसी है कि जो लड़के दसवें दर्जे तक पढ़कर निकलते हैं वे खेती करने के लिये तैयार नहीं होते हैं । वे नौकरी ढूंढ़ते हैं और रोजगार की हालत यह है । इसका परिणाम यह होता है कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है वह बेकार लोगों को प्रोड्यूस करने की फैक्टरी मात्र है । हमारे समाज में जब इतना अनइम्प्लाइमेंट बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा ? उसका परिणाम जो होगा वह सब को स्पष्ट है । वही होगा जो अन्य देशों में हुआ है । फ्रस्ट्रेटेड माइंड एक प्रकार से क्रान्ति को जन्म देता है । आप के देश में भी वैसा ही हो सकता है अगर आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया ।

मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं । "लोक कल्याण राज्य की रूपरेखा धीमे-धीमे और दृढ़ता के साथ प्रकट हो रही है, किन्तु हमें अभी बहुत कुछ करना है" । लोक कल्याण किसका ? कैसे ? यह प्रश्न है । लोक कल्याण का अर्थ क्या है ? इसके साथ ही भूमि का प्रश्न है । हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो भूमिहीन है । हमारे पूर्वी भाग में जिनके पास क्षमता और पात्रता नहीं है वही ज्यादा से ज्यादा जमीन लिये बैठे हैं । बटवारे के समय या कागजात में इंदराज के लिये सावां और कोदों छींट आते हैं, लेकिन उनकी तमाम जमीन पर गल्ला पैदा नहीं होता और लाखों लोग ऐसे हैं कि जो गल्ला पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन के पास भूमि नहीं है । इस विषमता को दूर करने के लिये आपने क्या किया ? क्या आपने सीलिंग करने का प्रयत्न किया ? क्या आपने जमीन के वितरण का प्रयास किया ? क्या खेतों पर काम करने वालों की निम्नतम मजदूरी निश्चित करने के लिये आपने कोई प्रयास किया ? एग्रीकल्चरल वेजेज ऐक्ट आपने पास किया है, लेकिन एक निश्चित सीमा से बड़े फार्म के मजदूरों पर ही वह लागू होता है । मेरा कहना है कि मजदूर चाहे जहां काम करता हो, उस ऐक्ट के अनुसार उसको मजदूरी मिलनी चाहिये । खाद्य समस्या के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । आप यह कह सकते हैं कि यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है, लेकिन उसके लिये मैं यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर जोन्स बना लिये जायं तो उससे यह समस्या किसी हद तक हल हो सकती है । यह क्या है कि जमुना पार १६ रुपये मन गेहूं और इधर २४ रुपये मन । यह जो एक वैकुअम बीच में बन कर रह गया है उसके कारण यहां एक भीषण परिस्थिति पैदा हो रही है ।

दूसरी चीज यह है कि इकानामी इन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये । क्या आप के शासन में इकानामी, निष्पक्षता और न्याय है ? मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं । आपका एक विभाग है जिसमें एक एक्सपर्ट महाशय की नियुक्ति हुई जिनकी क्वालिफिकेशन शून्य है । मुझे यह भी बतलाया गया कि वह पहले मिलिटरी में घोड़ों की सप्लाई के इंचार्ज थे और आज यहां एक्सपर्ट बन कर बैठे हैं । क्या यह निष्पक्षता है ? क्या यह पक्षपात नहीं है ? एक जुर्म में एक आदमी सजा पाता है और उसी जुर्म में दूसरा आदमी प्रमोशन पाता है, यह कौन-सा न्याय है ? यह कहां का एडमिनिस्ट्रेशन है ? मुझे श्रीमन्, ५ मिनट और दे दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—२५ मिनट हो गये हैं । आप दो, तीन मिनट और बोल लें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जितनी योजनाएं होती हैं उन सब में अदूरदर्शिता होती है, दूरदर्शिता नहीं । आपके प्रान्त में स्वायल रिक्लेमेशन की एक योजना बनी । इसके बारे में जो स्वायल के एक्सपर्ट हैं वह कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे ही यह योजना बनी । उच्चाधिकारी कहता है कि हम इसके लिये उत्तरदायी नहीं और वह कार्य असफल होता है ।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

यह कौन-सी इकानामी है ? आपके यहां एक पदाधिकारी होता है तो दो उस के असिस्टेण्ट और फिर वह बढ़ते ही जाते हैं। पहले हार्टीकल्चर के लिये एक नियुक्ति की गयी और फिर वह स्टाफ बढ़ता ही गया। उनसे लाभ क्या हुआ ? कहना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपकी एस्टीमेट्स कमेटी ने बराबर आपको इकानामी के लिये रिपोर्ट्स दीं, सजेशन दिये, लेकिन आपने किसी पर विचार कर के कोई कार्यवाही नहीं की। आप कहते हैं कि वह संभव नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि संभव क्या है ? जो आपके ब्यूरोक्रैट कह दें वह तो संभव है और जो कुछ दूसरे आदमी विचार करके, तर्कयुक्त, युक्तियुक्त बात कहें वह संभव नहीं है। यह कौन-सी बात है ? जो फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं आप के यहां, वही फाइनेन्स कमिश्नर भी हैं। यह क्या है ? आज तक किसी राज्य व्यवस्था में इस प्रकार के विभिन्न पदों को एक ही व्यक्ति को देने की बात नहीं की गई। आपके यहां एक पद नहीं कई पद ऐसे हैं।

श्रीमन्, पिछली बार बजट में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रान्त में कभी भी ए०डी०एम० को चाहे वह एडीशनल कमिश्नर हो या एडिशनल सेक्रेटरी हो, ऐसे लोगों को डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल भत्ता नहीं दिया गया था। पिछली बार बजट में अभागे चपरासियों को छोड़ कर लगभग सभी को यह भत्ता दिया गया। यह कौन सा शासन है ?

जहां तक एफीशियेंसी की बात है, श्रीमन्, कभी-कभी आप भी देखते होंगे। मैंने एक बार पायनीयर में देखा कि एक आदमी को रिटायर हुए १५ वर्ष हो गये। वह १५ वर्ष तक लिखता रह गया कि मेरी पेंशन का क्या हुआ। उसके मरने की नौबत आ गई, लेकिन आज तक उसकी पेंशन का पता नहीं है। उल्टे उससे प्रश्न किया जाता है कि तुमने कभी स्टेट की नौकरी की भी थी। यह है इस सरकार की एफीशियेंसी। यह उसी तरह से है जैसे फ्रांस में लुई दि सिक्सटीन्थ के जमाने में विज़ीनीज का जंगल जब जला तो जलने के ६ महीने बाद हुक्म हुआ कि फायर ब्रिगेड भेज दिया जावे। ऐसा ही राज्य इस सरकार का है। यह कहना कि यहां की गतिविधि और परिस्थिति बड़ी सन्तोषजनक है, बिल्कुल गलत है। यह मांग करना या क्लेम करना कि जन कल्याण राज्य की रूपरेखा यहां उदय हो रही है, गलत है। यह केवल आंकड़ों का उदय है। जाग्रत अवस्था में न देख कर सरकार स्वप्न की अवस्था में चाहे जो कुछ देख ले, उसके लिये मैं क्या कहूं।

इन शब्दों के साथ मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बोधन पर विचार करके सदन इधर से आये हुये संशोधनों को स्वीकार करे, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण माननीय मुख्य मंत्री ने इस आश्वासन के साथ टाला था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है, तो हमें यह आशा थी कि इस अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतियों पर प्रकाश डाला जायगा, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी उल्लेखनीय नीति पर इसमें प्रकाश नहीं डाला गया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने पार्टी के उपनेता की हैसियत से आपको इजाजत दी है। आप झारखंडेराय जी का संशोधन रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव—उसे तो माननीय झारखंडे राय स्वयं पेश कर देते, मगर मैं ही किये देता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय —

"१—दिनोदिन बढ़ते भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु किसी सफल योजना का जिक्र नहीं किया,

२—राज्य सरकार की खाद्यान्न नीति पर चर्चा नहीं की,

३—जमीन का बटवारा, हदबन्दी तथा भूमि सुधार को द्रुतगति से लागू किये जाने को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा,

४—केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में अन्तर को मिटाने के हतु कोई सुझाव नहीं दिया,

५—कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कर्मचारियों तथा उच्च पदस्थ अफसरों की तनख्वाह के अन्तर को कम करने की चर्चा नहीं की,

६—खेतिहर मजदूरों की वाजिब न्यूनतम मजदूरी की दर सारे प्रदेश में सभी प्रकार के फार्मों एवं जोतों पर लागू किये जाने की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया, और

७—बुनकर-व्यवसाय की रक्षा हेतु, उसके श्रमिक विकास का कोई उपाय नहीं बताया।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि सरकार की किसी प्रमुख नीति पर कोई प्रकाश राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से नहीं पड़ता है, परन्तु इसमें दो बातें स्पष्ट अवश्य होती हैं। एक तो यह कि सरकार के विभिन्न विभागों की भूरि-भूरि प्रसंशा की गई है, और दूसरी यह कि सरकार की कमियों को, खामियों को, नेचुरल कैलेमिटी या धन की कमी का नाम लेकर छिपाया गया है। आज हमारे प्रदेश के सामने सब से बड़ी समस्या खाद्यान्न की है। इससे हमारे प्रदेश का एक-एक व्यक्ति, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो, चाहे पूरब का हो या पश्चिम का हो, परेशान है और उस पर भय छाया हुआ है। हमें तो ऐसा लगता है कि यदि सरकार ने मौजूदा नीति को ही बरता तो जैसे बंगाल के अकाल में ३५ लाख जनता तड़प कर मर गई, वही दशा हमारे प्रदेश की भी न हो। सरकार ने झूठे आंकड़ों पर विश्वास कर के अपने अधिकारियों की झूठी रिपोर्टों पर विश्वास करके, प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया था कि हमारे प्रदेश की खाद्य-स्थिति पहले से अच्छी हो रही है, हम तरक्की कर रहे हैं और हम इसे पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद के आंकड़ों को देखने से स्पष्ट है कि कभी भी हमारी खाद्यस्थिति ठीक नहीं रही है। सन् १९५६-५७ का वर्ष, सन् १९५४-५५ को छोड़कर, हमारे लिये सबसे अधिक उपज का वर्ष था। उस समय हमारे प्रदेश में १०२ लाख टन पैदावार हुई। इसमें से १२ १/२ परसेंट बीज के लिये, ५ परसेंट मवेशियों के लिये निकाल दिया जाय तो ८२.५ लाख टन जनता के खाने के लिये बचता था जब कि हमारे प्रदेश की जनता के खाने के लिये ८४ या ८५ लाख टन की आवश्यकता है। मगर आज हालत यह है कि हमारा प्रदेश अभावग्रस्त है। हमारे प्रदेश की जनता का एक बहुत बड़ा भाग, खासकर पूर्वी जिलों की जनता खेती पर निर्भर करती है। बस्ती में ९० फीसदी, गोरखपुर में ८३, आजमगढ़ में ८३, जौनपुर में ८०, गाजीपुर और बलिया में क्रमशः ७८ और ७४ फीसदी जनता खेती पर निर्भर करती है, लेकिन सरकार की भूमि-सुधार नीति उनके लिये कुछ भी नहीं कर पा रही है। बार-बार सदन में मांग की गई है कि जब तक हदबन्दी नहीं की जायगी, भूमिहीन जनता को भूमि का बटवारा नहीं होगा, हमारे प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरेगी। हमारी सरकार ने आज तक वही पुराना रवैया अपनाया हुआ है। यदि थोड़ी सी भूमि का बटवारा कर भी दिया गया तो उससे वहां की पूर्वी जिलों की समस्या हल होने वाली नहीं है। आप भूमिहीन जनता को या कम खेतवालों को खेत दीजिये जिससे अधिक अन्न उपजाया जा सके। हम बराबर यह कहते आये हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना।

हमारा पूरा विश्वास है कि जब तक सरकार हदबन्दी लागू नहीं करती है और उसके बाद जो जमीन बचे उसका बटवारा गरीब किसानों में नहीं करती है, तब तक हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति नहीं सुधर सकती है। आज भी प्रदेश में बहुत से लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है और उस पर ठीक से खेती नहीं हो रही है। पूर्वी जिलों के अन्दर वहां के किसान जो तोड़ कर गरमी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, और बरसात के दिनों में पूरा श्रम कर के खेती करते हैं और जो अन्न पैदा होता है वह उनके लिये ५ महीने खाने के लिये भी नहीं होता है। जो प्रामाणिक आंकड़े इस बारे में हमें मिले हैं उनसे मालूम होता है कि पूर्वी जिलों में प्रति व्यक्ति यहां ३ मन १० सेर अन्न पैदा होता है। भला इस अन्न पर वह कितने दिनों तक गुजर कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सरकार हर साल बाढ़ और सूखा के आने पर लोगों को सहायता देती है और आंकड़े पेश करती है कि उसने लगान में छूट

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दी, तकावी बांटी, विद्यार्थियों की फीस माफ की और फिर कहती है कि सरकार इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। पिछले ७ वर्षों से यही हालत हर साल हो रही है। हमारी मांग है कि जब तक इन क्षेत्रों में परमानेण्ट डेवलपमेन्ट नहीं होता है, तब तक इन क्षेत्रों की दशा नहीं सुधारी जा सकती है। हमने मांग की थी कि घाघरा, गंडक और राप्ती आदि नदियों पर बांध बनाये जायं और पूर्वी इलाके के लोगों को गृह उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाय। कानपुर इत्यादि नगरों में जो उद्योगों का केन्द्रीकरण हो रहा है उसका विकेन्द्रीकरण करके पूर्वी जिलों में उनको खोला जाय। जब तक पूर्वी जिलों में इन सारी बातों को लागू नहीं किया जाता है तब तक वहां की हालत सुधर नहीं सकती है, लेकिन सरकार इस ओर कुछ ध्यान नहीं देती है और अपनी हठवादिता से काम लेती है। हमारी मांग है कि सरकार अपनी हठ-वादिता की नीति को बदले और एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाये और अपनी योजनाओं के बारे में विचार करे।

हमने बराबर यह भी मांग की कि एक कमीशन बनाया जाय जिसमें पूर्वी और पश्चिमी सब जिलों के लोग हों जिससे कभी पूर्वी पश्चिमी जिलों का प्रश्न खड़ा न हो, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। चाहे मुख्य मंत्री हों या गवर्नर हों यह अक्सर कहते रहते हैं कि खाद्यान्न के सवाल को पार्टियों का सवाल न बना कर एक साथ मिल कर काम करना चाहिये। बार बार पार्टियों से सहयोग की इस प्रकार की अपीलें की जाती हैं, लेकिन अजीब मखौल है कि सरकार पहले तो हमारे सामने अपनी निकम्मी एवं प्रतिक्रियावादी योजनाओं को पेश करती है और उसके बाद कहती है कि हमारा साथ दीजिये, लेकिन जब सरकार के सामने हम यह सुझाव देते हैं कि अपनी योजनाओं को बनाते वक्त हमारी राय लीजिये, उस वक्त सरकार चुप हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। वह अपने अधिकारियों से गलत आंकड़ों के आधार पर योजनाओं को बनवाती है और उनको हमारे सामने रख कर कहती है कि हमारी हेल्प करो। भला उन निकम्मी और गलत योजनाओं में हम किस प्रकार से मदद दे सकते हैं, जिनसे किसानों का और मजदूरों का नुकसान होता हो, अहित होता हो। अगर सरकार हमारी पार्टी की राय की अपेक्षा करती है तो सरकार को सभी पार्टियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये और उसके द्वारा अपनी योजनाओं को तैयार करना चाहिये। सरकार एक कमीशन बनाये, उस कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार कहे कि हमें सहायता दो। तब अगर हम सहायता नहीं देते हैं तो सरकार हमें जिम्मेदार ठहराये।

उद्योग नीति के बारे में भाषण में जो कुछ कहा गया है उसमें सच को छिपाया गया है। उसमें एम्प्लायर्स को बड़ी भारी दाद दी गयी है। उसमें बताया गया कि प्रदेश के उद्योग क्षेत्रों में शांति है, लेकिन उसके विपरीत उद्योग क्षेत्रों में अशांति फैली हुई है। कानपुर में ही मिलें बंद हैं, मजदूर बेकार हैं, महीनों से उनको मजदूरी नहीं मिली है। बनारस और लखनऊ में भी मजदूरों की हालत खराब है, उनको मजदूरी नहीं दी गयी है, लेकिन उनकी हमदर्दी में यहां एक शब्द भी नहीं कहा गया।

प्रेस कमीशन की सिफारिशें निकल चुकी हैं, लेकिन प्रेस कर्मचारियों और मजदूरों की दिक्कतें दूर नहीं की गयी हैं। प्रेस कमीशन की सिफारिशों के बावजूद भी सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं और मनमाने तरीके से प्रेस के मालिक मजदूरों को सता रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। उन्होंने सम्मेलनों में प्रस्ताव पास किये और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मजदूर जब अपने दुःख की कहानी सुनाने आते हैं तो सरकार कहती है कि उसके पीछे राजनीतिक पार्टी की कोई चाल है, लेकिन जब मालिक अपनी मांग को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद कीजिये तो सरकार उन पर कर कम कर देती है। तो सरकार उन पर कर भार कम करके और मजदूरों की छटनी करके मिल मालिकों का साथ देती है। श्रीमन्, ऐसी नीति जिस प्रदेश के अन्दर लागू

की जा रही हो, वह प्रदेश इस बात की घोषणा करे कि यहां समाजवादी समाज कायम होने जा रहा है, तो यह बिलकुल असम्भव-सी बात है ।

अभी हमारे प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई है । बार-बार इस बात को कहा गया है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है यह जनता की योजना नहीं है, जनता का सहयोग इस योजना में नहीं है और यह योजना आफिसरों की तरफ से जनता के ऊपर लाद दी गयी है और इसके लिये आफिसर्स ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि वे ही इसका संचालन करते हैं । सरकार ने अभी इस बात को स्वीकार किया है कि अभी तक योजना आफिसरों के हाथ में ही थी और वे ही उसको चलाया करते थे जिससे जनता का पूरा-पूरा सहयोग योजना के अन्दर नहीं हो सका ।

जहां तक एस्टीमेट की बात है उसे इस तरह से तैयार किया जाता है कि बाद में उसका खर्च कई गुना बढ़ जाता है । खटीमा पावर योजना पहले ढाई करोड़ की थी और उसमें ८ करोड़ रुपया खर्च हो गया । हमारे प्रदेश का सब से बड़ा बांध रिहन्द डैम की योजना ३५ करोड़ की थी जो बढ़कर ४६ करोड़ की हो गयी । टांडा योजना में भी ८० प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ है । तो आज योजनाओं की हालत यह है कि बिलकुल अनप्लाण्ड तरीके से योजनाएं तैयार की जाती हैं । कितना एस्टीमेट होना चाहिये, कितना खर्च हो, इसका कोई अन्दाजा ही नहीं होता । आज सरकार के प्लानिंग विभाग में और दूसरे विभागों में जो क्रिमिनल वेस्टेज हो रहे हैं, जो गबन आदि हो रहे हैं अगर उनको सरकार रोक दे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता पर जो कर का बोझ बहुत बढ़ गया है, वह कम हो जायगा । आज पूर्वी जिलों के अन्दर जहां जनता भूख से मर रही है वहां टैक्स बढ़ाया जा रहा है । अभी इलाहाबाद के अन्दर हाउस टैक्स व जल-कर बढ़ाया गया है जिसके विरुद्ध वहां की जनता आन्दोलन कर रही है, लेकिन सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया । वाराणसी के अन्दर जल-कर बढ़ाया गया है । वहां की जनता ने सरकार के सामने अपनी मांगें पेश कीं, हड़तालें हुईं, लेकिन सरकार ने उसको नहीं सुना । आजमगढ़ के अन्दर सरकार ने अभी अभी जल-व्यवस्था कायम की है । सरकार ने म्युनिसिपैलिटी को कर्जा दिया है और वह वहां की जनता पर कर का बोझ बढ़ा रही है, वहां की गरीब जनता ने सरकार से बार बार इस बात की मांग की है कि सरकार उस कर्ज को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दे, लेकिन सरकार इस बात को नहीं सुन रही है ।

दूसरी बात श्रीमन्, मुझे पुलिस के बारे में कहनी है । पुलिस का रवैया पिछले वर्षों से बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है । पुलिस को प्रदेश के अन्दर जनता की सेवा करने की प्रवृत्ति से काम करना चाहिये, लेकिन आज स्थिति यह है कि पुलिस राजनीतिक कारणों से विरोधी दलों पर हमला करती है, उनके आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करती है और यही नहीं बल्कि गुण्डों की साजिश से, स्थानीय कांग्रेसियों की साजिश से विरोधी पार्टियों पर हमला कराती है और कत्ल भी हुये हैं । हमारे आजमगढ़ के अन्दर कोपागंज टाउन एरिया के कम्युनिस्ट चेयरमैन की हत्या राजनीतिक कारणों से कर दी गयी । श्रीमन्, पिछले टाउन एरिया के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने ११ सीट्स वहां जीती थीं और चेयरमैन की सीट भी हमने भारी बहुमत स जीती । इसके बाद वहां के स्थानीय कांग्रेसी इस चक्कर में पड़े कि पुलिस को मिला कर, स्थानीय अधिकारियों को मिला कर टाउन एरिया के काम में अड़ंगा डाला जाय, लेकिन चूंकि टाउन एरिया का काम जनहित में हो रहा था इसलिये उनकी साजिश वहां सफल नहीं हो सकी । नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने टाउन एरिया के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया । हमने अधिकारियों के पास बार-बार इस बात की दरख्वास्त की थी और उनसे कहा था कि इस तरह की खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गयी है, लेकिन हमारे कहने के बावजूद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया । इस तरह से टाउन एरिया के चेयरमैन को १३ जुलाई को खुली सड़क पर हत्या कर दी गयी और इसके बाद हालत यह है कि १४ घंटे के बाद जब हम जिलाधीश से मिले और उनसे हमने कहा कि टाउन एरिया के चेयरमैन का कत्ल हो गया है, आपने वहां सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किया है तो जिलाधीश को उस कत्ल की इत्तिला तक नहीं थी, उन्होंने उसे झूठा कहा । पुलिस कप्तान को फोन किया

[श्री चन्द्रजीत यादव]

तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि कत्ल नहीं हुआ । थाने पर फोन किया गया तो यही कहा गया कि कोई कत्ल नहीं हुआ है । मैं और मेरे साथी आश्वस्त होकर आ रहे थे कि कोई कत्ल नहीं हुआ है और हमें इस बात का पक्का यकीन हो गया कि झूठी खबर मिली है, किन्तु घंटे भर पश्चात् ही हमने देखा कि हमारे चेयरमैन की लाश गाड़ी पर पोस्ट मार्टम के लिये ले जाई जा रही है । शासन इतना ढीला हो गया है, उसका रवैया इतना खतरनाक हो गया है जिसकी वजह से या तो अधिकारी किसी साजिश के कारण बातें छिपा रहे थे या उनको उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन दोनों स्थिति में हालत चिन्तनीय है ।

श्रीमन्, पिछले साल उन्नाव में कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये पुलिस वालों के साथ मिल कर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर हमला किया गया । स्थानीय पुलिस से लेकर मंत्रियों तक सूचना दी गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई सरकारी कदम नहीं उठाया गया । अभी आज जो कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि दो आदमियों की पुलिस ने डंडे से मारते-मारते जान ले ली । अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो हमारे प्रदेश के अन्दर प्रजातन्त्र आज अरक्षित है और हमको शासन के विरुद्ध एक मजबूत आन्दोलन चलाना होगा और परिणामस्वरूप जो भयंकर स्थिति हमारे प्रदेश की होगी उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी ।

श्रीमन्, आज नौकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर, नौकरशाही का शासन के हर पुर्जे पर जितना अधिक कब्जा हो गया है उसको देख कर कभी-कभी शंका होती है, आया हमारे प्रदेश में प्रजातन्त्र का भविष्य सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा । सरकार प्रजातन्त्र का नाम लेती है, विरोधी पार्टियों से सहयोग की अपील करती है, लेकिन सरकार का एक एक काम यहां ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है । ब्यूरोक्रेसी का रवैया इतना अधिक बढ़ गया है जिसको देख कर यह लगता है कि हमारे प्रदेश में चूंकि कांग्रेस का असर कम होता जा रहा है, उसका प्रभाव धीरे-धीरे गिरता जा रहा है इसलिये वह अधिकारियों से मिल कर अपने प्रभाव को कायम रखने की कोशिश कर रही है । मैं सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार गम्भीरतापूर्वक अपने इस रुख रवैये में परिवर्तन करे ।

तीसरी बात मुझे भाषा नीति के संबंध में कहनी है । प्रदेश के अन्दर पिछले दिनों से एक आन्दोलन चल रहा है कि उर्दू हमारे प्रदेश में जनता के एक बड़े भाग की भाषा है और सरकार को रीजनल लैंगुएज के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिये, लेकिन सरकार पिछले १० वर्षों से इस संबंध में आनाकानी कर रही है । अभी सरकार की जो विज्ञप्ति छपी है उसमें इस बात को टालने का प्रयास किया गया है । उसमें कहा गया है कि सरकार उर्दू को उसका उचित स्थान दे रही है, लेकिन अगर विज्ञप्ति को पढ़ा जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बढ़ते हुए आन्दोलन को छिपा कर इस विज्ञप्ति के रूप में जनता को कुछ संतोष देना चाहती है । केवल ५-६ जिलों के नाम लिये गये हैं । लखनऊ शहर का भी नाम लिया गया है । ऐसा समझा जाता है कि केवल इसी जिले में उर्दू जानने वाले हैं, लेकिन तथ्य यही है कि प्रदेश की जनता का एक बड़ा भाग ऐसा है, चाहे हिन्दू हों या मुस्लिम जो उर्दू जानता है । सरकार को इस संबंध में निष्पक्ष रूप से एक सही नीति अपनानी चाहिये, लेकिन खेद है कि सरकार ने इस कर्त्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं किया ।

श्रीमन्, समाज कल्याण विभाग के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और यह कहा गया है कि इस विभाग ने बहुत ही शानदार काम हमारे प्रदेश के अन्दर किया है । अगर हम बेहातों में जायं तो आज भी वहां हमारी मां-बहिनों की हालत वही है, बच्चे पैदा होते हैं भाग्य के ऊपर निर्भर करते हैं, जिस प्रकार कि पशु के बच्चे पैदा होते हैं कि भाग्य से जी गये या न जिये, उसी प्रकार वहां इंसान की हालत है । जो भिखमंगों की तादाद प्रदेश के अन्दर बढ़ रही है तथा वेश्याओं की काफी बड़ी तादाद है, जो प्रदेश की सरकार पर कलंक है, बारबार इनके बारे में कहा गया कि सरकार इसकी तरफ एक सुनिश्चित नीति अपनाये । इनके ऊपर रोक लगा

देने से या शहर के बाहर बसा देने से यह समस्याएं हल नहीं होंगी। जो भिखमंगे और वेश्याएं हैं इनको रोजगार देना होगा। समाज में इनको उचित स्थान मिल सके इसके लिये कानून बनाने होंगे और व्यवस्था करनी होगी। चीन ने एक शानदार उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। वहां वेश्याओं की संख्या संसार में सब से अधिक थी, लेकिन वहां की सरकार ने उनके छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित किया, नौजवान लड़कियों की अच्छे परिवारों में शादियां हुईं उनको रोजी दी गई जिसका नतीजा यह हुआ कि आज वहां वेश्याएं नहीं हैं। अगर प्रदेश की सरकार को कुछ करना है तो इस तरह की एक सुनिश्चित योजना के आधार पर इन सारी बातों को करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ म धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक विरोधी पक्षों के भाषणों को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी वस्तु पर एक सामूहिक रूप से छुप करके कोई बात एक ढंग से कही जाय और वस्तुस्थिति को स्पष्ट न किया जाय। मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ यह अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूं—मेरे पास अंग्रेजी की कापी है उसमें से दो चार शब्द पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जाय कि उसका क्या अर्थ है और किस प्रकार घुमा फिरा कर कहा गया है.....

सदस्यगण—हिन्दी में पढ़िये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मेरे पास अंग्रेजी की कापी है।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय उनके पास हिन्दी की कापी नहीं है। मैं अंग्रेजी में पढ़ने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन उसका वह हिन्दी में अनुवाद कर देंगे।

श्री सीताराम शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दी की कापी दी जा रही है तो फिर जिद्द क्यों अंग्रेजी में पढ़ा जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष—कोई कापी उनके पास पहुंच नहीं पाती।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैंने अंग्रेजी की कापी पढ़ी है और उसी पर निशान लगा रखे हैं।

(हिन्दी की कापी माननीय सदस्य को दी गई)

श्री उपाध्यक्ष—अब आपके पास हिन्दी की कापी है। इसलिये मैं मजबूर हूं। आप कृपया हिन्दी में ही पढ़ें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—पृष्ठ दो पर इस बात का जिक्र है कि सरकार ने अब तक क्या किया है और भविष्य में जो नीति है उसका स्पष्टीकरण किया है।

श्रीमन्, माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण को मैंने सुना। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय के भाषण में यह निर्देश नहीं है कि भविष्य में क्या सरकार करने जा रही है। बहुत ही स्पष्ट कहा गया है। मैं बजट के भाषण की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं जिस में हमारे भविष्य के प्रोग्राम और पालिसीज को बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है और जो सरकार भविष्य में करने जा रही है उसकी तरफ भी संकेत है।

आगे भी पृष्ठ तीन पर माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि कुछ प्रमुख समस्याएं हमारी हैं। एक भोजन की, दूसरे गृह की और तीसरे शिक्षा की। प्रत्येक स्वतंत्र देश के नागरिक के लिये मूल रूप से खाने को भोजन, रहने को मकान और शिक्षा की आवश्यकता है। इन ३ विषयों की ओर उन्होंने संकेत किया है कि भविष्य में शासन क्या करेगा। उन्होंने अपने भाषण में विशेष रूप से बताया है कि सन् १९५४–५५ में स्पष्ट है कि उत्पादन अधिक था

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

लेकिन बाद में बाढ़, अकाल की स्थिति, पानी न बरसना आदि ऐसे दैवी कारण घटे और दैवी कोप हुआ कि जिसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि न हो सकी। आप यदि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट देखें तो आप को मालूम होगा कि वह इस प्रदेश को अभावग्रस्त प्रदेश मानते हैं। जब देखो एक न एक आफत आती रहती है, कभी सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि अन्न की स्थिति पर इस सब का प्रभाव पड़ता है और उत्पादन घट जाता है और अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिये उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण हो और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि विशेषकर १४ पूर्वी जिलों में औद्योगीकरण की आवश्यकता है।

माननीय राज्यपाल ने भी अपने इस सम्बोधन में औद्योगीकरण के लिये छोटे बड़े उद्योगों का जिक्र किया है और कहा है कि योजना बन रही है और २ करोड़ रुपए की स्कीम है, विशेषकर पूर्वी जिलों के लिये। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पूर्वी जिलों के उस क्षेत्र की ओर भी इस सरकार का ध्यान गया है। हमारे उस क्षेत्र के लोगों की बराबर मांग रही है वहां पर लोगों को रोजगार देने का कोई उपाय शीघ्र किया जाय। वहां पर भूमि कम है और आबादी अधिक है और रात दिन एक न एक दैवी प्रकोप आता रहता है जैसा कि अभी माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा था कि वहां पर लोगों के पास खेती के साधन नहीं हैं और औसत वहां पर आधे एकड़ से भी कम है और दूसरे साथियों ने बताया कि वह आधे एकड़ से भी कम है और औसत करीब एक तिहाई एकड़ के ही पड़ता है। ऐसे क्षेत्र में कितना भी अन्न उत्पादन हो, लेकिन वहां पर लोगों को उद्योग देना बहुत ही आवश्यक है। इस औद्योगीकरण की योजना से इन जिलों को बड़ी राहत मिलेगी और आज जो तमाम नवयुवक खेती पर ही अपना निर्वाह करना चाहते हैं उनको राहत मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा।

माननीय राज्यपाल ने यह भी संकेत किया है कि हम प्राविधिक विद्यालय भी खोलेंगे जहां पर बड़े उद्योगों की ट्रेनिंग ओवरसियरी और इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा नवयुवक पा सकेंगे और वह नये नये उद्योगों में लग सकेंगे। इससे हमारी काम करने की क्षमता बढ़ेगी और हर प्रकार के कार्य के योग्य हमारे नवयुवक बन सकेंगे। उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात भी कही है। वह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है कि यदि वह प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का मुख्य केन्द्र हो जाय तो उससे इन तमाम पूर्वी अभावग्रस्त जिलों की, विशेषकर और पूरे प्रदेश की समस्या हल हो जाय। इसलिये मैं शासन को सुझाव दूंगा सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री को कि वह गोरखपुर विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वहां पर हर प्रकार की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग और एजूकेशन मिल सके और उस विश्वविद्यालय में साधारण विश्वविद्यालयों से एक विशेषता आ जाय। वहां पर मेडिकल कालेज की भी आवश्यकता है। कृषि भूमि का सर्वेक्षण आदि सभी प्रकार की ट्रेनिंग वहां होनी चाहिये। मैं सुझाव दूंगा कि वहां पर ४०–५० से ज्यादा चीनी की मिलें हैं और कानपुर में जो चीनी की जांच होती है या जो गन्ने की सहारनपुर में जांच होती है उसके केन्द्र वहां पर भी स्थापित किये जायं ताकि गन्ने की और उन्नति हो और शुगर परसेंटेज भी बढ़ जाय। (Liberal) साधारण एजूकेशन जो साधारणतः विश्वविद्यालयों में होती है उसी से हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, इसलिये हम पूर्व के रहने वाले लोगों को बड़ा सन्तोष है कि इस सम्बोधन में उस ओर ध्यान दिया गया है।

इसमें दो तीन और बातों की ओर भी संकेत किया गया है। बाढ़ जो पूर्वी जिलों के लिये एक बहुत ही दुःखदायी चीज है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि बाढ़ हमेशा के लिये तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन हम अधिक से अधिक यह प्रयास करेंगे कि बाढ़ की भीषणता कम हो जाय। जैसे नेपाल में बांध बनने से बड़ी गंडक और छोटी गंडक की भीषणता कम हो जायगी। इसी तरह से घाघरा, राप्ती की जो योजना बनायी गयी है उसकी ओर भी उन्होंने

इशारा किया। बजट के भाषण में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। उन्होंने उनका सर्वेक्षण किया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत काफी संकेत किया है। होशियार आदमी के लिये इशारा बहुत काफी है। या तो उस पक्ष के लोग जान बूझ कर छिपा रहे हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या एक पक्षीय बात कह रहे हैं।

श्री उग्रसेन—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने घाघरा, राप्ती योजना की चर्चा की है। तो उस सम्बोधन में तो उसकी चर्चा है नहीं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—बजट में देखिये आप।

श्री उपाध्यक्ष—वह कहते हैं कि मैंने बजट में कहा। (श्री उग्रसेन से) आप कृपया बैठिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं तो कह रहा हूं कि केवल इस अभिभाषण को ही लिया जा रहा है और सारे बजट के भाषण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं।

दूसरी बात उन्होंने मुख्य रूप से सिंचाई के बारे में कही है कि डेढ़ हजार ट्यूबवेल बनाने की योजना है और इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी-छोटी योजनाएं हैं जिनकी ओर राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है। सवा हजार नलकूप बन चुके हैं और शेष अभी बनने बाकी हैं।

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शहरों के लिये इंडस्ट्रियल स्कीम चल रही है और देहातों के लिये बताया है कि इस सदन के सामने ऐसा बिल आयेगा जिसमें यह सदन विचार करेगा कि किस तरह से देहाती क्षेत्र में घरों के लिये लोन दे सकें ताकि देहातों में भी अच्छे घर बन सकें।

इसके साथ ही साथ उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने के लिये बताया है कि सहकारिता की ऐसी स्कीम हम ला रहे हैं जिसमें किसानों को अधिक से अधिक सहायता हम दे सकेंगे और जो सहकारी कल्याणकारी राज्य की भावना है उसको पूरा कर सकेंगे। इसलिये भविष्य में क्या इस सदन में आने वाला है उसकी तरफ स्पष्ट संकेत है।

अध्यापकों के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसके लिये गोरखपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयकों में संशोधन आये हैं। साथ ही माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के बारे में जिक्र किया है कि इंटरमीडियेट बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पेश है उसमें इस ओर प्रयास किया जा रहा है।

स्त्रियों के लिये उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां ऐसी हैं जो अपना जीवन पतित रूप से व्यतीत करती हैं उनके सुधार की भी योजना है। जो सब से बड़ी योजना समाज कल्याण की है वह है कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की। जो बहुत सिविलाइज्ड देश कहे जाते हैं उनका कहना है कि मानसिक रोग से आदमी जुर्म करता है। उन्होंने बताया कि ५० बन्दियों को पैरोल पर छोड़ कर एक साल के लिये तराई स्टेट फार्म नैनीताल भेजा गया था। वहां वे अपने भोजन आदि का स्वयं प्रबन्ध करते थे। यह हमारी सरकार ने एक ऐसा पथ-प्रदर्शन किया है जिसका देश की विभिन्न सरकारें अनुसरण कर सकती हैं।

आर्ट और कल्चर के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे मुख्य मंत्री की रुचि के कारण गवर्नमेंट आर्ट्स ऐंड क्रैफ्ट्स कालेज, लखनऊ का पूर्णतया पुनःसंगठन किया गया तथा लखनऊ में एक नये संग्रहालय भवन का निर्माण हो रहा है और मथुरा संग्रहालय का प्रसार हो रहा है।

इतना ही नहीं अन्तरिम जिला परिषदों के बारे में भी उन्होंने संकेत किया और कहा कि पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके डिसेण्ट्रलाइजेशन कर दिया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य का भाषण ३ बज कर ५७ मिनट पर शुरू हुआ था और उनके १५ मिनट पूरे हो गये हैं तो क्या आप उनका समय बढ़ा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, ३ बज कर ५९ पर शुरू हुआ था। आप के देखने में ग़लती हो गयी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जितने प्रोग्राम हैं उनकी ओर संकेत किया है और उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि हमारे प्रशासन की साख बहुत अच्छी है। यह जन प्रतिनिधि सरकार है और कांग्रेस में भी लोगों की आस्था है इसलिये ७ करोड़ रुपया ऋण मांगने पर १२ करोड़ आता है।

श्रीमन्, मैं यह सुझाव देना चाहता था कि राज्यपाल महोदय का भाषण और बजट भाषण साथ-साथ आयें। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं। आर्टिकिल १७९ में लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेशन के प्रारम्भ में राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के दूसरे पेज पर लिखा हुआ है कि जब तक हाउस प्रोरोग न हो जाय सेशन चलेगा। इसलिये बचत होगी, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि दोनों साथ-साथ आयें तो अच्छा होगा, क्योंकि जो तरह-तरह की बातें कही जाती हैं वह नहीं कही जायंगी क्योंकि इस तरह से पूरा नक्शा सब के सामने आ जायगा और इस आदरणीय सदन को विचार करने का मौका मिलेगा। मैं न शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गवर्नर साहब के भाषण के बधाई के प्रस्ताव का विरोध इसलिये करना पड़ रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई बहुत होशियार वकील किसी कमजोर मुकदमे को जीतना चाहता है। यू० पी० की गवर्नमेंट का मुकदमा इतना कमजोर है कि वह चाहे कितना ही बढ़िया वकील लाये मैं समझता हूं कि वह जनता के सामने नहीं जीत सकती है। मैंने अपनी जिन्दगी में जिस मुसीबत में उत्तर प्रदेश के लोग इस वर्ष हैं, उससे पहले नहीं देखा था। मैं समझता हूं और सच बोलने की कोशिश करता हूं और मैं इस तरफ के बैठने वालों को नहीं, बल्कि उस तरफ के बैठने वाले लोगों को दावत देता हूं और विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने भी दावत दी है कि जिस मुसीबत में करोड़ों लोग होंगे अगर उसको वह अपने आंखों से देख लें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां आकर भाई दीपनारायणमणि त्रिपाठी की तरह से और फारूक चिश्ती जी की तरह से बोलने की मेहरबानी नहीं करेंगे। मुझे यह भी कहने की जरूरत मालूम पड़ती है कि गवर्नर साहब ने यह कहा कि यू० पी० गवर्नमेंट का काम तो बेमिसाल है इस देश में। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किस मामले में बेमिसाल है। बेमिसाल मैं नहीं समझ पाया।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अगर वह बेमिसाल बतायें अन्न के उत्पादन में, बिजली के उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, किसी मामले में अगर वह हमें बताते कि बेमिसाल है सारे देश में तो मेरी समझ में बात आ सकती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आयी कि किस मामले में बेमिसाल है। मैं गवर्नर साहब की खिदमत में और यू० पी० गवर्नमेंट की खिदमत में कह देना चाहता हूं कि पिछली मर्तबा जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बैठी थी, जिसके बिड़ला साहब चेयरमैन थे और उसमें कांग्रेस पार्टी के सभापति मुनेश्वरदत्त जी उपाध्यक्ष भी थे उसकी रिपोर्ट कम से कम पढ़ ली जाय और फिर कहा जाय कि यू० पी० बेमिसाल है या बंगाल, मदरास, बम्बई, आंध्र, पंजाब के मुका-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बले में पीछे है। मैं भी बेमिसाल जगह का रहने वाला हो जाऊंगा, फिर उसमें मुझे क्या बुराई होगी? एक बात बेमिसाल की मैं समझ सकता हूं और वह यही कि छः करोड़ की आबादी जिस सूबे में है उसमें रहने के बाद वहां की गवर्नमेंट, जिस जबान से चल रही है उस जबान से नहीं बोलती। इसमें बेमिसाल है। लेकिन इसको खुल कर कहना चाहिये कि इस मामले में यूनीक पोजीशन है। चाहे घर में आग लगी हो, घर में डकैती पड़ रही हो, लेकिन बाहर हम सफेद कुर्ता पहन कर, चाहे भीख मांग कर ले आयें, लेकिन सफेद कुर्ता पहन कर दावा करेंगे कि हम बड़े आदमी हैं। अगर उनका कोई ताल्लुक है उस परिवार से जो साखू का बीज, गोबर का बीज, बनैले और विषैले पदार्थ खा रहा है तो मैं समझता हूं कि सम्पूर्णानन्द जी को समझना चाहिये कि उनका परिवार है। अगर उनको अपना परिवार समझते हैं तो मैं समझता हूं कि कभी भी नहीं कहना चाहिए इस पवित्र सदन में कि यूनीक पोजीशन है। मैं सम्पूर्णानन्द जी का आदर करने में कभी पीछे नहीं रहता।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य.....

श्री गेंदासिंह--मैं ईल्ड नहीं करता। अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो तो कहिए।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय सम्पूर्णानन्द....

श्री अध्यक्ष--(श्री सीताराम शुक्ल से) आप कृपा कर बैठिए।

श्री गेंदासिंह--मैं बहुत बार "सम्पूर्णानन्द जी" कहता हूं। उनसे ज्यादा आदर करता हूं, यह ध्यान में रखेंगे। बिलकुल आदर करता हूं। राजनारायण जी का भी आदर करता हूं। मैं आदर करता हूं और करता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं लड़ सकूंगा उस तरीके से कभी राजनारायण जी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बीच में इधर-उधर की बातों से हमारी असली बात खो जायगी। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर कोई दुश्मनी तो है नहीं। दुश्मनी अंग्रेजों से थी। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की कोशिश जीवन भर इस इलाके के लोगों ने की। अगर उन्होंने बदला साधा तो कोई बुरा नहीं किया। लेकिन मेरे खयाल में उनको बदला नहीं साधना चाहिये था। मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा-सा भी जो हिन्दुस्तान का सही खैरख्वाह हो उसको इन देश भक्तों की परवाह करनी चाहिए। आज उनके छोटे-छोटे बच्चे और औरतें घर में फाकाकशी करती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप को उनकी तस्वीर दिखाऊंगा। यहां पर मैं उनको दिखाने का काम नहीं करूंगा कि किस अवस्था में वे रह रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कहता हूं। मैं सम्पूर्णानन्द जी से कहता हूं, चरण सिंह जी से कहता हूं कि आप हमारे साथ चलिये या हमारे साथ आप न चलना चाहें तो त्रिलोकी सिंह के साथ चलिये, पालीवाल जी के साथ चलिये, झारखंडे राय जी के साथ चलिये या दुबे जी के साथ चलिये। अगर एक बार वहां जा कर देखा जाय तो देखने के बाद कहा जा सकता है कि तुम नालायक हो, तुम झूठ बोलते हो। मैं आज कुछ नहीं कहूंगा कि उसके बाद मैं क्या करूंगा? उस सूरत को देखने के बाद आकर यदि वे यह कहें कि तुम झूठ बोलते हो तो उस दिन मैं आप के कमरे में आ कर कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह रास्ता अख्तियार करता हूं। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि एक मर्तबा खुद जाकर तो इतमीनान कर लें।

अध्यक्ष महोदय, जमींदार किसानों से अपना लगान चैत्र, वैसाख या माघ में वसूल करता था जब उनको उनसे पैसे मिलने की उम्मीद होती थी, लेकिन आज उसका लिहाज नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है ७० लाख रुपया इस वक्त गन्ने का किसानों का देने को बाकी है। मेरी इस जानकारी में गलती भी हो सकती है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिन किसानों का ७० लाख रुपया बाकी है क्या इस सरकार की जिम्मेदारी उस रुपये को दिलाने की नहीं है? क्या सरकार ने कभी इस बात का पता लगाया है कि वे किसान मरे तो नहीं हैं? माननीय चरण सिंह जी के सिपाहियों ने उनको कमर में रस्सी बांध कर सारे गांव में तो नहीं

[श्री गेंदा सिंह]

घुमाया है ? कुछ इसकी भी खबर ली ? ७० लाख रुपया जिनका बाकी हो और ३ करोड़ ५४ लाख सरकारी खजाने का जिन मिल मालिकों के ऊपर बाकी हो उनकी कमर में रस्सी न लगे और गांव के लोगों का बाकी हो तो उनको इस तरह से तंग किया जाय और जब कि पिछला बकाया भी वसूल किया जा रहा हो। क्या कभी इस पर भी विचार किया गया है ? सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिसक पास २, ४ एकड़ जमीन है उस किसान की हालत जानने की क्या जरूरत है ? उनकी हालत तो अपने आप ही मालूम हो जाती है। जिनके पास २५, ५० एकड़ जमीन है उन की हालत को देखने के बाद तो आप की आंखें खुल जायंगी।

दूसरी बात गवर्नर साहब ने ट्रूस की कही है। मुझे झूठा कहने में सरकार ने बड़ी जल्दी की। मुझे कलेक्टर देवरिया और बलिया से मिलने के लिये नियुक्त किया गया। बदकिस्मती से मेरी कुछ उनसे जानकारी थी तो मेरा नाम उसके लिये लिया गया। जगन्नाथ जी ने बतलाया कि मेरी उनकी जान पहचान है। मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कमेटी से मिलने की जरूरत नहीं है और चरण सिंह जी ने जो कह दिया है वही काफी है। बलिया की हालत खराब नहीं है। मैंने उनको बड़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और उसके २ दिन के बाद सरकार ने एक कम्युनिक निकाल दिया कि गेंदासिंह ने फोन रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं ! उस वक्त आप की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ी। वह सवाल गुजर गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उस कम्युनिक को देखा है जिसमें मुझे झूठा बतलाया गया है ? मुझे जो झूठा कहा गया है उसके बारे में आप की क्या राय है ? क्या मैंने वास्तव में फोन रख दिया था ? मैं इस बात को मान भी लूं तो क्या वहां से लेकर यहां तक जितने लोग यहां पर बैठे हुये हैं क्या माननीय मंत्री जी इन सबको झूठा कहने के लिये तैयार हैं ? मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं कहेंगे। मेरा विश्वास सही है। मैं समझता हूं कि इनमें से कई आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सभी तरफ से सरकार की उस नीति की चर्चा की है और सारी बहस की वही चीज एक केन्द्र बिन्दु बन गयी है क्योंकि वे इन पूर्वी जिलों की मुसीबत को जानते हैं। तो कभी तो ईल्ड कीजिये विरोधी दल के सामने, नहीं तो यह कहा जायगा कि प्रजातंत्र में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। माननीय दीप-नारायण जी कह देंगे कि राज्यपाल महोदय का भाषण बहुत अच्छा है और फारूक साहब भी अपने विचार से ईमानदारी की बात कहते हैं। मैं उनकी नेकनीयती में शक नहीं करता, लेकिन हम भी नेकनीयती से कहते हैं।

यह ठीक है कि हम आप के पोलिटिकल अपोनेन्ट हैं, लेकिन अगर उनकी कोई हैसियत है प्रजातंत्र में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज दो काम कर दिये जायं। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के बारे में अपनी तरफ से जानकारी कराने की चेष्टा करें। वहां क्या हो रहा है ? बनारस से आरा लगा हुआ है। गाजीपुर शाहाबाद मिला हुआ है, देवरिया से छपरा और चम्पारन मिले हुए हैं। वहां मैं ख आया हूं कि १५,००० दूकानें १४ हजार ६०० ने कुछ ज्यादा ही—चल रही हैं और बिहार सरकार की बात मैं कहता हूं, २ करोड़ ६५ लाख की आबादी कही जाती है कि संकट में है। पश्चिमी बंगाल की जानकारी भी मुख्य मंत्री जी करायें और केरल में १ करोड़ १६ लाख की आबादी है, लेकिन वहां भी ७,००० से कुछ कम दूकानें हैं। २ करोड़ की आबादी यहां मुसीबत में है, लेकिन २,००० से ज्यादा दूकानें नहीं हैं और दुबे जी को शायद पहले की खबर है। मैं अभी की खबर देता हूं कि दूकानों पर ५० मन नहीं, २० मन गेहूं दिया जा रहा है। मैंने देखा है अध्यक्ष महोदय, और मैं अपने क्षेत्र में कुछ लोकप्रिय हूं, जब मैं दूकान पर गया तो मैंने लोगों को एक-एक रुपये का गेहूं दिलाने की कोशिश की। १० मिनट के लिये लोग शान्त रहे, लेकिन उसके बाद एक गांव के आदमी ने पड़ोस के गांव की औरत को धक्का दे दिया। यह होता है एक रुपये का अनाज पाने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो बातें चाहता हूं। एक तो लोग क्या खा रहे हैं और किस अवस्था में रह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिये क्योंकि इसके बिना हम किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं मानता हूं कि गवर्नर साहब और मुख्य मंत्री जी को सही और पूरी जानकारी है और इसीलिये हमारा आग्रह है कि यह फैसला हो जाना चाहिये कि वहां पता लगाने के लिये कुछ लोग जायं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वह जायं उन जगहों पर जिनका नाम गंगा बाबू ने और श्री त्रिलोकी सिंह जी ने लिया है और गोरे साहब ने जिनका जिक्र किया है। हां, यह जरूर कहता हूं कि इनमें से किसी एक को साथ जरूर लिया जाय और जा कर यह देखा जाय कि लोग क्या खा रहे हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि एक जुडीशियल इंक्वायरी कमेटी बैठे और वह देखे कि पिछले चार, छः महीनों में रेवेन्यू विभाग ने क्या किया है। यह कमेटी दो, तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि जो पिछले अंग्रेजी जमाने में किसी किसान और जमींदार के ऊपर नहीं गुजरा होगा वह आज उनके ऊपर गुजर रहा है। और जब मैं कुर्क अमीनों की बातें सुनते सुनते एक गांव के बारे में आजिज आ गया तो वहां वह सब देखने के लिये पहुंचा। मैंने देखा कि उस ने दो बैल बांध रखे हैं यूं ही। मैंने यह देख कर कहा कि अगर अब मैं तुमको बांध लूं तो कोई जुर्म न होगा। यह भी मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा कि मुझे तुम को बांधना नहीं चाहिये क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरी बात बढ़ कर के बहुत बड़ी हो जायगी कि गेंदा सिंह ने जा करके कुर्क अमीन को बांध लिया, लेकिन मैं चाहता था कि मंत्री जी की निगाह में मैं गुनहगार तो न बनूं। तो मैंने यह निवेदन किया था कि ट्रूस का जहां तक सम्बन्ध है उसमें आप हमें दंड दे दीजिये, लेकिन रिआया को दंड न दीजिये, हम से नाराज हो कर उन करोड़ों आदमियों को दंड न दीजिये। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय. . . . .

श्री अध्यक्ष—आप कोई संशोधन उपस्थित नहीं करेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल—संशोधन तो मैंने पहले ही वापस ले लिया है।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी या अन्य माननीय मेम्बरों की बातों का जवाब देने से पहले एक आध बात मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि मैं आखिर में कहीं भूल न जाऊं। मेरी प्रार्थना है कि माइक्रोफोन डिफेक्टिव है, इसे ठीक होना चाहिये ताकि जो भाषण होते हैं सबको ठिकाने से सुनाई पड़ें। जैसा कि दिल्ली की पार्लियामेंट में है, वैसा यहां भी लगाया जाय तो लोगों को सुनने में आसानी होगी। क्योंकि एक शब्द के भी सुनने में गलती हुई तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि जो माननीय मेम्बर सुझाव दें उसका उन्हें जवाब मिले कि काम कितने दिन में होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आज नहीं तो कब तक हो जायगा। एक चिट्ठी भेज दी जाय कि गवर्नमेंट की उसके बारे में क्या राय है। मैंने पहले बजट के सिलसिले में अर्ज किया था कि मूड़घाट से कुरदह होते हुये हरैया बभनान रोड में रवई के पुल तक सड़क बना देनी चाहिये, बभनान में लड़कियों का एक स्कूल खोल दिया जाय, हरैया में बिजली लगवा दी जाय और किसानों की गिरफ्तारी मालगुजारी की बकाया में न हो। जिसमें से एक बात तो हुई कि हरैया में बिजली लग गई। इसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। किन्तु मेरी अन्य तीनों बातों का जवाब मुझे नहीं मिला। अगर मिल जाता तो अच्छा होता।

अब मैं आता हूं, माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात पर। निहायत सहृदयतापूर्वक जो आपने गरीबी देखी है और इस सदन के सामने रखी है उसके लिये मैं पूर्वी जिले वालों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। किन्तु आपने कम कहा, क्योंकि आप लखनऊ से तशरीफ ले गये थे। आपने तो अब देखा और थोड़ी देर में क्या-क्या देख सकते हैं

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं तो वहां बहुत दिनों से रह रहा हूं। मेरा ६० वां साल समाप्त हो गया है। हुजूर वाला इसमें कोई शुबहा नहीं कि आज भी वहां की हालत अच्छी नहीं है। आज भी कोई सहृदय आदमी वहां जायगा तो उसको परेशानी होगी, लेकिन आपने उस जमाने को नहीं देखा कि जब यह सरकार नहीं थी। मैंने तो वहां की गरीबी दिखला दिखला कर के कांग्रेस के कार्यकर्त्ता पैदा किये हैं। पकड़ ले जाता था किसी नौजवान को और किसी गरीब के घर में घुस जाता था और दिखलाता था कि भादों का महीना है और घर में यह खाना है और यह कपड़ा है, चारों तरफ हरियाली है किन्तु इनके घर में सूखा पड़ा हुआ है जिसे देख उनको बहुत चोट लगती थी। फलस्वरूप वह स्वयं सेवक अथवा सहायक बन जाता था। आज भी मैं देखता हूं कि गरीबी है, लेकिन उस जमाने से इस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त सभाओं में आधे लोग नंगे बदन आते थे। आपने चिथड़े तो देखे, फटी साड़ी तो देखी, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद ही देखा, उसके पहले वह भी मयस्सर नहीं था। यह जरूर है कि आज मंहगाई के कारण किसानों की कुछ हालत अच्छी हुई है। इस पर कहा जा सकता है कि गल्ला के साथ साथ कपड़ा, लोहा आदि भी मंहगा हुआ किन्तु माल-गुजारी नहीं मंहगी हुई, वह जहां की तहां है। उसकी वजह से किसानों की हालत पहले से कहीं कुछ अच्छी हो गयी है फिर भी उनकी मदद की आवश्यकता है, परन्तु कहां से की जाय। अगर आप यह फरमाते कि देखो खजाने में इतना रुपया रखा हुआ है, बजट में इतना रुपया है और वहां इतनी गरीबी है फिर भी आप मदद नहीं करते हैं और फलां गोदाम में इतना गल्ला भरा है, आप लोगों को देते नहीं हैं, फलां जगह से इतना कर्जा मिला करता है लेकिन उससे आप लोगों की मदद नहीं करते तो वह बात सही हो सकती थी, लेकिन जब कर्जा नहीं मिलता, गोदाम में गल्ला नहीं है, बजट में रुपया नहीं है तो फिर आप तय करें कि कहां से मदद की जाय। कौन चाहता है कि दवा बिना और क्या आप चाहते हैं कि उसका बच्चा मर जाय? कोई नहीं चाहता, लेकिन बच्चा जब बीमार पड़ता है और गरीब के पास पैसा नहीं होता तो वह तड़प कर रह जाता है। अपने बच्चे को मरते हुये देखता है और रो रोकर चाहता है कि दवा दे, चाहता है कि उसको अच्छा खाना दे, लेकिन गरीबी के कारण दे नहीं पाता। ठीक यही हालत अपनी सरकार की भी है। वह चाहती है कि सब को खाना दे, मकान दे, लेकिन नहीं दे पाती क्योंकि यह ढांचा आज का बिगड़ा हुआ नहीं है और उसको आज एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है। आपने गरीबी का चित्र खींच तो दिया लेकिन मिहरबानी करके यह तो बताइये कि उसके सुधारने का उपाय क्या है। यदि सरकार उस उपाय को नहीं मानती है या उसमें वह फेल होती है तो मैं इधर से उधर आ सकता हूं। मैं कांग्रेस में इसीलिये हूं कि मुल्क की भलाई हो, लेकिन अगर वह नहीं कर सकती तो मैं आप की तरफ आ सकता हूं। लेकिन केवल शिकायत करने से काम चलने वाला नहीं है। कहते तो आप बात उनकी तकलीफों की हैं, लेकिन आपके ध्यान में चुनाव रहता है। हम जानते हैं कि आपकी तकरीर क्या है, तहरीर क्या है, और आपका इरादा क्या है। पढ़े लिखे लोग आपकी बातों में नहीं आ सकते। हां, किसानों और मजदूरों को धोखा हो सकता है।

आप पुलिस की भी शिकायत करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि अगर आप पुलिस की बुराइयां बताते हैं तो उनमें जो भले हैं उनकी भलाइयां भी बताइये। सदन के सभी लोग इस राय के हैं कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिये, पुलिस अच्छी होनी चाहिये, लेकिन वह कैसे ठीक हो, इसका भी सुझाव दीजिये। हुजूरवाला, कुछ खराबी ऊंची जगह में भी है। हर सरकारी नौकरी के लिये सिफारिशें पहुंच जाती हैं। मुझे मालूम है कि बड़े-बड़े लोग भी चपरासियों तक की नौकरी के लिये चिट्ठी भेज देते हैं। अगर इजाजत दीजिये तो कुछ उस तरफ के लोगों की भी चिट्ठियां दिखला दूं। मैं उनको दिखला सकता हूं, पेश कर सकता हूं, लेकिन आपके नेता मना कर रहे हैं। लीडर का कहना मानना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि जिन्होंने हमको वोट दिया है, मदद दी है, उसने हमारी डगमगाती हुई किश्ती को पार किया है वह अचबी

[श्री सीताराम शुक्ल]

को चाहिये कि वह इसे दूर कर दे। यहां उत्तर प्रदेश में उर्दू जबान पर रोक कब लगी थी, वह तो बड़ी मीठी जबान है, जो पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं, उसमें अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, यह सहूलियत तो सरकार ने दे ही रखी है, लेकिन हुजूरवाला गवर्नमेंट से मेरी एक शिकायत यह है कि वह सही बात को भी नहीं बतला पाती। लोग गलत बात कह-कह कर उसके विरुद्ध प्रचार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप या कोई भी इस बात को पसन्द करेगा कि लड़कों के हिन्दी सीखने के बाद भी उन्हें उर्दू में दरख्वास्त देने की आज्ञा दी जाय? और सरकार के खर्चे को दुगना बढ़ाया जाय? मैं पूछता हूं कि हर तरह से किफायत करके बेकारों को भत्ता देकर उनके जीवन की रक्षा की जाय अथवा किसी की जिद पूरी की जायगी? इसको बतलाना चाहिये कि अनावश्यक सरकारी खर्च बढ़ाने से उन्हीं का नुकसान होगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर हम लोगों को इस शासन के संबंध में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है, इसके लिये मैं धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी बदौलत हमको भी अपने दिल की बात कहने का एक अवसर इस प्रकार से मिला है कि जरा उस तरफ के लोग भी नजदीक से इन चीजों को सुनें। आज से ३ महीने पहले असेम्बली की बैठक खत्म होने के बाद हमलोग अपने अपने घर गये और वहां की हालत को घूम-घूम कर अपनी आंखों से देखा ताकि हम वहां की हालत को असेम्बली में आकर सरकार के सामने रखें। हमको उम्मीद थी कि असेम्बली सेशन होने के वक्त तक कम से कम उन क्षेत्रों की दुर्दशा सरकार द्वारा दूर की जायगी और या तो उनकी मुसीबतों को हम कोशिश कर दूर करा सकेंगे, लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े-बड़े प्रदर्शन हुये, सभायें हुई, लिख कर भेजे जाने के बाद भी, बड़े-बड़े नेताओं के आगमन होने के बाद भी उनकी मेजों पर साखू की रोटी, भसीड़, चिचोड़ इस प्रकार के अखाद्य पदार्थ, जिनको देखने से भय लगता है, का ढेर लग जाने के बाद भी वही मखौल वाली बातें उत्तर में सुनाई पड़ीं। अभी माननीय गृह मंत्री महाराजगंज और फरेंदा तहसील में गये थे। वहां कांग्रेस द्वारा आयोजित मीटिंग में उनकी मेज पर इस प्रकार के अखाद्य पदार्थों का ढेर लग गया था।

श्री अध्यक्ष--साखू की रोटी आपने कही?

श्री मदन पांडेय--जी हां, साखू के बीज की रोटी। उसके खाने का तरीका यह है कि साखू का बीज दो दिन तक सड़ाया जाता है। उसके बाद उसे सुखा कर पीसा जाता है और १ सेर आटे में पाव भर किसी रबी वाले अनाज के आटे में मिला कर रोटी बनाई जाती है और इस रोटी के खाने वाले को अक्सर ४ दिन तक पाखाना नहीं होता। चार दिन तक पाखाना न होने से क्या क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं। इस प्रकार की रोटी खाने वालों को अन्त में किस प्रकार के कष्ट उठाने होते हैं, यह कांग्रेस बेंचेज पर बैठने वाले बहुत से भाई अच्छी तरह से जानते होंगे, उन्होंने इसको बखूबी देखा होगा। इस अभिभाषण के विषय में राय प्रकट करने के पहले मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब सरकार आंख खोले और हठधर्मी की बातों का परित्याग करे और कुछ ऐसे कदम उठाये जिससे वहां की जनता को और वहां से जनता के आये हुये प्रतिनिधियों को यह महसूस हो कि दरअसल सरकार सचेष्ट है।

अभी जिस दिन मैं आने लगा हूं मुझे उसी दिन मालूम हुआ कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिक्री के लिये जितनी मिकदार अन्न की मुकर्रर थी वह घटा दी गयी है। यों ही सस्ते गल्ले की दूकानों से राशन उनको मिलता है जिनके पास पैसा होता है फिर उसी से मुसीबत और बढ़ेगी। वास्तव में समस्या यह है कि क्रय शक्ति बढ़े। रसगुल्ले और मिठाई दुकानों पर रखे हों और पेट में उनके न पहुंचें तो क्या फायदा?

मैं एक सवाल नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं पूर्वी जिलों की रग-रग जानने वाले गृह मंत्री जी से जो आज इस माननीय सदन में उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि मैं पूरब का रहने वाला हूं और वहां की रग-रग मुझे मालूम है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वहां यह कहावत नहीं है कि सावन और भादों में तोते भी उपवास करते हैं? जिस जगह के तोते उपवास करते हों वहां लोगों से मालगुजारी जिस बेरहमी से वसूल की जा रही है क्या वह चीज उनकी जानकारी में नहीं आई है, क्या वहां वसूली में ज्यादतियां नहीं हो रही हैं? मैं उनको नाम दे कर बताना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले के डोमा गांव में स्वरूप और गरीब दो हरिजनों ने अपने खेत बिन्देश्वरी नामक महाजन के हाथ ५०-५० रुपये में खड़ी फसल समेत रेहन कर दिये और जब तक सवाये सूद के साथ रुपये वे अदा नहीं कर देंगे तब तक महाजन का उनके खेतों पर कब्जा रहेगा। कितने लोग इस तरह से तबाह व बरबाद हो गये हैं? क्या इसकी सूचना माननीय माल मंत्री को या अन्य मंत्रियों को नहीं है? उत्तर देते वक्त गृहमंत्री, माल मंत्री तथा अन्य मंत्री जो गांवों में घूम कर आये हैं इसकी सूचना दे सकते हैं।

मैं एक चीज की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी अशोक मेहता की अध्यक्षता में खाद्य समस्या को लेकर एक कमेटी गैर सरकारी स्तर पर पूर्वी जिलों में गई थी। उसमें एन० जी० गोरे जैसे प्रसिद्ध नेता ने भी जो दक्षिण के हैं, अपने बयान में ऐसे बहुत से अखाद्य पदार्थों का जिक्र किया है। इस संबंध में आज एक प्रश्न भी था, लेकिन उसे टाल दिया गया। कहा गया कि इस अभिभाषण के संबंध में जिस समय उत्तर दिया जायगा उस समय इन बातों का भी जिक्र कर दिया जायगा। वह उत्तर हमको यदि आज मिल गया होता तो हम लोग उस पर विचार करते और अपने विचारों को प्रकट करते। लेकिन अब यह पानी सर से ऊंचा हो चुका है, गण्यमान्य नेताओं की बातों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। गत् १९,२० तारीख को पूर्वी जिलों के किसानों के नेताओं का जो सम्मेलन गोरखपुर में हुआ था उसके अध्यक्ष की हैसियत से किसान मजदूर प्रजा पार्टी के नेता प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने सरकार को सम्बोधित कर कहा है कि अगर अगले १ महीने में स्थिति को सुधारने का सही माने में प्रयत्न नहीं किया गया तो उन्हें मजबूर हो कर अनशन का जो आखिरी सहारा है ग्रहण करना पड़ेगा। क्या अब भी सरकार नहीं चेतेगी?

अब मैं जो और समस्याओं की चर्चा की गयी है उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। खाद्य समस्या की विकटता का एक प्रधान कारण सिंचाई के साधनों का अभाव है। अभी आपको दर्जनों गांव ऐसे मिलेंगे जिनमें पीने तक के पानी के कुएं नहीं हैं और लोग चोंगड़े खोद कर पानी पीते हैं। सिंचाई की तो बात ही अलग है। परगना तिलपुर, तहसील महाराजगंज में कनामिसवा मुड़ेरवा में कोई कुआं नहीं है। उधर जो माननीय सदस्य बैठे हुये हैं उन्होंने भी देखा होगा कितना रुपया विकास योजनाओं पर खर्च हो रहा है, लेकिन अभी शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था गांवों में नहीं हुई है, फिर सिंचाई का क्या प्रश्न है? जो पुराने बंध वगैरह जमींदारों के सहयोग से लोगों ने बना रखे थे जिनसे बाढ़ और सिंचाई की समस्याएं हल हुआ करती थीं, जब से जमींदारी खत्म हुई है मैंने कई बंधे देखे हैं, उनका सत्यानाश हो चुका है। केवल दो, या तीन आदमी साल भर इन बन्धों की मरम्मत करके उस व्यवस्था को कायम रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी तरह से पीपीगंज के पूर्व की तरफ पेपे साहब के इलाके में जो बाढ़ और सिंचाई की व्यवस्था थी उसमें अगर ४ आदमी साल भर काम करते तो लगभग ४ हजार एकड़ धान का बहुत बढ़िया इलाका बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहां के गांव वालों ने ४ फर्लांग का एक बांध ४५ फीट चौड़ा तैयार कर रखा है, लेकिन एक रेगुलेटर नहीं लगाया गया इसलिये वह सारी मेहनत इस बाढ़ में बरबाद होने की संभावना हो गई है। चेहरीबन्द में ४ मील तक बांध तैयार हो चुका है, केवल १ फर्लांग बांध तैयार न होने के कारण जो बरबादी होगी वह तो अलग है और बांध भी ध्वस्त हो जायगा।

[श्री मदन पांडेय]

इसी प्रकार से योजना में किस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग होता है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये दो एक केसेज का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया जैसे माता टीला, खटीमा आदि। लेकिन मैं नारायणी कैनाल का जिक्र करना चाहता हूं। यह ४५ लाख की योजना थी जो अब ८५ लाख से ऊपर पहुंच गई है। इसमें इतना अपव्यय हुआ है जिसका हिसाब गैर सरकारी आदमी के लिये लगाना कठिन है। केवल अन्दाजा ही काफी है। वहां एक योजना उल्टी गई, दूसरी बनायी गई। उसी नहर पर डोमा साइफन पर लाखों रुपया खर्च किया गया, लेकिन जिस पानी को निकालने के लिये साइफन बना हुआ है, यदि उसका उपयोग किया तो उसमें कई गुना वृद्धि हो जायगी। समय कम है, लेकिन मैं धोबहा साइफन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। उसके द्वारा नहर के पूर्व की तरफ धोबहा नाले के पानी को पहुंचा दिया गया, लेकिन नदी तक ले जाने के लिये कोई रास्ता नहीं बनाया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि ३ हजार एकड़ की लहलहाती फसल बरबाद हो रही है। इतना रुपया खर्च करने के बाद भी हमें परिणाम यह मिल रहा है। इसलिये हम मांग करते हैं सरकार से कि इन योजनाओं में जो अपव्यय हो रहा है उसकी जांच की जाय। नारायणी कैनाल में जितना अपव्यय हुआ है, उसकी जांच करायी जाय। और धोबहा साइफन से जो पानी निकाल कर छोड़ दिया गया है तथा उससे जो फसल का नुकसान हुआ है तथा हो रहा है उसके बचाव के लिये तुरन्त बन्दोबस्त किया जाय, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। चकबन्दी के संबंध में बहुत बड़ी-बड़ी बातें इस सदन में सरकार की ओर से कही जाती हैं, लेकिन गांव वालों की मर्जी के खिलाफ यह योजना उनके ऊपर लादी जा रही है, यह कहां तक उचित है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ बार-बार शिकायत करने पर भी उन्हीं से कहना कि जांच करो, भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी उनको बर करार रखना यह सब गलत चीजें हैं। इन सब चीजों के रहते हुये थ्योरी में चाहे चकबन्दी कितनी ही अच्छी चीज हो लेकिन प्रैक्टिस में वह कामयाब हो सकेगी इसमें हमें सन्देह है और मैं समझता हूं कि जो राहत सरकार किसानों को देना चाहती है वह उनको नहीं मिल सकेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो आरोप आये सरकार उनकी जांच कराये और मेरी राय है कि जब तक चकबन्दी लोगों की मर्जी से न हो सके तब तक के लिये उसको स्थगित कर देना चाहिये।

उद्योग धंधों के संबंध में सरकार की गलत नीति के बारे में इस सदन में बहुत बार कहा जा चुका है लेकिन आज फिर मैं निवेदन करूंगा कि चाहे पूर्वी जिलों के लिये यहां पर मिनिस्टर लोग आठ-आठ आंसू बहाते हों और इधर के लोग वहां की दशा कहते-कहते थक जाते हों, लेकिन उस क्षेत्र के औद्योगीकरण के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। और उसका उदाहरण यह है कि आज तक जिन पूर्वी जिलों की हालत अत्यन्त शोचनीय है वहां के लिये कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि वहां एक भी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई जा सके या वहां पर कोई बड़ी फैक्ट्री या कारखाना खोला जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने या उन के प्राविधिक सलाहकारों के मस्तिष्क में कोई योजनाओं की कमी है कि वहां के लिये उनके दिमाग में कोई योजना नहीं आती? वहां पर बांस और बगास की इतनी अधिकता होते हुये भी आजतक कोई कागज बनाने की स्कीम नहीं लागू की जा सकी। जहां पर हैण्डलूम के काम की इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतना बड़ा केंद्र है वहां पर आजतक सूत की फैक्ट्री खोलने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। हम देखते हैं कि गोरखपुर के विश्वविद्यालय के लिये बरेली से हजारों रुपये का फर्नीचर आता है, बहुत बड़ी तादाद में हर साल टिम्बर पैदा कर बाहर भेजने वाले जिले की यह दशा है। क्या वहां पर कोई कारखाना फर्नीचर बनाने का या लकड़ी के काम का नहीं खोला जा सकता है? बड़े उद्योग धंधों की तो यह बात रही। छोटे उद्योग धंधों के बारे में भी यही कहना है कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। बेंत की शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती जब कि बाहर हजारों मन बेंत चला जाता है, चमड़ा वहां से बाहर

जाता है, लेकिन वहां पर इसके टेंटिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई, वह कलकत्ता और कानपुर भेज कर टेन किया जाता है। चाहे कुछ दिन यह चीज भले ही चलती रहे लेकिन बहुत शीघ्र ऐसे-ऐसे छोटे उद्योग-धंधों को वहां पर चलाने की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। इस तरह के कारखाने खोलकर वहां की गरीब जनता को भुखमरी आदि संकटों से बचाया जा सकता है। यदि इस सरकार को पूर्वी जिलों की स्थिति को सुधारना है, वहां की भुखमरी का समाधान करना है तो उसे तुरन्त ही नदी घाटी योजना को लागू करना चाहिये और राप्ती, गंडक, घाघरा आदि नदियों को कंट्रोल करना चाहिये जो ५०० मील ऊपर से तिब्बत तक के पानी को लाकर सारे इलाके को हर साल पानी से डुबो देती हैं। यदि उनको नियंत्रित न किया गया तो किसी भी सहायता से काम नहीं चलेगा और न वहां की स्थिति और समस्याएं स्थायी रूप से हल हो सकेंगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२२ जुलाई, १९५८।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१ पर)

उत्तर प्रदेश में प्राप्य खनिज पदार्थों की सूची

खनिज पदार्थों के नाम	जिले जहां खोज की गई
१—एस्बेस्टस	१ गढ़वाल
२—मिट्टियां	१ मिर्जापुर
	२ बांदा
३—तांबा	१ गढ़वाल
	२ अल्मोड़ा
४—जिप्सम	१ नैनीताल
	२ देहरादून
	३ गढ़वाल
	४ टेहरी गढ़वाल
५—लोहा	१ नैनीताल
	२ गढ़वाल
६—सीसा	१ गढ़वाल
	२ देहरादून
७—लाइमस्टोन	१ देहरादून
	२ टेहरी गढ़वाल
	३ गढ़वाल
	४ मिर्जापुर
८—मार्ल	१ लखनऊ
	२ उन्नाव
९—काल्क टूफा ..	१ बांदा
१०—सोपस्टोन	१ अल्मोड़ा
११—गंधक	१ गढ़वाल
	२ देहरादून
१२—क्वार्टज्	१ बांदा

अभी तक जिन खनिज पदार्थों की खोज की गई उनकी मात्रा निम्नलिखित है—

खनिज पदार्थ	मात्रा
१—लाइम स्टोन	६० मिलियन टन
२—फायर क्ले (चीनी मिट्टी) ..	३ से ४ मिलियन टन
३—काल्क टूफा	१ मिलियन क्यूबिक फुट

अन्य खनिज पदार्थों के बारे में खोज जारी है।

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

पत्र सूचना शाखा

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश

भाषा का प्रश्न

उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति

लखनऊ, आषाढ़ २९, १८८०

२० जुलाई, १९५८

लखनऊ, २० जुलाई—भाषा के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित विज्ञप्ति जारी की है —

जब से समाचार-पत्रों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही प्रकाशित हुई है और विशेषकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रकाशन के बाद से जनता यह प्रतीक्षा करती रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी नीति का निरूपण तथा उसकी व्याख्या करेगी। राज्य सरकार ने जानबूझकर इस सम्बन्ध में कोई भी विज्ञप्ति इसलिये जारी नहीं की ताकि इस विषय पर उठाये गये विवाद, जिनमें अनेक व्यक्तिगत, असंगत तथा अत्यन्त आपत्तिजनक थे, शान्त हो जायं। भारत सरकार भी इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करती रही है और उसने भाषा के प्रश्न पर अभी हाल में एक वक्तव्य भी स्वीकार किया है जो समाचार-पत्रों में विस्तृत रूप से प्रकाशित हो चुका है। यह वक्तव्य वास्तव में कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव का विस्तार तथा स्पष्टीकरण है।

उत्तर प्रदेश सरकार यह निश्चित रूप से बतलाना चाहती है कि वह उपरोक्त प्रस्ताव तथा वक्तव्य को पूर्णरूपेण स्वीकार करती है। वास्तव में कांग्रेस कार्य समिति ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसके तैयार होने के पूर्व हुए विचार-विमर्श में मुख्य मंत्री को भाग लेने का सुअवसर मिला और केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत वक्तव्य के तैयार होते समय भी प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री से परामर्श करने की कृपा की। उत्तर प्रदेश सरकार के लिये यह संतोष का विषय है कि भाषा सम्बन्धी जिस नीति पर वह गत दस वर्षों से एकरूपता एवं दृढ़ता से चलने की चेष्टा करती रही है उसको कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव तथा केन्द्रीय सरकार के भाषा-नीति सम्बन्धी वक्तव्य दोनों ही से पुष्ट समर्थन प्राप्त हुआ।

केन्द्रीय सरकार के भाषा-नीति सम्बन्धी वक्तव्य में जो पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से चार प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ से ही स्वीकार किये जा चुके हैं। उक्त पांच प्रस्ताव निम्नांकित हैं :—

(१) जिन बालक-बालिकाओं की मातृभाषा उनके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा उर्दू घोषित की गयी है, उन्हें उर्दू में प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा व परीक्षा की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

(२) उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण और उर्दू में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(३) माध्यमिक स्तर पर भी उर्दू में शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

(४) सभी न्यायालयों व सरकारी कार्यालयों में उर्दू दस्तावेज बिना किसी अन्य भाषा में अनुवाद या रूपान्तर के स्वीकृत होने चाहिये तथा आवेदन या प्रार्थना-पत्र भी उर्दू में स्वीकृत होने चाहिये ।

(५) उन क्षेत्रों में, जहां उर्दू प्रचलित है और जो तदर्थ निर्दिष्ट कर दिये गये हैं, महत्वपूर्ण कानून, कायदे, नियम-अधिनियम तथा विज्ञप्तियां उर्दू में भी जारी होना चाहिये ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह राज्य इस अखिल भारतीय नियम का पालन करता रहा है कि उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधा की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि किसी स्कूल में कम से कम ४० तथा एक कक्षा में कम से कम १० ऐसे छात्र हों । यह हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों ने हिन्दी के प्रति उत्साह प्रदर्शित करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये आदेशों का पूरी भावना से पालन न किया हो । दूसरी ओर सम्भवतः यह भी सही है कि कभी-कभी उर्दू के पक्षपातियों ने तिल का ताड़ बनाया और ऐसी शिकायतें लेकर सामने आये जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं था । सरकार प्रत्येक व्यक्ति को यह बतलाना चाहती है कि इस प्रश्न पर उत्तेजना तथा पक्षपात से रहित वातावरण में ही विचार करना उचित है । तभी सरकार के लिये यह सम्भव हो सकेगा कि वह यह पता लगाये कि उसके आदेशों का कहां तक पालन किया जा रहा है । राज्य तथा जनता के सभी वर्गों का सर्वोपरि हित इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई से इस नीति का पालन करे ।

जहां तक पांचवें प्रस्ताव का सम्बन्ध है राज्य की सभी महत्वपूर्ण विधियां, नियम, अधिनियम एवं संज्ञप्तियां सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू पत्रिका "इत्तिलात" (जो अब "नयादौर" कहलाती है) में प्रकाशित की गई हैं । सूचना विभाग समय-समय पर महत्वपूर्ण विधान और अधिनियम जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, दशमलव मुद्रा-प्रणाली, नाप-तौल की मैट्रिक प्रणाली आदि की व्याख्या करते हुये पुस्तकें एवं पुस्तिकाएं प्रकाशित करता रहा है । राज्य सरकार की पत्र सूचना शाखा द्वारा जो प्रेस नोट प्रगति सम्बन्धी सिंहावलोकन तथा सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों के सम्बन्ध में जो सामग्री प्रचारित होती है सब एक साथ हिन्दी उर्दू और अंग्रेजी में जारी की जाती है । किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई गई है । इस सम्बन्ध में रखा गया प्रस्ताव मूल्यवान है और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि यह प्रस्ताव उचित रूप में कार्यान्वित किया जाय । ऐसे विषयों को "नयादौर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जायगा और आवश्यकतानुसार सूचना विभाग तथा अन्य सरकारी कार्यालय इस कार्य के लिये स्थानों में अन्य उपाय भी उपयोग में लावेंगे जिनके लिये यह विचार किया जा सकता है कि वहां की जनसंख्या का एक बड़ा भाग उर्दू से परिचित है । इस समय इस कार्य के लिये रामपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिले तथा लखनऊ नगर को चुना गया है ।

सार्वजनिक सूचना के लिये यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिये अन्य कदम भी उठाती रही है । उदाहरणार्थ उर्दू की पुस्तकों पर भी पुरस्कार दिये गये हैं तथा जिस कोष से वैज्ञानिकों एवं साहित्यिकों को आपत्तिकाल में पेंशनें दी जाती हैं उससे उर्दू के लेखक भी लाभान्वित हुए हैं ।

ये कदम उर्दू की रक्षा के लिये यथेष्ट होने चाहिये । हिन्दी के सम्बन्ध में स्थिति भारत सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट हो जाती है—

"हमारे संविधान में हिन्दी को न केवल गौरवपूर्ण स्थान मिला है बल्कि वह उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के अन्य कई राज्यों की राज-भाषा भी है । हिन्दी तथा उर्दू में प्रतिद्वन्द्विता का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता । ऐसे राज्य में हिन्दी आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली स्थान रखती है..... ।"

नत्थी 'ग'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

विवरण पत्र जिसमें १-७-५८ को इस प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया सेस का विवरण दिया गया है :

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम	१-७-५८ को बकाया सेस की धनराशि (लाख रु० में)	अभियुक्तियां
१	२	३	४
१	सरदार नगर	१९.५३	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।
२	पिपराइच	१०.१०	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।
३	घुघुली	३.१०	
४	शिसवा बाजार	४.३७	
५	फरेन्दा	३.०४	
६	बैतालपुर	४.९७	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।
७	गौरी बाजार	२.५८	
८	देवरिया	४.४८	
९	कैप्टैनगंज	२.१५	
१०	खड्डा	१६.४३	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।
११	छितौनी	२.१८	
१२	लक्ष्मीगंज	७.०५	उपर्युक्त
१३	रामकोला (के)	१०.९३	उपर्युक्त
१४	रामकोला (पी)	४.०२	उपर्युक्त
१५	पडरौना	९.८४	उपर्युक्त
१६	कठकुइयां	७.२४	उपर्युक्त
१७	मुंडेरवा	३.५७	
१८	खलीलाबाद	३.८३	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।
१९	नवाबगंज	४.२४	
२०	बलरामपुर	१.८१	
२१	तुलसीपुर	१.८८	
२२	जरवल रोड	८.७३	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।
२३	बुढ़वल	.५६	
२४	बाराबंकी	६.४१	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम			१-७-५८ को बकाया सेस की धनराशि (लाख रु० में)	अभुयुक्तियां
१	२			३	४
२५	शाहगंज	..	..	३.३८	
२६	बिसवां	..	..	३.२०	
२७	महोली	..	..	३.००	
२८	मसोधा	..	..	६.०२	
२९	ऐरा	..	..	१.६४	
३०	गोला	..	..	१०.२६	
३१	बरेली	..	..	१०.७७	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये ।
३२	पीलीभीत	..	..	१३.८५	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गय ।
३३	बिजनौर	..	..	९.४९	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये
३४	धामपुर	..	..	५.३०	उपर्युक्त
३५	देवबन्द	..	..	१६.९१	
३६	सहारनपुर	..	..	१७.९१	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गय ।
३७	इकबालपुर	..	..	२७.८३	उपयु क्त
३८	मनसूरपुर	..	..	११.१३	
३९	खतौली	..	..	१७.१३	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गय ।
४०	शामली	..	..	९.२६	
४१	सकोटी टान्डा	..	..	२.०८	
४२	जसवन्त	..	..	२.८६	
४३	मोहिद्दीनपुर	..	..	२.५२	
४४	मोदीनगर	..	..	१.३०	
४५	पन्नी नगर	..	..	८.०८	
४६	काशीपुर	..	..	८.०८	रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये गये ।
४७	नथौली	..	..	३.००	
४८	अमरोहा	..	..	६.५८	
४९	बिलारी	..	..	६.६१	
५०	भटनी	..	..	२.९३	
		योग	..	३५४.३६	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

खंडमंडलाधीश---मुंसिफ, उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल के न्यायालय में ३१ दिसम्बर, १९५७ को विचाराधीन तथा फैसल किये गये मुकदमे की तालिका :

मुकदमा	विचाराधीन	फैसल किये गये
दीवानी	१०१	३०२
फौजदारी	७७	४०२
कलक्टरी	१३३	२०२
मुतफर्रकात	२७	४५
	३३८	९५१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

टेहरी-गढ़वाल के समस्त खंडमंडलाधीश-मुंसिफों, सिटी मैजिस्ट्रेट, नरेन्द्रनगर-मुंसिफ व तहसीलदार-मुंसिफों के न्यायालयों में ३१ दिसम्बर, १९५७ को विचाराधीन दीवानी, एजराय व मुतफर्रकात मुकदमों की तालिका :

न्यायालय	दीवानी	एजराए	मुतफर्रकात	योग
१—खंडमंडलाधीश-मुंसिफ, टेहरी गढ़वाल	२९२	१२६	१८	४३६
२—खंडमंडलाधीश-मुंसिफ, उत्तर काशी	१०१	७४	२७	२०२
३—खंडमंडलाधीश-मुंसिफ, कीर्तिनगर	४५	३७	१५	९७
४—सिटीमैजिस्ट्रेट-मुंसिफ, नरेन्द्रनगर	८	२१	३	३२
५—तहसीलदार-मुंसिफ, टेहरी	६	३७	१०	५३
६—तहसीलदार, प्रताप नगर	..	१८	१३	३१
७—तहसीलदार, देव-प्रयाग	..	२०	४	२४
८—तहसीलदार, रवाइन	१६	७३	१३	१०२
योग ..	४६८	४०६	१०३	९७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

पिछले राशनिंग काल में रबी खाद्यान्नों की खरीदारी के सम्बन्ध में माने गये सरप्लस जिलों की सूची —

१—सहारनपुर
२—मुजफ्फरनगर
३—मेरठ
४—बुलन्दशहर
५—अलीगढ़
६—मथुरा
७—आगरा
८—मैनपुरी
९—एटा
१०—बरेली
११—बिजनौर
१२—रामपुर
१३—बदायूं
१४—मुरादाबाद
१५—शाहजहांपुर
१६—पीलीभीत
१७—फर्रुखाबाद
१८—इटावा
१९—कानपुर
२०—फतेहपुर
२१—इलाहाबाद
२२—झांसी
२३—जालौन
२४—हमीरपुर
२५—बांदा
२६—लखनऊ
२७—उन्नाव
२८—रायबरेली
२९—सीतापुर
३०—हरदोई
३१—खीरी
३२—गोंडा
३३—बहराइच
३४—बाराबंकी

पिछले राशनिंग काल में रबी खाद्यान्नों की खरीदारी के संबंध में माने गए डिफिसिट जिलों की सूची —

१—अल्मोड़ा
२—आजमगढ़
३—बलिया
४—बस्ती
५—वाराणसी
६—देहरादून
७—देवरिया
८—फैजाबाद
९—गढ़वाल
१०—गाजीपुर
११—गोरखपुर
१२—जौनपुर
१३—मिर्जापुर
१४—नैनीताल
१५—प्रतापगढ़
१६—सुल्तानपुर
१७—टेहरी गढ़वाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

सन् १९५७ में फैजाबाद जिले में वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों की सूची ।

स्थान	तहसील	क्षेत्रफल	वृक्षों का विवरण				
			फल तथा शोभा के वृक्ष	आम	जामुन	लकड़ी और सोल्ता	योग
१—लखनऊ-फैजाबाद पक्की सड़क मील नं० ६६ से ६९ तक ।	फैजाबाद	३ मील	१९	१२६	..	..	१४५
२—फैजाबाद-सुल्तानपुर पक्की सड़क मील नं० १३ से १५ तक ।	बीकापुर	२मील	१९	४६	१७५	..	२४०
३—जिगनाही ब्लाक	बीकापुर	५४·६५ एकड़	..	..	..	८७,०००	८७,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर)

क्रमांक	ग्राम पंचायत		अनुदान जो दिया गया	क्रमांक	ग्राम पंचायत		अनुदान जो दिया गया
			रु०				रु०
१	प्रतापगंज		१,३००	३८	बुधनई	..	५००
२	अभेयापुर	..	१,१८३	३९	बरौलिया	..	१,६३१
३	फतेहपुर दीहात	..	४००	४०	बुधवारा	..	५८२
४	कोला	..	९००	४१	लक्षवर	..	७६५
५	बड़नपुर	..	१,३६०	४२	करथिया	..	७६५
६	माली	..	६६०	४३	गनेशपुर	..	२,८२८
७	बिलखिया	..	४५०	४४	गगौरा	..	९००
८	भरसवां	..	३००	४५	तिलोकपुर	..	१,३००
९	मिठौरा	..	३६०	४६	भोजमपुर	..	७२०
१०	अमौली कलां	..	४५०	४७	मखदूमपुर	..	९६०
११	चुरौलिया	..	२,५६४	४८	फतेह सराय	..	९००
१२	खंडपिपरा	..	४५०	४९	गविया	..	९००
१३	मेवरा	..	४५०	५०	सेहारा	..	८४४
१४	बरौली	..	४५०	५१	बबुरी गांव	..	९००
१५	खोजहानपुर	..	४५०	५२	बरहरा	..	७००
१६	सेमौर	..	३६०	५३	फिरोजपुर	..	८००
१७	कोढरी गौरिया	..	३००	५४	अंसारी	..	८१५
१८	मीरमऊ	..	५००	५५	गौरिया	..	९००
१९	अमराई गांव	..	४५०	५६	सेठमऊ	..	१,२५०
२०	टेरा दौलतपुर	..	५००	५७	टिकरिया	..	५००
२१	बिरौली	..	५००	५८	इब्राहिमाबाद	..	१,१३६
२२	सरथरा	..	५००	५९	केसरुआ	..	९६२
२३	जरवा बाजार	..	१,१५०	६०	धौरहरा	..	२,०००
२४	जकरपुर	..	५२०	६१	डरई	..	१,३५०
२५	लाही	..	८००	६२	दौलतपुर	..	१,५५०
२६	रौली	..	७००	६३	भेलहरा	..	२,६००
२७	मोहम्मदपुर हैदरगढ़		७५०	६४	बनीबोड़र	..	१,८०६
२८	पंचरुआ	..	१,०००	६५	मानमऊ	..	१,०००
२९	बहुता	..	६००	६६	धरौली	..	३,०००
३०	पोखरा	..	५००	६७	मोहम्मदपुर (बंकी)		१,३००
३१	सुधेहा	..	५००	६८	मरवापुर	..	१,२००
३२	बैरामामऊ	..	२००	६९	हसनपुर टांडा	..	५००
३३	चंद सिहाली	..	३००	७०	मुकौली	..	१,२७०
३४	सरसवां	..	२,०००	७१	मैसुरिया मुजहिदपुर	..	१,०००
३५	हुसेनाबाद	..	४००	७२	सलेमपुर	..	९००
३६	रौनी	..	७५०	७३	छेदवल	..	१,७००
३७	कन्धरवल खुर्द	..	३५०	७४	सनौली	..	१,०५०

क्रमांक	ग्राम पंचायत		अनुदान जो दिया गया	क्रमांक	ग्राम पंचायत		अनुदान जो दिया गया
			रु०				रु०
७५	मालिनपुर	..	७७५	९५	बादशाहनगर	..	१,५००
७६	किठूरी	..	१,१७०	९६	ठाकुरपुर	..	७६०
७७	खुसइटी	..	४००	९७	पिपरी	..	७००
७८	सूरजपुर	..	१,४००	९८	बरई	..	१,०००
७९	अहरौली	..	२,५००	९९	जुमेदपुर	..	१,५४०
८०	रसूलपुर कलां	..	१,४००	१००	फतेहगंज	..	१,४५०
८१	शाहपुर	..	१,३५०	१०१	पौत्ररी	..	९००
८२	रसिया	..	९००	१०२	इस्माइलपुर	..	१,३००
८३	कैथा	..	१,७९०	१०३	संडरी	..	१,१८७
८४	मेदुआ बहरेला	..	१,६००	१०४	तिवौला	..	४६५
८५	कोठी	..	३००	१०५	जमीन हुसैनाबाद	..	१,५००
८६	मोहम्मदपुरताल	..	१,७५०	१०६	इटहुला पुरवा	..	८६०
८७	गोसेमऊ	..	१,१००	१०७	रसूलपनाह	..	१,३००
८८	पिपरौली	..	१,६००	१०८	मुढ़िया मऊ	..	८००
८९	पंडरी	..	३९०	१०९	पटरंगा	..	१,२५०
९०	उदईमऊ	..	१,१६०	११०	जलालपुर	..	५००
९१	औसेरगढ़	..	२,७९०	१११	बड़ागांव	..	१,६९३
९२	सराय बुमौली	..	१,३००	११२	मसौली	..	७००
९३	हड़ाछा	..	३,३६२	११३	बहादुरपुर	..	८००
९४	मखौली	..	१,९००				

उत्तर प्रदेश सभा

अनुदान प्राप्त पंचायत घर सहित स्कूल की सूची

क्रमांक	गांव पंचायत	अनुदान जो दिया गया
		रु०
१	मियागंज	४,८००
२	हसनपुर	६००
३	सरसी तिया	२,७००
४	सराय पान्डेय	१,८४५
५	मारूफपुर	२,६००
६	तेजवापुर	२,९१४
७	मेमेराय	२,२५०
८	जसमेंडा	१,२५०
९	सरायपरसंडा	२,९५०
१०	अजीबाबाद	२,५००
११	रालभारी	९४०
१२	दतौली	२५८
१३	छेवा	२,०००
१४	जुरौंडा	७३०
१५	बरैया	१,४००
१६	मऊ	१,४००
१७	नैपुरा	१,९००
१८	मेढ़िया	३,९००
१९	नौदनपुर	१,४००
२०	सैदखानपुर	२,३६०
२१	भुवई	१५०
२२	शिवनाम	४८०
२३	आलमपुर	१,७००
२४	हेतमपुर	३२५
२५	नहरवल	१,८००
२६	भेतमुआ	६५०
२७	शेखपुर अलीपुर	१,०१०
२८	रायपुर	१,८८०
२९	करसंडा	१,१७९

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—७७ एल० ए०—१९५८—८३५ ।

उत्तर प्रदेश सभा